उत्तराखण्ड सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण
उत्तराखण्ड
वर्ष 2020–21
खण्ड–1

अर्थ एवं संख्या निदेशालय
(नियोजन विभाग)
उत्तराखण्ड सरकार
100/6, नैशविला रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248001
दूरभाष/फैक्सः 0135–2712604
ई–मेलः dirdesuk@gmail.com
dir-des-uk@nic.in
वेबसाइटः www.des.uk.gov.in

ओम प्रकाश
Om Prakash
(I.A.S.)

मुख्य सचिव
Chief Secretary

उत्तराखण्ड शासन
Govt. of Uttarakhand
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन
Netaji Subhash Chandra Bose Bhawan
सचिवालय
Secretariat
4, सुभाष मार्ग, देहरादून
4, Subhash Marg, Dehradun
Phone (Off.) 0135-2712100
0135–2712200
(Fax) 0135–2712500
E-mail: cs-uttarakhand@nic.in

प्राक्कथन

आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के सामाजिक तथा आर्थिक विकास का दर्पण होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में समष्टि आर्थिक चरों से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में सरकारों, संस्थाओं तथा जनसहभागिता के प्रयासों से अर्जित उपलब्धियों का गहन व सम्यक् विश्लेषण अर्थव्यवस्था की संभावनाओं, संसाधनों, सक्षमताओं तथा सीमितताओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है जो अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को व्यक्त करने के साथ ही भविष्य का पथ प्रदर्शन भी करता है। विगत वर्षों की भांति आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 भाग–1 उत्तराखण्ड में राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा किये गये बहुआयामी विकास कार्यो की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का गहन विश्लेषण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के पूर्व से ही कोविड–19 की महामारी की व्यापकता ने वैश्विक संस्थाओं तथा राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारों के साथ–साथ जनसामान्य की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं एवं लोगों की आजीविका के स्वरूप को भी परिवर्तित किया है, जिससे अर्थव्यवस्था के स्वरूप, संरचना व विभिन्न आयामों में भी व्यापक बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों पर पड़ना स्वाभाविक है। अतएव यथासंभव इन परिवर्तनों व प्रयासों को रिपार्ट के अध्यायों में सम्यक् स्थान पर समावेशित किया गया है। इसमें राज्य में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं, परियोजनाओं, कार्यक्रमों, अभियानों आदि की गतवर्षों एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 की माह दिसम्बर 2020 तक की विभिन्न विभागों की वास्तविक उपलब्धियों, नवीन पहल, नवाचारों, नवप्रवर्तनों, अध्ययनों व शोध परिणामों, रणनीतियों, अभिनव प्रयोगों का तथ्यात्मक विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। आार्थिक सर्वेक्षण 2020–21 अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा अथक परिश्रम करते हुए ससमय तैयार किया गया है, जो सराहनीय है। मुझे आशा है कि भविष्य में राज्य के नीति नियोजक, विभिन्न विभाग, संस्थाये तथा हित धारक (Stake Holders) आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लिखित विभिन्न सामाजार्थिक पहलुओं के विश्लेषण से लाभ उठाते हुये प्रभावी एवं जनोपयोगी योजनाओं की संरचना करने में सफल हो सकेंगे।

(ओम प्रकाश)

मनीषा पंवार
आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन

नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन,
सचिवालय, 4, सुभाष मार्ग,
देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष संः 0135–2710902

प्रस्तावना एवं आभार

उत्तराखण्ड राज्य का चतुर्थ आर्थिक सर्वेक्षण भाग– 01 वर्ष 2020–21 को अर्थ एवं संख्या निदेशालय, द्वारा तैयार किया गया है। विगत वर्षो की भॉति आर्थिक सर्वेक्षण के इस संस्करण में राज्य की अर्थव्यस्था से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों एवं उनके उप क्षेत्रों की गत वर्षो की उपलब्धियों के साथ–साथ चालू वर्ष में आर्थिक क्षेत्र की उपलब्धियों को तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण किये जाने का प्रयास किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के आरम्भ में ही कोविड–19 की महामारी की वैश्विक व्यापकता से विश्व, देश तथा राज्य में जनजीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। मानवीय जीवन की सुरक्षा हेतु उठाये गये प्रशासनिक उपायों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता से संकुचन हुआ है, जिसका प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था पर स्वाभाविक रूप से पड़ा है। राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का अहम योगदान है जिससे पर्यटन, मंनोरंजन तथा होटल व्यवसाय के साथ–साथ शिक्षा, खेल–कूद एवं सामाजिक सेवाओं पर उच्च प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यद्यपि कृषि क्षेत्र एवं सीमित मात्रा में द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के संचलन के कारण आर्थिक नुकसान को न्यूनतम किये जाने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास की दर 4.2 प्रतिशत के सापेक्ष उत्तराखण्ड राज्य की आर्थिक विकास दर 4.3 प्रतिशत रही है। चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास दर –7.7 प्रतिशत अनुमानित है। राज्य सरकार द्वारा राज्य की विकास दर पर आर्थिक गतिविधियों में संकुचन के प्रभावों को न्यूनतम किये जाने के भरसक प्रयास किये जा रहे है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उच्च प्रयास किये गये है जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत श्रृंखला, उज्जवला योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत व्यापक आर्थिक पैकेज एवं मानवीय सहायता का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे लगभग खत्म हो चुकी आर्थिक गतिविधियों को नयी गति मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार का वित्तीय राहत पैकेज का आकार 27 लाख करोड़ रू0 से अधिक था जिससे अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का प्रयास किया गया। राज्य सरकार द्वारा भी महामारी के दौर में राज्य के कामगारों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, वृद्धों, असगठित क्षेत्र के छोटे उद्यमों, रेहडी वालों, छोटे कारोबारियों के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी आजीविका के साधन से वंचित हुये लाखों परिवारों, अन्य राज्यों से आये लाखों प्रवासियों को निशुल्क भोजन तथा चिकित्सा सुविधा के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। कोविड–19 के इस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं के कार्मिकों के साथ–साथ पुलिस, प्रशासन, सरकारी सेवकों, शिक्षकों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा अथक प्रयास किया गया है, जिससे राज्य में मानव हानि को न्यूनतम करने में सफलता प्राप्त हुयी है।

वर्तमान दौर में स्वास्थ्य एवं गुणवत्तापरक जीवन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गयी है जिससे सरकार द्वारा इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रयास किये गये है, राज्य में मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के रिक्त पद त्वरित

गति से भरे जा रहे है तथा स्वास्थ्य अवसंरचना सेवाओं में भी व्यापक वृद्धि की गयी है। कोविड–19 महामारी के समय आधुनिक संचार तकनीकी का प्रयोग छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण, समन्वय एवं समीक्षा जैसी गतिविधियों को सम्पादित करने में किया गया।

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत प्रदेश के राज्य कर्मचारियों एवं पेन्शन धारकों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु गोल्डन कार्ड बनाये जा रहे है। राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के माध्यम से लोगों की आर्थिकी में सुधार के प्रयास के क्रम में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री सोलर योजना, पिरूल से बिजली बनाने जैसी नवोन्मेषी कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है। रोजगार को बढ़ावा देने हेतु राज्य के विकास के मूल प्रेरक (Growth Drivers) उद्यान, पर्यटन, ऊर्जा, परिवहन, एवं उद्योग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस हेतु राज्य में ग्रोथ सेन्टर बनाकर राज्य के विकास के साथ–साथ वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु एक जनपद–एक उत्पाद जैसी योजनायें प्रारम्भ की गयी हैं।

राज्य में नये पर्यटन स्थलों को विकसित करने, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने एवं पर्यटन स्थलो पर आधारभूत सुविधायें विकसित करने हेतु प्रदेश में निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करने हेतु भारत सरकार की सहायता से ऑल वेदर रोड़, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलमार्ग का निर्माण, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एवं जौली ग्राण्ट हवाई अड्डा को विस्तारित करने का कार्य किया जा रहा है, जिससें प्रदेश में सड़क, रेल, हवाई यातायात मे अपेक्षित सुधार आयेगा।

आर्थिक सर्वेक्षण के निर्माण में अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा विभागीय अधिकारियों के सहयोग से अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी है। आर्थिक सर्वेक्षण के संकलित अध्यायों के परिमार्जन, परिवर्द्धन, परिनिरीक्षण एवं सम्पादन हेतु निदेशक, श्री सुशील कुमार की अध्यक्षता तथा डॉ0 मनोज कुमार पंत, अपर निदेशक के पर्यवेक्षण में गठित कोर टीम के सदस्यों– डॉ0 दिनेश चन्द्र बडोनी, उप निदेशक, श्री राजेश कुमार अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा अपर सांख्यिकीय अधिकारी– श्री गोपाल गुप्ता, श्री राम सलोने, श्री संदीप पाण्डेय, श्री रितेश कुमार एवं अध्याय लेखन हेतु कोर कमेटी के सदस्यों के अतिरिक्त संयुक्त निदेशक, श्री जी0एस0पाण्डेय तथा उप निदेशक–सुश्री चित्रा, श्रीमती गीतांजली शर्मा, श्री मनीष राणा, डॉ0 इला पन्त बिष्ट, श्री अमित पुनेठा, श्रीमती रश्मि हलधर एवं अर्थ एवं संख्याधिकारी– श्री सतेन्द्र कुमार, श्रीमती ज्योति जोशी, शोध अधिकारी श्री महेश चन्द कपिल, श्री जे0सी0 चन्दोला तथा सहयोग हेतु अपर सांख्यिकीय अधिकारी– श्री अतुल आनन्द, श्री श्वेतांक प्रताप सिंह, श्री भारत सिंह रावत, श्री सुरेश कुमार गोयल, श्री राजेन्द्र सिंह रावत, श्री अशोक कुमार, श्रीमती शालू भटनागर, श्री आलोक कुमार, श्री बृजेश कुमार, श्री योगेन्द्र सिंह रौथाण, श्री रितेश शर्मा, श्रीमती गायत्री, सुश्री सीमा धीमान, श्रीमती शालिनी राठौर, श्रीमती किरन शर्मा का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हुए टंकण एवं अन्य कार्यो में सहयोग देने हेतु अन्वेषक–कम–संगणकों, डाटा एण्ट्री ऑपरेटरों एवं पी0आर0डी0 कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

इसके अतिरिक्त समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों तथा विभागीय अधिकारियों का विभाग से सम्बन्धित आवश्यक तथ्य, सूचनायें, आँकड़े तथा विवरण उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख संचिव, सचिव तथा प्रभारी सचिवों का उनके सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देती हूँ। अन्त में अर्थ एवं संख्या निदेशालय की ओर से श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, एवं श्री ओम प्रकाश, मुख्य सचिव का आर्थिक सर्वेक्षण को बनाने में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

आर्थिक सर्वेक्षण
वर्ष 2020–21
विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
	शब्द संक्षेप	i-xiv
1	उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन	01–16
2	राज्य आय एवं लोक वित्त	17–26
3	बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त	27–40
4	कराधान	41–53
5	सतत् विकास लक्ष्य	54–61
6	भाव संचलन	62–64
7	खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति	65–70
8	कृषि, गन्ना एवं उद्यान	71–94
9	सहकारिता	95–100
10	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	101–111
11	वन तथा पर्यावरण	112–118
12	जल संसाधन एवं प्रबन्धन	119–148
13	उद्योग एवं खनन	149–163
14	श्रम–रोजगार एवं कौशल विकास	164–170
15	विद्युत	171–182
16	परिवहन एवं संचार	183–197
17	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	198–210
18	शिक्षा	211–229
19	स्वास्थ्य	230–254
20	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	255–263
21	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	264–280
22	शहरी विकास एवं आवास	281–292
23	समाज कल्याण	293–301
24	खेल एवं युवा कल्याण	302–308
25	सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान	309–327
26	राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन	328–334

शब्द संक्षेप (Abbreviations)

AAI-	Airports Authority of India
ABC-	Animal Birth Control
AE-	Actual Estimates
ADB-	Asian Development Bank
AIC-	Artificial Insemination Centres
AICTE-	All India Council for Technical Education
AIDS-	Acquired Immune Deficiency Syndrome
AIF-	Agri Infrastructure Fund
AIIB-	Asian Infrastructure Investment Bank
AIIMS-	All India Institute of Medical Sciences
ALS-	Advance Life Support
AMRUT-	Atal Mission for Rejuvenation And Urban Transformation
AMR-	Automatic Meter Reading
ANC-	Ante Natal Care
ANM-	Auxiliary Nurse Midwifery
AMI-	Agricultural Marketing Infrastructure
ANC-	Absolute Neutrophil Count
APEDA-	Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
APMC-	Agricultural Produce Marketing Committee
APO-	Annual Plan of Action
APY-	Atal Pension Yojana
ARC-	Advance Release Calendar
ART-	Anti-Retroviral Therapy
ASCAD-	Assistance To State For Control Of Animal Diseases
ASER-	Annual Status of Education Report
ASHA-	Accredited Social Health Activist
AT&C-	Aggregate Technical and Commercial
ATF-	Aviation Turbine Fuel
ATM-	Automated Teller Machine
AYUSH-	Ayurvedic, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy
BADP-	Border Area Development Programme
B to C-	Business to Customer
BAIF-	Bharatiya Agro Industries Foundation
BBBP-	Beti Bachao Beti Padhao
BBPS-	Bharat Bill Payment System
BCARLIP-	Bio-Diversity Conservation and Rural Livelihood Improvement Plan
BCC-	Basic Computer Course
BE-	Budget Estimates
BHMCT-	Bachelor of Hotel Management and Catering Technology
BIS-	Bureau of Indian Standards
BLC-	Beneficiary Led Construction

BLS-	Basic Life Support
BPL-	Below Poverty Line
BPO-	Business Process Outsourcing
BRAP-	Business Reforms Action Plan
BRO-	Border Roads Organisation
BRTF-	Border Roads Task Force
BSNL-	Bharat Sanchar Nigam Limited
BSUP-	Basic Service for Urban Poor
BVS-	Block vaccine store
CAD-	Computer-aided Design
CAF-	Common Application Form
CAGR-	Compound Annual Growth Rate
CALC-	Computer aided Learning Centre
CAMPA-	Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
CAP-	Centre for Aromatic Plants
CAS-	Common Application Software
CBAC-	Context Based Access Control
CBE-	Community Based Events
CBOs-	Community Based Organisations
CBS-	Core Banking System
CCMP-	Cyber Crisis Management Technology
CCPs-	Cold chain Points
CCTNS-	Crime and Criminal Tracking Network & System
CCTV-	Closed Circuit Television
CD RATIO-	Credit Deposit Ratio
CDTP-	Community Development Through Polytechnics
CEA-	Central Electricity Authority
CEMB-	Center of Excellence in Mountain Biology
CGHS-	Central Government Health Scheme
CGSSD-	Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt
CGST-	Centre Goods & Services Tax
CHCs -	Community Health Centres
CII-	Critical Information Infrastructure
CIPET-	Central Institute of Plastics Engineering & Technology
CISF-	Central Industrial Security Force
CISO-	Chief Information Security Officer
CITIIS-	City Investment Innovation Integrated and Sustain
CLR-	Commissionerate of Land Revenue
CMERI-	Central Mechanical Engineering Research Institute
CMO-	Chief Medical Officer
CMP-	Comprehensive Mobility Policy
COVID-	Corona Virus Disease
CPCB-	Central Pollution Control Board

CPI-	Consumer Price Index
CSCs-	Common Service Centres
CSIR-	Council of Scientific & Industrial Research
CSO-	Central Statistics Office
CSP-	City Sanitation Plan
CSR-	Corporate Social Responsibility
CWC-	Central Water Commission
CWSN-	Children With Special Needs
DARC-	Drone Application and Research Centre
DAY-NRLM-	Deendayal Antodaya Yojana - National Rural Livelihood Mission
DBT-	Direct Benefit Transfer
DCCC-	Dedicated Covid Care Centre
DCH-	Dedicated Covid Hospital
DCHC-	Dedicated Covid Health Centre
DCUs-	Departmental Commercial Undertakings
DDRC-	District Disability Rehabilitation Centre
DDUGJY-	Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana
DEA-	Department of Economic Affair
DEDS-	Dairy Entrepreneurship Development Scheme
DES-	Directorate of Economics & Statistics
DGCA-	Directorate General of Civil Aviation
DGCIS-	Directorate of General of Commercial Intelligence and Statistics
DGFT-	Director General of Foreign Trade
DGPS-	Differential Global Positioning System
DIC-	District Industries Center
DIDF-	Dairy Infrastructure Development Fund
DIET-	District Institute of Education & Training
DILRMP-	Digital India Land Record Modernisation Programme
DIPP-	Department of Industrial Policy and Promotion
DMRC-	Delhi Metro Rail Corporation
DMS-	Distribution Management System
DMS-	Document Management System
DPA-	Direct Productive Activities
DPR-	Detailed Project Report
DPS-	District Project Societies
DQAS-	Daily Quick Audit System
DRI-	Differential Rate of Interest
DRIP-	Dam Rehabilitation Improvement Program
DSI-	Dynamic Systems Initiative
DST-	Department of Science & Technology
DSUCP-	Development of Smart Urban Cluster Project
DTH-	Direct To Home
DVS-	District Vaccine Store

DVS-	Dynamic Vapor Sorption
DWSM-	District Water and Sanitation Mission
EBB-	Educationally Backward Blocks
ECHS-	Ex-servicemen Contributory Health Scheme
EIA-	Environmental Impact Assessment
ECLGS-	Emergency Credit Line Guarantee Scheme
EEPC-	Engineering Export Promotion Council of India
EMI-	Equated Monthly Installment
E-NAM-	E-National Agriculture Market
EODB-	Ease Of Doing Business Score
EPI-	Export Preparedness Index
E-POS-	Electronic Point of Sale
ERP-	Enterprise Resource Planning
ESI-	Employees State Insurance
ETS-	Electronic Total Station
eVIN-	Electronic Vaccine Intelligence Network
EV-	Electric Vehicles
EWS-	Economically Weaker Section
FC-	Fitness Certificate
FCI-	Food Corporation of India
FDR-	Fixed Deposit Receipt
FHTC-	Functional Household Tap Connection
FIDF-	Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund
FIEO-	Federation of Indian Export Organization
FLCs-	Financial Literacy Centers
FMD-	Foot and Mouth Disease
FMS-	Facility Management Service
FPF-	Food Processing Fund
FPO-	Food Process Order
FPS-	Fair Price Shop
FRBMA-	Fiscal Responsibility and Budget Management Act
FRP-	Fibre-Reinforced Plastic
FRTU-	Feeder Remote Terminal Unit
FSA-	Food Security Allowance
FSD-	Foundation for Sustainable Development
FSI-	Forest Survey of India
FSSAI-	Food and Safety Standards Authority of India
G to C-	Government to Citizen
GBPS-	Gigabits per second
GCF-	Green Climate Fund
GDI-	Gender Development Index
GDP-	Gross Domestic Product
GER-	Gross Enrolment Ratio

GFCF-	Gross Fixed Capital Formation
GIS-	Geographic Information System
GIS-	Gas Insulated Switchgear
GIHM-	Government Institute of Hotel Management
GLOF-	Glacial Lake Outburst Flood
GMVN-	Garhwal Mandal Vikas Nigam
GoI-	Government of India
GPDP-	Gram Panchayat Development Plan
GPS-	Global Positioning System
GSDP-	Gross State Domestic Product
GST-	Goods & Services Tax
GSVA-	Gross State Value Added
GVA-	Gross Value Added
GVO-	Gross Value Output
H-	Hectare
HARC-	Himalayan Action Research Centre
HCI-	Hyper Convergent Infrastructure
HDI-	Human Development Index
HDPE-	High Density Polyethylene
HDR-	Human Development Report
HIV-	Human Immunodeficiency Virus
HLDSC-	High Level Data Standard Committee
HMIS-	Health Management Information System
HOPE-	Helping Out People Everywhere
HP-	Horse Power
HPSEBL-	Himachal Pradesh State Electricity Bill
HPPCL-	Himachal Pradesh Power Corporation Limited
HT-	High Tension
HTLS-	High Temperature Low Sag
HUF-	Hindu Undivided Family
HVDS-	High Voltage Distribution System
IAS-	Indian Administrative Services
ICAP-	Integrated Cluster Action Plan
ICDP-	Integrated Co-operative Development Programme
ICDS-	Integrated Child Development Scheme
ICT-	Information and Communications Technology
ICU-	Intensive Care Unit
IDA-	International Development Association
IEC-	Information, Education and Communication
IFAD-	International Fund for Agriculture Development
IFSR-	Indian Forest Survey Report
IGNOU-	Indira Gandhi National Open University
IGST-	Integrated Goods & Services Tax

IHM-	Institute of Hotel Management
IIFM-	Indian Institute of Forest Management
ILSP-	Integrated Livelihood Support Project
ILR-	Ice Line Refrigerators
IMA-	Integrated Modal Agriculture
IMD-	Indian Meteorological Department
IMR-	Infant Mortality Rate
IMIS-	Integrated Management Information System
INDCs-	Intended Nationally Determined Contributions
ISBT-	Inter-State Bus Terminus
ISRO-	Indian Space Research Organization
IT-	Information Technology
IIT-	Indian Institute of Technology
ITDA-	Information Technology Development Agency
IPCC-	International Panel on Climate Change
IPD-	In-Patient Departments
IPDS-	Integrated Power Development Scheme
IPHS-	Indian Public Health Standards
IPR-	Intellectual Property Rights
IRCTC-	Indian Railways Catering and Tourism Corporation
IRC-	India Roads Congress
IRS-	Incident Response System
ISAM-	Integrated Scheme for Agricultural Marketing
ISFR-	India State of Forest Report
ISM-	Indian School of Mines
ISO-	International Standards Organization
IVDP-	Integrated Village Development Project
IWMP-	Integrated Watershed Management Programme
JEE-	Joint Entrance Examination
JICA-	Japan International Cooperation Agency
JJM-	Jal Jeevan Mission
JLG-	Join Liability Group
JNNURM-	Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission
KCC-	Kisan Credit Card
KGBV-	Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya
KMS-	Knowledge Management System
KMVN-	Kumaon Mandal Vikas Nigam
KPIs-	Key Performance Indicators
KRC-	Key Resource Centre
KSY-	Kishori Shakti Yojana
KV-	Kilo Volt
KVIC-	Khadi and Village Industries Commission
LAN-	Local Area Network

LAP-	Local Area Plan
LBW-	Low Birth Weight
LED-	Light Emitting Diode
LFPR-	Labor Force Participation Rate
LGD-	Local Government Directory
LIG-	Low-Income Group
LPCD-	Liters Per Capita Daily
LT-	Low Tension
MAP-	Medicinal Aromatic Plants
MBA-	Master of Business Administration
MBBS-	Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery
MBPS-	Megabits Per Second
MCP Card-	Mother & Child Protection Card
MDF-	Moderately Dense Forest
MDM-	Mid day Meal
MDT-	Multi Drug Therapy
MGNREGA-	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MIF-	Micro Irrigation Fund
MIG-	Middle Income Group
MIS-	Management Information System
MLD-	Millions of Liters per Day
MLHP-	Mid Level Health Providers
MM-	Millimeter
MMR-	Maternal Mortality Rate
MMS-	Miracle Mineral Solution
MNRE-	Ministry of New and Renewable Energy
MoRD-	Ministry of Rural Development
MOSPI-	Ministry of Statistics & Programme Implementation
MoU-	Memorandum of Understanding
MPCE-	Monthly Per Capita Expenditure
MPI-	Multidimensional Poverty Index
MPLS-	Multiprotocol label switching
MSBY-	Mukhyamantri Swasthya Bima Yojan
MSC-	Multi-Service Center
MSE-	Micro Small Enterprises
MSME-	Micro Small & Medium Enterprises
MSP-	Minimum Support Price
MSW-	Municipal Solid Waste
MTR-	Mass Transit Railway
MU-	Mega Unit
MVA-	Mega Volt Ampere
MV Tax-	Motor Vehicle Tax
MW-	Mega Watt

NAAC-	National Assessment and Accreditation Council
NABCONS-	Nabard Consultancy Services
NABH-	National Accreditation Board for Hospital
NABL-	National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories
NACO-	National AIDS Control Organisation
NAD-	National Asset Directory
NAMP-	National Air Quality Monitoring Programme
NAPDDR-	National Action Plan for Drug Demand Reduction
NAPSrC-	National Action Plan for Welfare of Senior Citizens
NAS-	National Assessment Survey
NCDC-	National Cooperative Development Corporation
NCDs-	Non-Communicable Diseases
NCERT-	National Council of Educational Research and Training
NCF-	National Curriculum Framework
NCIIPC-	National Critical Information Infrastructure Protection Centre
NCVT-	National Council of Vocational Training
NDMA-	National Disaster Management Authority
NDP-	Net Domestic Product
NDSI-	Normalized Difference Snow Index
NERS-	National Emergency Response System
NHAI-	National Highway Authority of India
NHM-	National Health Mission
NEET-	National Eligibility cum Entrance Test
NEFT-	National Electronic Fund Transfer
NEGP-	National e-Governance Plan
NFHS-	National Family Health Survey
NFSA-	National Food Security Act
NFSM-	National Food Security Mission
NHA-	National Health Authority
NHIDCL-	National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited
NHM-	National Health Mission
NIC-	National Informatics Centre
NIDA-	NABARD Infrastructure Development Assistance
NIE-	National Implementing Entity
NIELIT-	National Institute of Electronics and Information Technology
NIFT-	National Institute of Fashion Technology
NIH-	National Institute of Hydrology
NII-	National Information Infrastructure
NIMHANS-	National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences
NIOS-	National Institute of Open Schooling
NIP-	National Infrastucture Pipeline
NIRD-	National Institute of Rural Development
NIT-	National Institutes of Technology

NITI-	National Institution for Transforming India
NITRA-	Northern India Textile Research Association
NKN-	National College Network
NMAET-	National Mission on Agricultural Extension & Technology
NMET-	National Mineral Exploration Trust
NMHP-	National Mental Health Programme
NMHS-	National Mission on Himalayan Studies
NMOOP-	National Mission on Oilseeds and Oil Palm
NMR-	Neo-Natal Mortality Rate
NMSA-	National Mission for Sustainable Agriculture
NOFN-	National Optical Fiber Network
NOHP-	National Oral Health Programme
NPA-	Non Performing Assets
NPCB-	National Programme for Control Blindness
NPCC-	National Project Construction Corporation
NPCDCS-	National Programme For Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke
NPEGEL-	National Programme for Education of Girls at Elementary Level
NPHCE-	National Programme for Health Care of the Elderly
NPP-	National Panchayat Portal
NPPCD-	National Programme for Prevention and Control of Deafness
NPS-	National Pension Scheme
NPV-	Net Present Value
NQM-	National Quality Monitors
NRDWP-	National Rural Drinking Water Programme
NRLM-	National Rural Livelihood Mission
NSS-	National Service Scheme
NSRMP-	National Seismic Risk Management Project
NSQF-	National Skills Qualifications Framework
NSSO-	National Sample Survey Office
NTEP-	National Type Evaluation Programme
NTFP-	Non-Timber Forest Products
NTPC-	National Thermal Power Corporation
NTRO-	National Technical Research Organisation
NUHM-	National Urban Health Mission
NULM-	National Urban Livelihood Mission
NWMP-	National Water Quality Monitoring Programme
ODF-	Open Defecation Free
OF-	Open Forest
OFC-	Optical Fiber Cable
OMMAS-	Online Management Monitoring and Accounting System
OPD-	Out Patient Department
OPGW-	Optical Ground Wire

OPS-	Other Priority Sector
OTS-	One Time Settlement
PACCS-	Primary Agricultural Cooperative Credit Society
PACS-	Primary Agricultural Credit Societies
PAN-	Permanent Account Number
PCO-	Public Call Office
PCS-	Provincial Civil Services
PDF-	Portable Document Format
PE-	Provisional Estimates
PEQ-	Post Entry Quarantine
PESA-	Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act
PFC-	Power Finance Corporation
PFMS-	Public Financial Management System
PGCIL-	Power Grid Corporation of India Limited
PGS-	Participatory Guarantee System
PHCs-	Primary Health Centres
PhD-	Doctor of Philosophy
PIC-	Patent Information Centre
PIU-	Project Implementation Unit
PKVY-	Prampragat Krishi Vikas Yojana
PLFS-	Periodic Labor Force Survey
PMA-	Project Management Agency
PMAGY-	Pradhan Mantri Aadarsh Gram Yojana
PMEGP-	Prime Minister's Employment Generation Programme
PMFBY-	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
PMFME-	Pradhan Mantri Formalization of Micro food processing Enterprises
PMGDISHA-	Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan
PMGSY-	Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
PMJAY-	Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna
PMJDY-	Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana
PMJJBY-	Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana
PM-KMY-	Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojna
PMKSY-	Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana
PMKUSUM-	Pradhan Mantri Kissan Urja Suraksha evam Utthan Mahaabhiyaan
PMKVY-	Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
PMMVY-	Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana
PMMY-	Pradhan Mantri Mudra Yojana
PMSBY-	Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
PM-SYM-	Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan
PMU-	Project Management Unit
PNB-	Punjab National Bank
PODF-	Producers Organization Development Fund
POP-	Point Of Presence

PPD-	Prearranged Payment Deposit
PPP-	Public Private Partnership
PRASAD-	Pilgrimage Rejuvenation And Spiritual Augmentation Drive
PRD-	Prantiya Raksha Dal
PRT-	Personal Rapid Transit
PSB-	Public Sector Banks
PTCUL-	Power Transmission Corporation Limited of Uttarakhand
PURNA-	Providing Ultra-Rich Nutrition to Adolescent Girls
PVC-	Poly Vinyl Chloride
PWD-	Person With Disability
RAD-	Rapid Application Development
RAFTAR-	Remuneration Approaches for Agriculture and Allied sector Rejuvenation
RAP-	Rural Authorized Person
RAPDRP-	Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme
RAS-	Recirculation Aquaculture System
RBF-	River Bank Filtration
RBSK-	Rashtriya Bal Swasthya Karyakram
RC-	Registration Certificate
RCH-	Reproductive and Child Health
RE-	Revised Estimates
RET-	Rare Endangered Threats
RERA-	Real Estate Regulatory Act
RFA-	Recorded Forest Area
RFID-	Radio Frequency Identification Data
RIDF-	Rural Infrastructure Development Fund
RKVY-	Rashtriya Krishi Vikas Yojana
RMSA-	Rashtriya Madhyamik Sikhsha Abhiyan
RMU-	Ring Main Unit
ROB-	Railway Over Bridge
ROR-	Records of Rights
ROT-	Receive Only Terminal
RPL-	Recognition of Prior Learning
RRB-	Regional Rural Banks
RSETI-	Rural Self Employment Training Institutes
RT-DAS-	Real Time Data Acquisition System
RTE-	Right To Education
RTGS-	Real Time Gross Settlement
RTI-	Research Triangle Institute
RTO-	Regional Transport Office
RUSA-	Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan
RUTF-	Ready to Use Therapeutic Food
RVs-	Recreational Vehicles
RVS-	Regional Vaccine Store

RVS-	Rapid Visual Screening
SAC-	Space Application Center
SAPCC-	State Action Plan on Climate Change
SBA-	Skill Birth Attendant
SC-	Scheduled Castes
SCADA-	Supervisory Control And Data Acquisition
SCERT-	State Council of Educational Research & Training
SCSP-	Special Component Sub Plan
SCVT-	State Council of Vocational Training
SDGs-	Sustainable Development Goals
SDI-	Strategic Defense Initiative
SDMIS-	School District Management Information System
SDRF-	State Disaster Response Fund
SECC-	Socio Economic Cast Census
SECI-	Solar Energy Corporation of India
SFS-	State Food Scheme
SGFI-	School Games Federation of India
SGHS-	State Government Health Scheme
SGST-	State Goods & Services Tax
SJVNL-	Satluj Jal Vidyut Nigam Limited
SHC-	Soil Health Card
SHG-	Self Help Group
SIDCUL-	State Industrial Development Corporation of Uttarakhand
SIEMAT-	State Institute of Educational Management & Training
SIT-	Satellite Interactive Terminal
SLBC-	State Level Bankers Committee
SMA-	Special Mention Account
SMAE-	Sub Mission on Agriculture Extension
SMAM-	Sub Mission on Agriculture Mechanization
SMPP-	Sub Mission on Plant Protection
SMSP-	Sub Mission for Seed and Planting
SNF-	Solids Non Fat
SNUSP-	Support to National Urban Sanitation Policy
SOC-	Social Overhead Capital
SOP-	Standard Operations Procedures
SPCB-	State Pollution Control Board
SPMRM-	Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission
SPS-	Specialist Pharmacy System
SQM-	State Quality Monitors
SRB-	Sex Ratio at Birth
SRLM-	State Rural Livelihood Mission
SRS-	Sample Registration System
SSA-	Sarv Shiksha Abhiyan

SSDG-	State Service Delivery Gateway
SSIs-	Small Scale Industries
ST-	Scheduled Tribes
STIs-	Sexually Transmitted Infections
STP-	Sewerage Treatment Plant
STPI-	Software Technology Parks of India
STSAO-	Short Term Seasonal Agriculture Operation
SVEP-	Startup Village Entrepreneurship Programme
SVS-	State vaccine store
SWAN-	State Wide Area Networks
SWIS-	Sheep and Wool Improvement Scheme
SWSM-	State Water and Sanitation Mission
TAC-	Technical Assistance Center
TB-	Tuberculosis
TEQIP-	Technical Education Quality Improvement Programme
TERT-	Tata Energy Research Institute
TFR-	Total Fertility Rate
THDC-	Tehri Hydro Development Corporation
TMP-	Training Management Portal
ToR-	Term of Reference
TPS-	Town Planning Scheme
TRC-	Technical Resource Centre
TSP-	Tribal Sub Plan
U5MR-	Under Five Mortality Rate
UA-URIP-	Uttaranchal-Urban Reform Incentive Programme
UAV-	Unmanned Aerial Vehicle
UBRI-	Uttarakhand Biotechnology Research Institute
UBSE-	Uttarakhand Board of School Education
UCADA-	Uttarakhand Civil Aviation Development Authority
UCB-	Uttarakhand Council for Biotechnology
UCOST-	Uttarakhand Council of Science & Technology
UDID-	Unique Disability ID
UDISE-	Unified District Information System for Education
UDRP-	Uttarakhand Disaster Recovery Project
UDWDP-	Uttarakhand Decentralised Watershed Development Project
UGCIS-	Uttarakhand Geo-Special Constituency Information System
UHND-	Urban Health and Nutrition Day
UIDAI-	Unique Identification Authority of India
UJS-	Uttarakhand Jal Sansthan
UJVNL-	Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited
UKAVP-	Uttarakhand Awas and Vikas Parishad
UKHDR-	Uttarakhand Human Development Report
UKHSDP-	Uttarakhand Health System Development Programme

UKPFMS-	Uttarakhand Public Financial Management System
UKSDI-	Uttarakhand Special Data Infrastructure
UKSDM-	Uttarakhand Skill Development Mission
UKSSSC-	Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission
ULDB-	Uttarakhand Livestock Development Board
UMANG-	Unified Mobile Application for New-age Governance
UMTC-	Urban Mass Transit Company
UNDP-	United Nation Development Programme
UPCL-	Uttarakhand Power Corporation Limited
UPHC-	Urban Primary Health Centre
UPNRM-	Umbrella Programme for Natural Resources Management
UPSIDC-	Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation
UREDA-	Uttarakhand Renewable Energy Development Agency
URIF-	Urban Reform Incentive Programme
URMIS-	Uttarakhand River Morphological Information System
URRDA-	Uttarakhand Rural Roads Development Agency
USAC-	Uttarakhand Space Application Centre
USAATA-	Uttarakhand Social Audit Accountability and Transparency Agency
USDMA-	Uttarakhand State Disaster Management Authority
USERC-	Uttarakhand Science Education and Research Centre
USRLM-	Uttarakhand State Rural livelihood Mission
USWAN-	Uttarakhand State Wide Area Network
USWDB-	Uttarakhand Sheep and Wool Development Board
UTDB-	Uttarakhand Tourism Development Board
UTGST-	Union Territory Goods and Service Tax
UTIITSL-	UTI Infrastructure Technology and Service Limited
VAT-	Value Added Tax
VDF-	Very Dense Forest
VHSNC-	Village Health, Sanitation and Nutrition Committee
VLTD-	Vehicle Location Tracking Device
VRA-	Vulnerability and Risk Analysis
VWSM-	Village Water and Sanitation Mission
WASH-	Wash Sanitation and Hygiene
WLL-	Wireless Local Loop
WPI-	Wholesale Price Index

अध्याय–1

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

Overview of the Economy of Uttarakhand

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2018–19 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार 6.1 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है जबकि वर्ष 2019–20 में विकास दर 4.2 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

1.2 प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2018–19 में ₹ 189.71 लाख करोड तथा वर्ष 2019–20 में लगभग ₹ 203.40 लाख करोड़ आंका गया है। स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011–12) पर GDP वर्ष 2018–19 में ₹ 139.81 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2019–20 में लगभग ₹ 145.66 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

1.3 वर्ष 2019–20 के दौरान मूल्य संवर्धन में वृद्धि मुख्यतः सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं (10.0 प्रतिशत), वित्त, रियल स्टेट एवं पेशेवर सेवाएं; 4.6 प्रतिशत), बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगी सेवाएं (4.1 प्रतिशत), कृषि, वन व मत्स्य क्षेत्र में (4.0 प्रतिशत), व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार सेवाएं (3.6 प्रतिशत) तथा खनन एवं उत्खनन क्षेत्र (3.1 प्रतिशत) में अनुमानित है। निर्माण उद्योग (1.3 प्रतिशत) तथा विनिर्माण क्षेत्र (0.03 प्रतिशत) में वृद्धि दर आंकलित की गयी है।

1.4 संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2019–20 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.90 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 25.33 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 54.77 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

1.5 प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017–18 में ₹ 1,15,293 थी, जो वर्ष 2018–19 में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 1,26,521 होने का अनुमान है। वर्ष 2019–20 (अग्रिम अनुमान) में यह ₹ 1,34,226 रहने की संभावना है, जो वर्ष 2018–19 की तुलना में 6.1 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है।

उत्तराखण्ड की आर्थिक स्थिति

उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था कृषि, बागवानी, पशुपालन, वन, खनन, विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, होटल, व रेस्टोरेंट तथा अन्य सेवा क्षेत्रों पर निर्भर है। इन क्षेत्रों के उत्पादन में उतार–चढ़ाव के कारण अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सभ्यता, विरासत, व्यापार उदारीकरण एवं अन्य उपायों से न केवल प्रतिस्पर्धी माहौल में वृद्धि हुई अपितु राज्य की अर्थव्यवस्था में मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला है जिस कारण प्रदेश एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है।

2. राज्य आय एवं लोक वित्त

2.1 राज्य की विकास दर में वर्ष 2019–20 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार 4.30 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई जबकि वर्ष 2018–19 में इसमें 5.77 प्रतिशत वृद्धि रहने का संशोधित अनुमान है।

2.2 वर्ष 2018–19 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद ₹ 2,36,768 करोड़ आंकलित किया गया है जिसकी तुलना में वर्ष 2019–20 में यह ₹ 2,53,666 करोड़ रहने का अनुमान है।

स्थिर भावों (2011–12) पर सकल घरेलू उत्पाद (अनन्तिम) वर्ष 2018–19 में ₹ 1,91,484 करोड़ आंका गया जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर

₹ 1,99,718 करोड़ अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

प्रचलित भावों पर वर्ष 2017–18 (अनन्तिम) में हरिद्वार का सकल जिला घरेलू उत्पाद सर्वाधिक ₹ 67,57,353 लाख तथा रूद्रप्रयाग का सबसे कम ₹ 2,71,316 लाख आंकलित किया गया है।

2.3 वर्ष 2019–20 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का विश्लेषण करने पर निर्माण (7.35 प्रतिशत), परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं (6.23 प्रतिशत), बिजली, गैस, पानी और अन्य उपयोगी सेवाओं (7.12 प्रतिशत) तथा व्यापार, होटल एवं जलपान गृह (9.19 प्रतिशत) में उच्च वृद्धि दर आंकी गई है जबकि वित्तीय क्षेत्र (–0.63 प्रतिशत), भण्डारण क्षेत्र (–1.37 प्रतिशत), तथा अन्य क्षेत्र (0.69 प्रतिशत) में निम्न वृद्धि दर आंकी गई है।

2.4 राज्य की अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक अध्ययन करने पर वर्ष 2019–20 में अनन्तिम अनुमानों के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 10.20 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 48.64 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 41.16 प्रतिशत रहा है।

2.5 वर्ष 2018–19 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय (अनन्तिम) ₹ 1,91,450 आंकी गई, जबकि वर्ष 2019–20 में यह ₹ 2,02,895 अनुमानित है।

2.6 वर्ष 2020–21 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 42,439 करोड़ है जोकि वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹ 35,502 करोड़ से 19.53 प्रतिशत अधिक है।

2.7 प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्ष 2018–19 में 3.09 प्रतिशत तथा वर्ष 2019–20 में 2.63 प्रतिशत अनुमानित है।

2.8 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2020–21 (बजट अनुमान) में ₹ 8657.35 करोड़ आंका गया हैं।

3. बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त

3.1 30 सितम्बर, 2020 तक राज्य में कुल 2,370 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है जिनमें से 1,134 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 567 शाखाएं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 669 शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। 47 प्रतिशत से अधिक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। जनगणना, 2011 के अनुसार प्रति शाखा औसत जनसंख्या 4,256 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11,271 है।

3.2 राज्य में बैंको का ऋण–जमा अनुपात 50 है जो ऊधम सिंह नगर में सर्वाधिक 104 तथा रूद्रप्रयाग में सबसे कम 21 है।

3.3 सितम्बर 2020 तक राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत 28,08,252 खाते खोले गए हैं जिसमें से 21,39,010 (76.17%) खाता धारकों को रुपे (Rupay) डेबिट कार्ड जारी किये गये तथा 21,58,307 (81.26%) खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया।

3.4 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2020 से 30.09.2020 तक 17,88,416 ग्राहकों को नामांकित किया गया है।

3.5 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2020 से 30.09.2020 तक 3,96,735 ग्राहकों को नामांकित किया गया है।

3.6 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष 2020–21 में सितम्बर, 2020 तक राज्य में बैंकों द्वारा 50,367 नए सूक्ष्म उद्यमियों को ₹ 746.60 करोड का नया ऋण स्वीकृत किया गया है। इसी अवधि में स्टैण्ड अप भारत योजना के अर्न्तगत 2167 नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए ₹ 442.16 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

3.7 किसान क्रेडिट कार्ड के अर्न्तगत जरूरतमंद किसानों को कुल 6,05,072 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं, जिसमें से इस वित्तीय वर्ष में 40,070 नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।

4. कराधान

4.1 वित्तीय वर्ष 2020–21 में 31 दिसम्बर, 2020 तक राज्य को करों से कुल ₹ 7,488.66 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई जो गत वर्ष में इसी अवधि में प्राप्त राजस्व ₹ 7,210.87 से लगभग 3.85 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल राजस्व प्राप्ति ₹ 9,282.14 करोड़ रही।

4.2 वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक राज्य को जी०एस०टी० से कुल ₹ 6,272.53 करोड़ (₹ 1978.89 करोड़ प्रतिकर धनराशि तथा ₹ 1310.46 करोड़ लोन प्रतिकर धनराशि सहित) का राजस्व प्राप्त हुआ है जो कि गत वर्ष की इसी अवधि के कुल जी०एस०टी० प्राप्ति ₹ 5,913.40 करोड़ (₹ 2,098.00 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) के सापेक्ष लगभग 6 प्रतिशत अधिक है।

4.3 वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक जी०एस०टी० की परिधि से बाहर रखे गये वस्तुओं (पेट्रोल, डीजल, ऐ०टी०एफ० एवं नैचुरल गैस तथा शराब) पर कुल ₹ 1297.47 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹ 1216.13 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जो कि गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 6 प्रतिशत कम है।

4.4 जी०एस०टी० लागू होने के उपरान्त 01 जुलाई, 2017 से 04 जनवरी, 2021 तक की अवधि में कुल 1,18,147 नये व्यापारी पंजीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त 63,673 पंजीकृत व्यापारियों को वैट प्रणाली से जी०एस०टी० में प्रवर्तित किया जा चुका है। इस प्रकार 04 जनवरी, 2021 तक राज्य में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 1,81,820 हो चुकी है।

4.5 01 अप्रैल, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को प्राप्त आय ₹ 710.20 करोड़ रही जो गत् वर्ष इसी अवधि में प्राप्त आय ₹ 822.46 करोड़ के सापेक्ष 13.65 प्रतिशत कम रही। वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्टाम्प एवं निबन्धन से कुल प्राप्ति ₹ 1071.49 करोड़ रही।

4.6 वर्ष 2019–20 के दौरान आबकारी विभाग द्वारा ₹ 2,729.15 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया। वर्ष 2020–21 में 30 नवम्बर, 2020 तक निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹ 3,461.37 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2,073.78 करोड़ का संग्रह किया जा चुका है। आबकारी विभाग द्वारा संग्रह किये जाने वाला राजस्व उत्तराखण्ड राज्य को प्राप्त राजस्व का 18 से 19 प्रतिशत के मध्य रहता है।

5. सतत् विकास लक्ष्य

5.1 नीति आयोग द्वारा 62 संकेतांकों पर जारी Baseline SDGs India Index 2018 में उत्तराखण्ड राज्य का कम्पोजिट इन्डेक्स 60 जो 92 संकेतकों पर आधारित SDG Index-2019 रिपोर्ट में बढकर 64 हो गया। यद्यपि रैंकिंग में राज्य 11वें स्थान पर ही रहा।

5.2 नीति आयोग की मैथडोलॉजी के आधार पर Sustainable Development Goals Uttarakhand Index Report 2019-20 तैयार की गई जिसमें 12 एस0डी0जी0 के 132 संकेतांकों के आधार पर जनपदवार तथा लक्ष्यवार स्कोर वैल्यू आंकलित किये गये।

5.3 एस0डी0जी0 इन्डेक्स की वैल्यू 100 होने पर अचीवर, 99 से 65 के मध्य होने पर अग्रणी, 64

से 50 के मध्य होने पर निष्पादक तथा 49 से कम होने पर आकांक्षी श्रेणी के निर्धारित मानक में से देहरादून जनपद अग्रणी श्रेणी में (Front Runner) तथा शेष सभी 12 जनपद निष्पादक (Performer) श्रेणी में वर्गीकृत हुए।

5.4 एस0डी0जी0 वार राज्य के कम्पोजिट इन्डेक्स में एस0डी0जी0–15 पर्यावरण संवहनीयता तथा एस0डी0जी0–7 सतत और आधुनिक ऊर्जा का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है।

6. भाव संचलन

6.1 जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक राष्ट्रीय एवं प्रदेश की मुद्रास्फीति दर का अध्ययन करने पर यह दृष्टिगत् होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर माह मार्च 2020 तक कमी होती रही। अप्रैल 2020 तथा मई 2020 में कोविड महामारी के कारण मुद्रास्फीति की गणना नहीं की जा सकी। जून 2020 में उक्त दर 6.23 थी, जो जुलाई 2020 में बृद्धि के उपरान्त अगस्त 2020 में पुनः घट कर 6.69 हो गयी थी। तत्पश्चात् अक्टूबर 2020 तक यह दर बढ़ने के पश्चात नवम्बर 2020 में उक्त दर 6.93 हो गयी। माह दिसम्बर 2020 में मुद्रास्फीति की दर पुनः घटकर 4.59 हो गयी थी।

6.2 उत्तराखण्ड राज्य में जनपद स्तरीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2017–18) हेतु वस्तुओं के भार निर्धारण करने के लिये Item basket तैयार की जानी है। भाव संग्रह के लिये वर्ष 2020 असामान्य होने के फलस्वरूप जनवरी 2019 से दिसम्बर 2020 के संग्रहीत 533 वस्तुओं के भावों को आयटम बास्केट तैयार करने में प्रयोग किया जा रहा है, जिससे आधार वर्ष 2017–18 हेतु वस्तुओं का भार निर्धारण किया जा सके।

7. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

7.1 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में 22,92,465 राशन कार्ड तथा राज्य में उचित मूल्य की 9,225 दुकाने संचालित की जा रही हैं।

7.2 एफ0पी0एस0 (Fair Price Shop) ऑटोमेशन एफ0पी0एस0 ऑटोमेशन के अन्तर्गत राज्य के 9225 राशन की दुकानों के सापेक्ष 7416 राशन की दुकानों को सी0एस0सी0 (Common Service Centre) के माध्यम से सिस्टम इन्टीग्रेटर के रूप में ऑटोमेट किया गया है। इसके अन्तर्गत राशन विक्रेताओं को सी0एस0सी0 के माध्यम से निःशुल्क लैपटॉप, प्रिंटर, तथा बायोमैट्रिक डिवाईस उपलब्ध कराये गये हैं।

7.3 सप्लाई चेन मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत बेस गोदाम से राज्य के समस्त 197 आन्तरिक गोदामों तक आवंटन, इन्डेन्ट जनरेशन, ट्रक चालान, रिसिविंग व राशन विक्रेताओं को डिलिवरी ऑर्डर ऑनलाईन किया जा रहा है।

7.4 "वन नेशन वन राशन कार्ड" योजना राज्य में माह जुलाई, 2020 से लागू की गयी है, जिसके फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य देश के अन्य राज्यों से जुड़ गया है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड धारकों को एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक जनपद से दूसरे जनपद में किसी भी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी गयी है।

7.5 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत प्राथमिक परिवार एवं अन्त्योदय अन्न योजना के 61.94 लाख लाभार्थियों को माह अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 हेतु प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (चावल एवं गेंहूँ) निःशुल्क तथा 13.49 लाख राशन कार्डधारकों/परिवारों को प्रति राशन कार्ड 01 कि0ग्रा0 दाल निःशुल्क वितरण करवाया गया।

7.6 आत्मनिर्भर भारत योजना भारत सरकार द्वारा अवरूद्ध / प्रवासियों के लिए 02 माह (मई एवं जून 2020) हेतु प्रति व्यक्ति 05 कि0ग्रा0 निःशुल्क चावल तथा 01 कि0ग्रा0 प्रति परिवार निःशुल्क दाल का आवंटन प्राप्त होने पर प्रवासियों का चिन्हाकन करते हुये इसका वितरण पात्र लाभार्थियों में सुनिश्चित किया गया।

8. कृषि, गन्ना एवं उद्यान

8.1 वर्ष 2019–20 में 1.81 लाख हेक्टेयर भूमि के अन्तर्गत 6.77 लाख मी.टन फलों का उत्पादन, 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि के अन्तर्गत 6.45 लाख मी.टन सब्जियों का उत्पादन एवं 1.6 हजार हेक्टेयर भूमि के अन्तर्गत 4.9 लाख फूलों का उत्पादन होने की संभावना है। राज्य में फलों के अन्तर्गत प्रथम स्थान पर नाशपाती, द्वितीय स्थान पर आड़ू व तृतीय स्थान पर सेब का उत्पादन है।

8.2 वर्ष 2020–21 में जनवरी तक कुल 147.78 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई करते हुये 14.65 लाख चीनी का उत्पादन किया गया है।

8.3 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत प्रदेश में कुल 719644 कृषकों को लाभान्वित करते हुये ₹ 485.74 करोड़ की धनराशि वितरित की गई।

9. सहकारिता

9.1 वित्तीय वर्ष 2019–20 में सेब उत्पादक किसानों से लगभग 1400 मी0टन से अधिक ए, बी एवं सी ग्रेड का सेब क्रय किया गया तथा कोल्ड स्टोर में सुरक्षित रखे गये 944 मी0टन से अधिक ए ग्रेड सेब का माह फरवरी, 2020 में बाजार में विक्रय किया गया।

9.2 राज्य के युवाओं / युवतियों को रोजगार प्रदान किये जाने के दृष्टिगत रोजगार सृजन हेतु "मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण" योजनान्तर्गत सहकारी बैंकों द्वारा 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत लगभग 1726 महिला एवं पुरूष लाभार्थियों को कुल रू0 23.64 करोड़ का ऋण ई–रिक्शा खरीद हेतु वितरित किया गया है।

9.3 प्रदेश में बहु–उददेशीय सहकारी समिति (एमपैक्स) द्वारा उनके व्यवसाय में विविधता लाने व कृषकों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से नाबार्ड के सहयोग से प्रदेश की कुल 102 एमपैक्सों को "बहु–सेवा केन्द्र" के रूप में विकसित किया जा रहा है।

9.4 जनपद हरिद्वार व देहरादून में संघ द्वारा 9 पैक्स के माध्यम से लगभग 500 एकड़ क्षेत्रफल में कलस्टर आधारित सहकारी खेती के आधार पर मक्का फसल का उत्पादन से लगभग 2500 मी0टन सायलेज तैयार किया जा रहा है, जिसमें कृषकों को अपनी भूमि में मक्का उत्पादन के लिये जुताई, सिंचाई, बीज, खाद्य आदि समस्त व्ययों का भुगतान समिति द्वारा किया जा रहा है।

9.5 दीन दयाल उपाध्याय किसान योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लघु सीमान्त एवं बीपीएल कृषकों को कृषि कार्य हेतु सहकारी समितियों द्वारा ₹ 1.00 लाख तक तथा कृषियेत्तर कार्यों यथा पशुपालन, जड़ी बूटी, सगन्ध पादप, दुग्ध व्यवसाय, जैविक खेती, बैमौसमी सब्जी उत्पादन तथा पॉली–हाउस आदि कार्य हेतु ₹ 3.00 लाख एवं स्वयं सहायता समूहों को ₹ 5.00 लाख तक का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

10. पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

10.1 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड में कुल पशुधन संख्या 44.27 लाख और कुक्कुटों की कुल संख्या 50.19 लाख है।

10.2 वर्ष 2011–12 में दूध का उत्पादन 3.019 कि0ग्रा0 प्रति गाय से बढकर वर्ष 2019–20 में

4.541 कि0ग्रा0 हो गया है। वर्ष 2011–12 में दूध का उत्पादन 4.128 कि0ग्रा0 प्रति भैंस से बढकर वर्ष 2019–20 में 4.737 कि0ग्रा0 हो गया है।

10.3 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम क्षेत्रफल से अधिक उत्पादन हेतु नवीनतम तकनीकी आधारित गतिविधि के रूप में कुल 40 आर०ए०एस० एवं बायोफ्लॉक यूनिटो की स्थापना की जा रही है।

10.4 माह दिसम्बर, 2020 तक 1200 महिला डेरी समितियों में 43692 महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी हुयी है।

10.5 माह दिसम्बर, 2020 तक औसत दैनिक दुग्धोपार्जन 1,62,390 किलोग्राम प्रतिदिन रहा है।

10.6 माह दिसम्बर, 2020 तक औसत तरल दुग्ध बिक्री 1,63, 099 लीटर प्रतिदिन रही है।

11. वन तथा पर्यावरण

11.1 वित्तीय वर्ष 2020–21 में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित तीस हजार सात सौ उनहत्तर है0 में दो करोड़ पौध लगाने के लक्ष्य के सापेक्ष चौबीस हजार आठ सौ छः मात्र है0 में एक करोड़ चौरासी लाख वृक्षारोपण कार्य किया गया।

11.2 FSI Report 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य का Forest Cover 24,303 वर्ग किमी0 है (दिसम्बर 2017 की Satellite Image के आधार पर)। जिसमें राज्य गठन के पश्चात् 1,161 वर्ग किमी0 की वृद्धि हुई है।

11.3 2006 की गणना में बाघों की संख्या 178 थी जो वर्तमान में बढकर 442 हो गयी है एवं हाथियों की संख्या 2020 में बढ़कर 2026 हो गयी है।

11.4 राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 3011.64 लाख ₹ व्यय करते हुए 9.26 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया।

11.5 केन्द्र सेक्टर के अन्तर्गत 2900.22 लाख ₹ व्यय करते हुए 5.10 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया।

11.6 जायका के अन्तर्गत 3967.00 लाख ₹ व्यय करते हुए 5.44 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया।

11.7 उत्तराखण्ड कैम्पा के अन्तर्गत 8020.00 लाख ₹ व्यय करते हुए 19.46 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया।

11.8 नमामी गंगे के अन्तर्गत 488.90 लाख ₹ व्यय करते हुए 1.18 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन किया गया।

12. जल संसाधन एवं प्रबन्धन

12.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमः– भारत सरकार द्वारा संचालित आई.एम.आई.एस वेबसाइट के अनुसार राज्य में दिनांक 01.04.2020 को कुल 38667 बस्तियां है जिसमें पेयजल से 14943 बस्तियां आंशिक सेवित (Partially Covered), 23715 बस्तियां पूर्णतः सेवित (Fully Covered) तथा 09 बस्तियां जल गुणता प्रभावित है।

12.2 भारत सरकार की योजना 'जल जीवन मिशन' में "हर घर नल से जल" के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक समस्त ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू जल संयोजन (FHTCs) उपलब्ध कराना लक्षित है। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नियमित आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। उत्तराखण्ड राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के 14,61,910 परिवारों को वर्ष 2024 तक घरेलू क्रियाशील नल संयोजन (Functional Household Tap Connections-FHTCs) के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति की दर एवं BIS-10500 द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पेयजल आपूर्ति की जानी है।

12.3 नमामि गंगे (सीवरेज सिस्टम) के अन्तर्गत राज्य के 15 नगरों में गंगा नदी की स्वच्छता एंव प्रदूषण की रोकथाम हेतु स्वीकृत ₹ 893.07 करोड़ की 19 योजनाओं में से 16 योजनाओं के अन्तर्गत 31 योजनाओं 129.17 एम0एल0डी0 (मिलियन लीटर प्रति दिन) क्षमता के नये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का निर्माण पूर्ण किया गया है।

12.4 नमामि गंगे योजना के अर्न्तगत उत्तराखण्ड राज्य विगत तीन वर्षों में सर्वाधिक योजनायें पूर्ण कर देश में प्रथम स्थान पर है।

12.5 रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजन के अन्तर्गत वर्षा जल को एकत्र कर संचय करने तथा उसको मनुष्य एवं पशुओं के उपयोग में लाने तथा उससे भू–जल को रीचार्ज करना, वर्षा जल का दोहन (Rain Water Harvesting) है। वर्तमान में 124 शासकीय भवनों में वर्षा जल के दोहन हेतु स्वीकृति प्राप्त कर 109 शासकीय भवनों में कार्य पूर्ण तथा शेष पर कार्यवाही प्रगति पर है।

12.6 सिंचाई विभाग को वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल ₹ 1537.899 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह जनवरी 2021 तक कुल ₹ 1536.00 लाख का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

12.7 महाकुम्भ 2021 हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कुल रू 162.87 का व्यय करते हुये 07 स्नान घाटों का निर्माण, 03 आस्था पथ का निर्माण, 03 सड़कों का निर्माण तथा 01 सेतु का निर्माण किया जा रहा है।

13. उद्योग एवं खनन

13.1 उत्तराखण्ड राज्य सम्पूर्ण भारत के परिपेक्ष्य में निर्यात की दृष्टि से 2019–20 में 19वां स्थान पर है। राज्य से निर्यात भारत के सम्पूर्ण निर्यात का 0.48 प्रतिशत है। कोविड काल में माह अप्रैल से अगस्त 2020 के मध्य ₹ 8624 करोड का निर्यात हुआ है जो कि वर्ष 2019–20 में दर्ज निर्यात ₹ 16971 करोड का लगभग 50 प्रतिशत है।

13.2 राज्य का प्रथम निवेशक सम्मेलन ''डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड'' के द्वारा निवेश क्षेत्रों में 1.24 लाख करोड़ रूपये के कुल 601 एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। माह दिसम्बर, 2020 तक ₹ 25,006.15 करोड़ के 507 परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ हो गया है, जिनमें 62,428 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।

13.3 भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा राज्य के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अधीन बैंकों के माध्यम से 4991 परियोजनाओं में ₹ 96.01 करोड़ का मार्जिन मनी संवितरित किया गया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 40828 का रोजगार सृजन हुआ है।

13.4 वर्ष 2019–20 में खनिजों से कुल ₹ 396.83 करोड़ का राजस्व तथा चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक ₹ 295.53 करोड़ का राजस्व अर्जित करते हुये खनन सेक्टर/व्यवसाय में कई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित कराये गये।

14. श्रम–रोजगार एवं कौशल विकास

14.1 प्रदेश के युवाओं को रोजगार/स्वरोगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सेवायोजन कार्यालयों की सक्रिय पंजिका (Live Register) पर कुल 782890 बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत है। वर्ष 2020–21 में 82700 अभ्यर्थियों का पंजीयन किया गया है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में 16 प्लेसमेन्ट ड्राइव का आयोजन किया गया। इनमें कुल 1426 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिनके माध्यम से 647 युवाओं को रोजगार/प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार हेतु चयन किया गया।

14.2 प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कामगारों की सख्या 206933 है, वही निजी क्षेत्र में कामगारों की संख्या 98848 है। सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजको की संख्या 3099 है तो निजी क्षेत्र में कुल नियोजकों की संख्या 870 है।

14.3 केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (राज्य घटक) का क्रियान्वयन करते हुये आतिथि तक 48,389 युवाओं को पंजीकृत कर 46,759 को कृषि, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, एपेरल, रिटेलए आई0टी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर 33,967 अभ्यर्थियों को प्रमाणित किया जा चुका है, जिनमें से 10,780 युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराये गये। शेष युवाओं को रोजगार से जोड़ने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है। वर्तमान में 1,296 अभ्यर्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

14.3 कोविड–19 महामारी के दृष्टिगत राज्य में लौटे प्रवासियों एवं युवाओं को प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से HOPE Portal विकसित किया गया, जिसका शुभारम्भ दिनांक: 13 मई 2020 को किया गया। पोर्टल में आतिथि तक 31,831 युवाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार/प्रशिक्षण हेतु अपनी योग्यता एवं रूचि के आधार पर पंजीयन किया जा चुका है। वर्तमान में पोर्टल पर 101 नियोजकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 1,895 रिक्तियाँ प्रकाशित की गई है।

15. विद्युत

15.1 पुनर्गठित त्वरित ऊर्जा विकास और सुधार योजना के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के मानकों के अनुसार 04 लाख से अधिक जनसंख्या एवं 35 करोड़ यूनिट से अधिक वार्षिक विद्युत खपत वाले देहरादून नगरीय क्षेत्र में रू0 16.55 करोड़ की धनराशि से SCADA/DMS प्रणाली को विकसित किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य देहरादून नगर की वितरण प्रणाली के अनुश्रवण एवं नियंत्रण हेतु कम्प्यूटर चालित प्रणाली को विकसित करना है।

15.2 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत कुल चिन्हित 6365 नग तोकों/मजरों के सापेक्ष कुल 6091 नग तोकों/मजरों का विद्युतीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष तोकों/मजरों के विद्युतीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है।

15.3 पाईन निडिल एवं अन्य बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन नीति–2018 के अन्तर्गत 1060 किलोवाट सम्मिलित क्षमता की 36 योजनाओं तथा 2 ब्रिकेटिंग प्लाण्ट योजनाओं को स्थापना हेतु आवंटित किया जा चुका है।

16. परिवहन एवं संचार

16.1 राज्य में निर्मित सड़कों की कुल लम्बाई 47 हजार कि0मी0 से अधिक है तथा प्रति लाख आबादी पर 428.58 कि0मी0 की सड़कें निर्मित है। राज्य में ऑनरोड़ पंजीकृत वाहनों की संख्या 30 लाख से अधिक है।

16.2 प्रतिलाख जनसंख्या में सबसे अधिक सडकें टिहरी जनपद में 690 किमी0 तथा अल्मोड़ा में 616 किमी0 है वहीं प्रति हजार वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल में सर्वाधिक सड़कें देहरादून में 1943 किमी0 तथा ऊधमसिंह नगर में 1693 हैं। राज्य की 52 प्रतिशत आबादी देहरादून, हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर में निवास करती है तथा कुल पंजीकृत ऑनरोड वाहनों का 77.68 प्रतिशत वाहन इन्ही तीन जनपदों में हैं परन्तु राज्य में निर्मित कुल सड़क लम्बाई का मात्र 42.43 प्रतिशत सड़कें इन जनपदों में हैं।

16.3 राज्य में अप्रैल 2020 तक लोक निर्माण विभाग के अधीन कुल 37319 कि0मी0 की सड़कें जिसमें 27807.80 कि0मी0 पक्का मोटर मार्ग तथा 9511.20 कि0मी0 कच्चा मोटर मार्ग है।

16.4 प्रदेश में कुल 15745 राजस्व ग्राम है, जिनके सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक 13194

ग्रामों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। अवशेष 2551 ग्रामों में से 1813 ग्रामों हेतु मार्ग स्वीकृत हैं, शेष 738 ग्रामों हेतु विभिन्न चरणों में कार्यवाही गतिमान है।

16.5 जनपद टिहरी में टिहरी झील के ऊपर देश का सबसे लम्बा मोटर झूला पुल डोबरा–चांठी लम्बाई 440 मीटर स्पान का निर्माण कार्य पूर्ण कर यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। टिहरी झील के चारो ओर डबल लेन रोड लम्बाई 234.00 किमी0 का निर्माण भी किया जायेगा।

16.6 जनपद टिहरी गढ़वाल के मुनि की रेती में ''कैलाश गेट के समीप गंगा नदी के ऊपर 310 मीटर स्पान के जानकी सेतु'' का कार्य पूर्ण कर यातायात हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

16.7 मसूरी में मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे माह मार्च 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

16.8 ऋषिकेश शहर में गंगा नदी पर प्रसिद्व लक्ष्मण झूला पुल के विकल्प के तौर पर भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेन्शन सेतु का निर्माण प्रस्तावित है।

16.9 परिवहन निगम द्वारा बाहरी प्रदेशों में फॅसे प्रवासियों को उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न जनपदों में लाने/ले जाने हेतु कुल 5080 बस यात्राऐं कराई गयी एवं कुल 1,34,101 यात्रियों को यात्रा कराई गयी।

16.10 ऋृषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत वर्तमान वीरभद्र स्टेशन तथा योग नगरी ऋृषिकेश स्टेशन के मध्य 5.7 कि0मी0 के प्रथम ब्लॉक सैक्शन 17 मार्च 2020 में संचालन प्रारम्भ हो गया। इसके तहत ऋृषिकेश के बाईपास में एक रेलवे अन्डर ब्रिज तथा ऋृषिकेश–देहरादून मार्ग में एक रेलवे ओवर ब्रिज का निमार्ण कार्य शामिल है।

16.11 इस रेलवे परियोजना के तहत चन्द्रभागा नदी पर तीन ओवर ब्रिज का निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है तथा अलकनन्दा नदी में लक्ष्मोली तथा श्रीनगर में कार्य प्रगति पर है। श्रीनगर, गोचर तथा सिवई में कार्य स्थल तक पहुँच हेतु रोड ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

17. पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन

17.1 प्रदेश के स्थायी निवासियों को पर्यटन सेक्टर में स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से गतवर्षो में "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" तथा "दीन दयाल उपाध्याय होमस्टे अनुदान योजना" संचालित की जा रही है। वर्ष 2020 में "ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम–स्टे अनुदान योजना" प्रारम्भ की गई है इस योजना के अन्तर्गत ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर मुख्य शहर से दूर ऐसे स्थानों पर विकसित किये जायेगें जहां से अधिकतम ट्रेकिंग मार्ग गुजरते हो।

17.2 वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के अन्तर्गत वाहन मद में अनुदान राशि जो कि पूर्व में पूॅजी का 25 प्रतिशत थी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 15.00 लाख किया गया है।

17.3 कोरोना महामारी के कारण इस बार चारधाम यात्रा पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रत्येक वर्ष अप्रैल और मई में प्रारम्भ होने वाली यात्रा इस बार जुलाई–अगस्त माह में भी सीमित संख्या में शुरू हो पायी।

17.4 केदारनाथ धाम, पूरे विश्व की आस्था का केन्द्र है। यहा प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते है राज्य सरकार ने स्थानीय लोगों की आजीविका के लिए नई पहल की है। देवभोग प्रसाद योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इसमें स्थानीय उत्पाद का प्रयोग कर प्रसाद तैयार करवाया जाता है। अकेले केदारनाथ में 1 करोड़ रूपये का प्रसाद महिलाओं द्वारा बेचा गया है। प्रदेश के 625 बड़े मन्दिरों में इस योजना को लागू किया जा रहा है। फलस्वरूप महिलाओं

के साथ–साथ किसानों को भी अच्छी आमदनी हो रही है

17.5 "सुरकण्डा देवी" रोपवे का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्ण कर लिया जायेगा तथा पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को रोपवे की सुविधा प्राप्त होगी वही "पूर्णागिरी देवी" रोपवे का निर्माण अगले वर्ष तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित हैं।

17.6 प्रदेश में वर्ष भर बहने वाली उत्तराखण्ड की नदियों में साहसिक क्रियाकलापों के अन्तर्गत गंगा नदी में कुल 258 रिवर राफ्टिंग फर्मों को संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

17.7 19 नवम्बर, 2020 को पौड़ी के बिलखेत में प्रथम नयार घाटी ऐडवेंचर फैस्टिवल तथा राष्ट्रीय पैरा ग्लाइडिंग ऐक्यूरेसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, महोत्सव में 170 कि0मी0 की माउन्टेन बाइकिंग ट्रैल रनिंग स्पर्धा एवं एंग्लिक जैसी साहसिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया ।

17.8 कोविड–19 महामारी के कारण विश्व में पर्यटन व्यवस्था पर प्रतिकूल एवं ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। चारधाम यात्रा में भी कोविड–19 के कारण वर्ष 2019 में 34 लाख पर्यटकों के सापेक्ष वर्ष 2020 में मात्र 10 प्रतिशत अर्थात लगभग 3 लाख यात्री ही दर्शन करने हेतु आये। कोविड–19 के कारण पर्यटन व्यवसायियों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

18. शिक्षा

18.1 राज्य में प्राथमिक शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात 102.93 है। माध्यमिक विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात (GER) 84.26 तथा ड्राप आउट रेट 8.52 है। माध्यमिक शिक्षा में जेण्डर पेरिटी दर 0.90 है।

18.2 प्रदेश में 14,271 राजकीय विद्यालय हैं जिनमें 4,53,188 विद्यार्थी नामांकित तथा 31,716 शिक्षक कार्यरत है। निजी/प्राइवेट विद्यालय 4,504 हैं, जिनमें 5,58,325 विद्यार्थी नामांकित है।

18.3 वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी के कारण वर्तमान में विद्यालय बन्द चल रहे है जिस कारण मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता (Food Security Allowance FSA) वितरित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत बच्चों को खाद्यान्न (चावल) एवं कुकिंग मूल्य धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2020–21 में कुल 16963 विद्यालयों में कुल 667297 छात्र–छात्राएं नामांकित हैं। मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 में कुल 17837.83 मी0ट0 खाद्यान्न आवंटित किया गया। भोजन बनाने हेतु 25384 भोजनमाताएं कार्यरत हैं। मध्याह्न भोजन योजना की कुल अनुमोदित धनराशि ₹ 205.70 करोड़ है, जिसमें राज्यांश 70.56 करोड़ है।

18.4 साईकिल योजना के अन्तर्गत कक्षा 08 उत्तीर्ण कर कक्षा 09 में मैदानी क्षेत्र में अध्ययनरत छात्राओं को साईकिल खरीद पर अधिकतम ₹ 2850 की प्रतिपूर्ति व पर्वतीय क्षेत्रों में बालिकाओं के नाम पर समतुल्य धनराशि राष्ट्रीयकृत बैक में सावधि जमा की जाती है। वर्ष 2020–21 हेतु ₹ 16 करोड़ की धनराशि प्राविधानित है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में 49353 बालिकायें लाभान्वित होंगी।

18.5 30 सितम्बर, 2020 के अनुसार राज्य में 1404 राजकीय इण्टर कालेज, 335 सहायता प्राप्त इण्टर कालेज, 917 राजकीय हाईस्कूल, 65 सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा 995 असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इस प्रकार कुल 3716 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

18.6 शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, आकर्षक शैक्षिक परिवेश हेतु विद्यालय सौन्दर्यीकरण, शैक्षिक संसाधनों एवं शैक्षिक उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं संस्थाओं में कुशल मानव संसाधनों की उपलब्धता

सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में माध्यमिक स्तर के 02 मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई है। इस प्रकार कुल 190 मॉडल स्कूल वर्तमान में संचालित किये जा रहें है।

18.7 राज्य में वर्तमान में 106 राजकीय महाविद्यालय, 19 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, 12 राजकीय विश्वविद्यालय, 71 राजकीय पॉलीटेक्निक, 01 सहायता प्राप्त तथा 58 निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक संस्थान संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में 06 पॉलीटेक्निक संस्थानों के संचालन हेतु प्रक्रिया गतिमान है। राज्य में 09 फार्मेसी संस्थान सरकारी क्षेत्र में एवं 40 संस्थान निजी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं।

19. स्वास्थ्य

19.1 प्रदेश में दिनांक 18.01.2021 तक कुल 94923 कोविड–19 संक्रमित मरीज पाये गये हैं, जिनमें से 89882 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत 94.69 प्रतिशत है।

19.2 राज्य ने प्रारम्भिक स्तर पर 20 प्रतिशत आबादी को लक्ष्य के आधार पर कुल 40,511 टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जाएगा जिसे राज्य में वर्तमान में कार्यरत 2118 ANM के माध्यम से किया जायेगा।

19.3 सैम्पल रजिट्रेशन सिस्टम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य निर्माण के पश्चात् स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से वृद्वि के कारण जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर infant mortality rate (IMR) में गिरावट हुई है। 2001 में जन्म दर 18.4 तथा मृत्यु दर 7.8 थी जो 2017 में घटकर 16.7 तथा मृत्यु दर 6.2 हो गयी।

19.4 आशा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य के अन्तर्गत कुल 12018 आशा कार्यकत्री कार्यरत है। आशा सर्पोट स्ट्रक्चर में आशा कार्यकत्रियों के कार्यों में सहयोगात्मक सुपरविजन हेतु 606 आशा फैसिलिटेटरों, 101 ब्लाक कोर्डिनेटर व 13 कम्यूनिटी मोबिलाइजर का चयन किया गया है।

19.5 अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत राज्य के समस्त परिवारों को बीमारी के ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष प्रति परिवार ₹ 5 लाख तक का निःशुल्क चिकित्सा उपचार (भर्ती होने की दशा में) उपलब्ध कराया जा रहा है। दिनांक 01 जनवरी 2021 से उत्तराखण्ड के राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों हेतु भी "राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना" संचालित है जिसके अंतर्गत असीमित प्रति वर्ष प्रति परिवार निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा रहा है। राज्य देश का प्रथम राज्य है जिसने अपनी सम्पूर्ण जनसंख्या को इस योजना में शामिल करते हुए 'Universal Health Coverage' प्रदान की है।

19.6 राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अन्तर्गत कोविड–19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के लिये होम्योपैथिक विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर भारत सरकार की गाईड लाईन तथा मा0 मंत्रीमण्डल के निर्णयों के अनुपालन में माह दिसम्बर, 2020 तक लगभग 12,86,091 व्यक्तियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि किये जाने हेतु होम्योपैथिक औषधि Arsenic Album-30 का वितरण किया गया।

19.7 चन्दरनगर, देहरादून में स्थित राज्य के प्रथम नर्सिंग कॉलेज "स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग" के साथ ही 9 नर्सिंग संस्थानों में कुल 1730 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। पांच बेसिक हेल्थ वर्कर महिला ट्रेनिंग सेंटर में 100 प्रशिक्षणार्थी वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

20. महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास

20.1 परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 20033 आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 1249

शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में 18784 केन्द्र संचालित है। राज्य में 20033 आंगनबाड़ी / मिनी केन्द्रों में कुल 33739 कार्यकत्री / सहायिकायें कार्यरत हैं।

20.2 राज्य में वर्ष 2020–21 में 10323 कुपोषित व 1369 अति कुपोषित बच्चे चिन्हित हुए है, जिन्हें ''ऊर्जा'' (स्थानीय आधारित खाद्यान्न) पोषण आहार वितरित किया जा रहा है, ताकि बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाया जा सके। वर्ष 2015–16 से वर्तमान वर्ष तक पिछले 6 वर्षों में कुपोषित व अतिकुपोषित बच्चों की संख्या में कमी आयी है।

20.3 कोविड–19 के कारण आंगनबाडी कार्यकत्रियों द्वारा घर–घर जाकर वर्ष 2020–21 में कुल 177100 महिलाओं एवं किशोरियों को स्वास्थ्य पोषण की जानकारी के साथ–साथ कोविड–19 की भी जानकारी दी गयी।

20.4 राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के उददेश्य से भारत सरकार ''राष्ट्रीय पोषण मिशन ''पोषण''अभियान योजना राज्य के समस्त जनपदों मे संचालित की गयी। जिसके संचालन हेतु आंगनबाडी कार्यकत्रियों को पावर बैंक सहित स्मार्ट फोन वितरित किए गये।

20.5 राज्य पोषित मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना के अन्तर्गत 416 महिला लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर ई–रिक्शा आदि का वितरण किया गया। योजनान्तर्गत राज्य की तेजाब हमले से पीडित महिलाओं / बालिकाओं को सम्मिलित करते हुए सरल रोजगार प्रदान किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

20.6 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत शैक्षिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तराखण्ड बोर्ड की 10वीं व 12वीं में जनपद स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय व 12वीं में विकास खण्ड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 1064 बालिकाओं को टेबलेट / स्मार्टफोन वितरित किए गये।

20.7 किशोरियों में भोजन की आवृति एवं अंतराल की जानकारी न होने के कारण भोजन की कमी को दूर करने हेतु ''पूर्ण श्री (PURNA-Providing Ultra-Rich Nutrition to Adolescent Girls) योजना प्रारम्भ की गयी है।

21. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

21.1 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अन्तर्गत वर्तमान समय में 31851 स्वयं सहायता समूह की 2.54 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर 2694 ग्राम संगठन तथा 138 कलस्टर स्तरीय संगठन का गठन किया गया है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ₹ 46.18 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित किया है, जिसमें कुल 1500 महिला स्वयं सहायता समूहों सहित कुल 9740 स्वयं सहायता समूह को बैंकों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

21.2 प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्तीय वर्ष 2020–21 में जनपद नैनीताल के 47 भूमिहीन परिवारों को माह मई, 2020 में भूमि पट्टा एवं आवास आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में गत वर्षों के निर्माणाधीन क्रमशः 6054 आवासों एवं 760 आवासों को पूर्ण कराया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 13399 आवास निर्माण का लक्ष्य माह नवम्बर, 2020 के अन्त में प्रदान किया गया है, जिसके सापेक्ष कार्यवाही गतिमान है।

21.3 महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के माह दिसम्बर, 2020 तक भारत सरकार द्वारा ₹ 673.65

करोड़ तथा प्रदेश सरकार के राज्यांश हिस्से के रूप में ₹ 46.55 करोड़ अवमुक्त हुआ। 17608 परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाकर 218.43 लाख मानव दिवस सृजित किये गए हैं। राज्य में वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक प्रति परिवार औसत लगभग 37.32 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

21.4 सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) के अन्तर्गत 05 जनपदों चम्पावत, चमोली, पिथौरागढ, ऊधमसिंह नगर एवं उत्तरकाशी के 9 विकासखण्डों को आच्छादित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में भारत सरकार द्वारा क्रमशः ₹ 3244.67 लाख तथा ₹ 4937.76 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। माह दिसम्बर, 2020 तक वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के सापेक्ष क्रमशः ₹ 2755.70 एवं 3103.96 लाख की धनराशि विभिन्न कार्यों में व्यय की जा चुकी है।

21.5 एकीकृत आजीविका सुधार परियोजना के अन्तर्गत रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण में दिसम्बर, 2020 तक कुल 24,398 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। दिसम्बर, 2020 तक कुल 6,501 युवाओं को इन प्रशिक्षणों के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है। 9,616 युवाओं द्वारा स्वरोजगार किया जा रहा है।

21.6 मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के 05 सीमान्त जनपदों के 9 सीमान्त विकासखण्डों में आवासित परिवारों को सतत आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हुए सीमान्त क्षेत्रों में पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा दिया जाना है। योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया जा रहा है। कुल ₹ 20 करोड़ का वित्तीय प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में किया गया है।

21.7 मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2020–21 से किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पलायन तथा ग्राम्य विकास आयोग द्वारा चिन्हित 50 प्रतिशत तक पलायन प्रभावित कुल 474 गांवों में आवासित परिवारों/बेराजगार युवाओं/रिवर्स माइग्रेन्टस आदि को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में क्रियान्वित विभिन्न विभागीय योजनाओं तथा गैप फिलिंग के रुप में इस योजना के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता के माध्यम से पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना है। इस वित्तीय वर्ष में ₹ 18 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

21.8 नई पहल के रुप में राज्य द्वारा आइफैड के वित्तीय सहयोग से दो रुरल बिजनेस इन्क्यूबेटर्स की स्थापना क्रमशः जनपद पौड़ी के दुगड्डा विकास खंड के कोटद्वार तथा जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में की जा रही है।

21.9 ए0पी0जी0 अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत योजना निर्माण हेतु वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 में समस्त 7791 ग्राम पंचायतों में बैठकें आहूत करते हुए योजनायें प्लान प्लस पर अपलोड कर दी गयी है।

22. शहरी विकास एवं आवास

22.1 स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 2020–21 में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के कुल लक्ष्य 27,640 के सापेक्ष 22000 शौचालय पूर्ण निर्मित तथा 5640 शौचालय निर्माणाधीन है। सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय वर्ष में लक्षित 2,000 के सापेक्ष 1408 शौचालय पूर्ण किये गये।

22.2 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत Support to the National Urban Sanitation Policy (SNUSP) के अन्तर्गत कुल 1190 वार्डों में से 1190 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसमें 09 कैन्ट बोर्ड भी सम्मिलित है।

22.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा

ट्रांसपोर्ट नगर, देहरादून में 224 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का निर्माण पूर्ण कर लाभार्थियों को आवंटित कर दिया गया है। आमवाला (तल्ला) देहरादून में 240 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

22.4 उत्तराखण्ड भू–संपदा नियामक प्राधिकरण एक्ट (RERA) के अन्तर्गत राज्य में 299 परियोजनाओं तथा 314 एजेन्टस का पंजीकरण किया जा चुका है तथा अब तक प्राप्त 766 शिकायतों में से 470 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है।

22.5 भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से 1–हरिद्वार–ऋषिकेश–देहरादून मैट्रो लाईट परियोजना, 2–हरिद्वार में पी0आर0टी0 (Personal Rapit Transit) (पॉड टैक्सी) परियोजना, 3– हर–की–पैड़ी से चण्डी देवी मन्दिर तक रोपवे परियोजना, 4– देहरादून में दो रोपवे प्रणाली, 5– ऋषिकेश से नीलकंठ रोपवे परियोजना कार्य प्रस्तावित है।

23. समाज कल्याण

23.1 किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आायु एवं 2 हैक्टेयर तक स्वयं की भूमि पर खेती करने वाले किसानों तथा राज्य के अन्तर्गत ऐसे पट्टेदार किसान जिनके पास विधि सम्मत कृषि पट्टा है एवं स्वयं कृषि कार्य कर रहे हैं, उनको ₹ 1000.00 प्रतिमाह किसान पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 25,850 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

23.2 परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत/विक्षिप्त पति अथवा पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 4592 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

23.3 दिव्यांगजनों हेतु विशिष्ट पहचान पत्र Unique Disability ID (UDID) समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड के सभी दिव्यांगजनों की विशिष्ट पहचान को चिन्हित किये जाने, दिव्यांगजनों हेतु संचालित विभिन्न कल्यार्णकारी योजनाओं का लाभ तत्काल प्रदत्त किये जाने, एकरूपता एवं पारदर्शिता बनाये जाने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यू0डी0आई0डी) बनाये जाने हैं।

23.4 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुख्य कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु होने पर ₹ 20000 की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 179 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

23.5 वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज" के अन्तर्गत राज्य के 2.15 लाख BPL परिवारों को ₹ 1000/– प्रति पेंशनर की दर अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की गयी, साथ ही राज्य सरकार द्वारा पेंशनार्थियों को प्रथम तिमाही किश्त (माह अप्रैल से जून, 2020) जो माह जून में दी जानी थी, को माह अप्रैल, 2020 में वितरित की गयी।

23.6 समाज कल्याण विभाग द्वारा वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान भी भारत/राज्य सरकार द्वारा जारी सामाजिक दूरी के दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए जनपद/विकासखण्ड स्तर पर 81 शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमें 554 नवीन पेंशनर्स को पेंशन स्वीकृति, 108 दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत, 222 कृत्रिम अंगों का वितरण, 434 आधार कार्ड, 492 बैंक खाते एवं 2997 यू0डी0आई0डी0 हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किये गये।

24. खेल एवं युवा कल्याण

24.1 उत्तरकाशी में स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में बेसिक एवं एडवांस पर्वतारोहण, एडवेंचर कोर्स, एम0ओ0आई0 कोर्स, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स संचालित किया जाता है, जिसमें वर्ष 2019–20 में 949 प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में 24 प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

24.2 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप स्पोटर्स कॉलेज, देहरादून में प्रस्तावित 200 मी0 सिन्थैटिक एथलेटिक प्रैक्टिस ट्रैक तथा इंडोर क्रीडा हॉल नवीनीकरण का निर्माण कार्य किया गया।

24.3 वर्तमान में परेड ग्राउण्ड, देहरादून में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल तथा हरिद्वार के रोशनाबाद हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ बिछाये जाने का कार्य किया जा रहा है।

24.4 राज्य स्तरीय साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र शिवपुरी (टिहरी) में विविध साहसिक गतिविधियों, व्हाईट वॉटर, रिवर राफ्टिंग गाईड प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन, फर्स्ट एड आदि का प्रशिक्षित ट्रेनरों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

24.5 एन0एस0एस0 द्वारा जन सामान्य को कोविड–19 में स्वयं के रूप में कार्य करने हेतु युवा शक्ति पोर्टल का निर्माण किया गया, जिसमें लगभग 1.50 लाख स्वयंसेवकों का पंजीकरण किया गया, जिनके माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में व्यापक जन–जागरण का कार्य किया गया।

24.6 एन0एस0एस0 के स्वयंसेवकों द्वारा लगभग 5.5 लाख मास्क तैयार कर वितरित किए गए तथा विभिन्न जनपदों में 06 बड़े मास्क एवं सैनेटाइजर बैंकों की स्थापना की गई।

25. सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान

25.1 राज्य के आई0टी0 (Information Technology) अवस्थापना के साईबर सुरक्षा हेतु तथा राज्य के नागरिकों को साईबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से "Cyber Crisis Management Plan (CCMP)" एवं साईबर सिक्योरिटी नीति तथा सी.आई.आई. "Critical Information Infrastructure (CII)" नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

25.2 ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सम्बन्धित 32 सेवायें प्रदान की जा रही है। ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2.0 का नवीन संस्करण विकसित किया जा रहा है, जिसमें 217 सेवाओं तथा अन्य नागरिक केन्द्रित सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। ई–डिस्ट्रिक्ट / सी0एस0सी0 केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं हेतु नागरिकों के 80.91 लाख आवेदन निस्तारित किये गये हैं।

25.3 वर्तमान में 12317 कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकृत हैं, जिनमें से 8858 कॉमन सर्विस सेंटर क्रियाशील हैं। 7357 सी.एस.सी. ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं हेतु अधिकृत किये गये हैं।

25.4 प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (PMGDISHA) के अन्तर्गत 4.17 लाख ग्रामीणों का पंजीकरण किया गया, जिसके सापेक्ष 3.26 लाख को प्रशिक्षित कर 2.43 लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।

25.5 उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2020 तक 34897 व्यक्तिगत डिजीलॉकर पंजीकृत किये गये, तथा ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं से सम्बन्धित 15.56 लाख प्रमाण पत्र जारी किये गये एवं शिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत 2.72 लाख प्रमाण पत्र डिजीलॉकर के माध्यम से जारी किये गये।

25.6 मुख्यमंत्री डैश बोर्ड 'उत्कर्ष' के अन्तर्गत 32 विभागों के 205 के0पी0आई0 (Key Performance Indicator), 48 प्राथमिकता कार्यक्रम (Priority Program) एवं 86 राज्य प्राथमिकता कार्यक्रम (State Priority Program) की समीक्षा समयबद्ध रूप से की जाती है।

25.7 वर्तमान में सचिवालय/विभिन्न विभागों में ई–ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन की प्रक्रिया गतिमान है। सचिवालय में 55 विभागों एवं 140 अनुभागों में ई–ऑफिस का क्रियान्वयन किया जा चुका है। इसे 39 निदेशालय/जिलाधिकारी कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रमों में भी क्रियान्वित किया गया है।

25.8 'ड्रोन' ऐप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (DARC) के माध्यम से डी0जी0सी0ए0, एस0डी0आर0एफ0, बी0एस0एफ0, सी0आई0 एस0एफ0, कोलकाता पुलिस, वन विभाग तथा उत्तराखण्ड पुलिस इत्यादि हेतु 16 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 347 प्रशिक्षुओं को ड्रोन संचालन हेतु रिमोट पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

25.9 'उत्तराखण्ड ई–गेटपास' के माध्यम से नागरिकों को राजकीय कार्यालयों/परिसरों में अप्वाइंटमेंट हेतु साधारण डिजिटल प्रक्रिया विकसित की गयी है। इस सिस्टम के माध्यम से 71 हजार से अधिक ऑनलाईन पास जारी किये जा चुके हैं।

25.10 यूसैक द्वारा देहरादून में कंटेनमेंट जोन चिन्हित करने में सुगमता के दृष्टिगत कोविड–19 के लिए जियोस्पाशियल ऐप्लीकेशन (Geospatial Application) का सृजन किया गया।

26. राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

26.1 केन्द्र द्वारा यात्रियों एवं पर्यटकों हेतु चारधाम यात्रा मार्गों पर अवस्थित महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं यथा पुलिस थाना, चिकित्सा सुविधा, पैट्रोल पम्प, ए0टी0एम0 तथा होटल/धर्मशालाओं की जानकारी गुगल मैप पर अंकित कर विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करवायी गयी।

26.2 जलवायु परिवर्तन के विभिन्न स्तरों पर पड़ने वाले प्रभावों के आंकलन हेतु जनपद उत्तरकाशी की भागीरथी घाटी, जनपद चमोली की नीती घाटी तथा जनपद पिथौरागढ़ की व्यास व जौहार घाटियों का सर्वेक्षण कार्य किया गया।

26.3 भारत सरकार द्वारा संचालित "स्वामित्व योजना" के अन्तर्गत प्रदेश के 04 जनपद ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल एवं देहरादून को सम्मिलित किया गया है। योजना के प्रथम चरण में दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को कुल 6804 स्वामित्व अभिलेख पत्र वितरित किये गये है।

26.4 टिहरी बांध से पानी छोड़े जाने की स्थिति से प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्र में चेतावनी के प्रसारण के लिए कोटेश्वर व हरिद्वार के मध्य टी0एच0डी0सी0 के सहयोग से पूर्व चेतावनी उपकरणों की स्थापना की गयी है।

अध्याय–2
राज्य आय एवं लोक वित्त
State Income and Public Finances

भूमिकाः– सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे सामान्यतः राज्य आय (State Income) के नाम से भी जाना जाता है, किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदण्ड है। यह अनुमान राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार को प्रदर्शित करता है।

2.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) Gross State Domestic Product (at Current Prices):

वर्ष 2019–20 के अनन्तिम (द्वितीय पुनरीक्षित) अनुमान के अनुसार प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष 2018–19 (पुनरीक्षित) के ₹ 2,36,768 करोड़ की तुलना में ₹ 2,53,666 करोड़ अनुमानित है, जो कि 7.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से योगदान विनिर्माण (36.76%), निर्माण (8.43%), व्यापार होटल एवं जलपान गृह (15.75%) तथा परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण (6.54%) से संबंधित सेवा आदि आर्थिक गतिविधियों को जाता है। राज्य आय के अनुमान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, गैर वित्तीय संस्थाओं, सरकारी, निजी, गैर सरकारी उपक्रमों, स्थानीय निकायों, पारिवारिक उद्यमों आदि की आर्थिक गतिविधियों का आंकलन कर राज्य उत्पाद के आंकड़े तैयार किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2019–20 तक सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) निम्न चार्ट–2.1 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है:–

चार्ट 2.1 : प्रचलित भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)

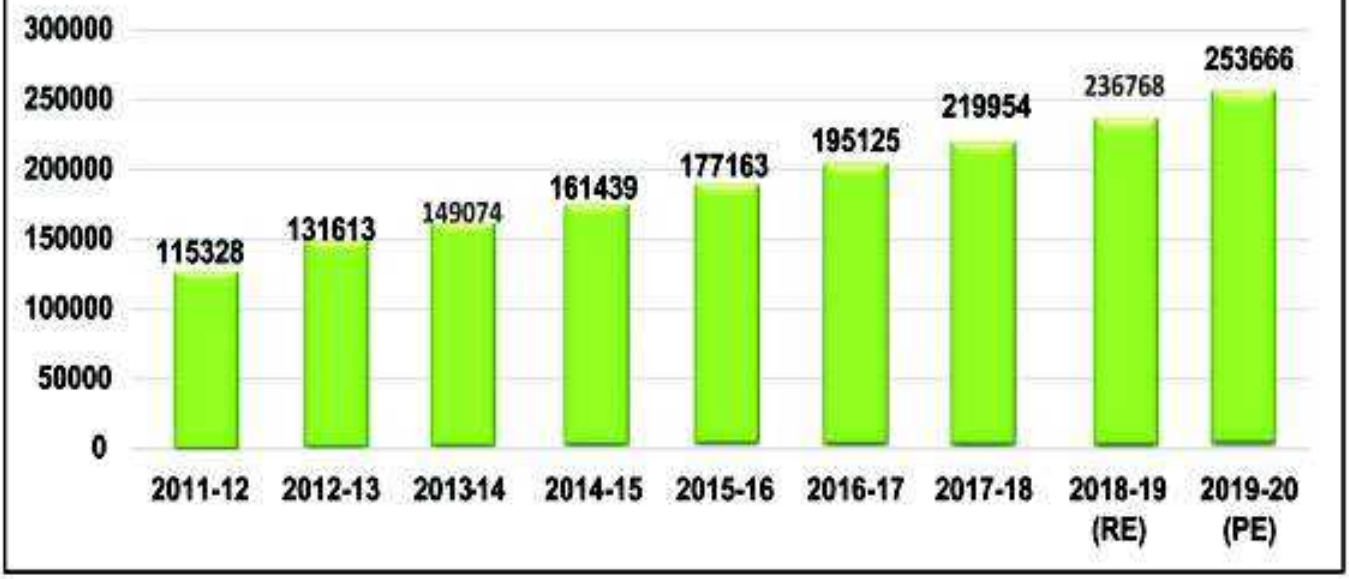

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

2.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव पर) GSDP (at Constant Prices) :

स्थिर भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था की वास्तविक विकास दर को प्रदर्शित करता है। अनन्तिम (द्वितीय पुनरीक्षित) अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019–20 के स्थिर भाव पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद ₹ 1,99,718 करोड़ अनुमानित है, जबकि वर्ष 2018–19 (पुनरीक्षित) में यह ₹ 1,91,484 करोड़ अनुमानित है जो कि प्रदेश के आर्थिक विकास की दर वर्ष 2019–20 में स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011–12) पर 4.30 प्रतिशत दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2019–20 तक सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव पर) निम्न चार्ट–2.2 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है:–

चार्ट 2.2 : स्थिर भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)

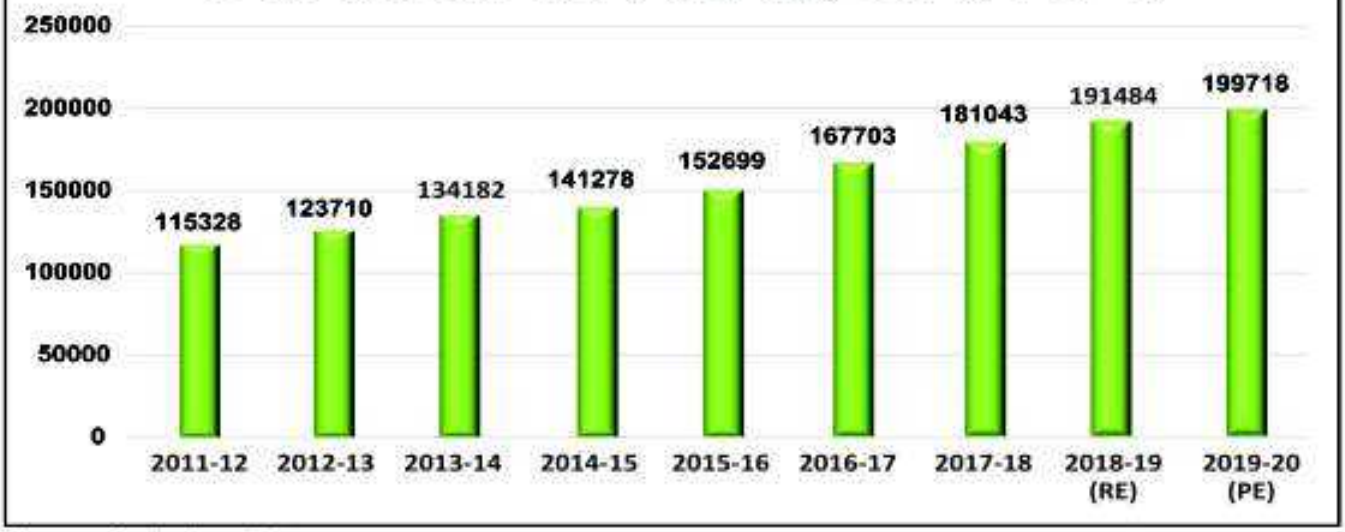

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

2.3 स्थिर भावों पर आधार वर्ष 2011–12 के अनुसार वर्ष 2012–13 से 2019–20 तक की प्रदेश व देश की आर्थिक विकास दर चार्ट–2.3 में दर्शायी गई है:–

चार्ट 2.3 : आर्थिक विकास दर (स्थिर भाव पर)

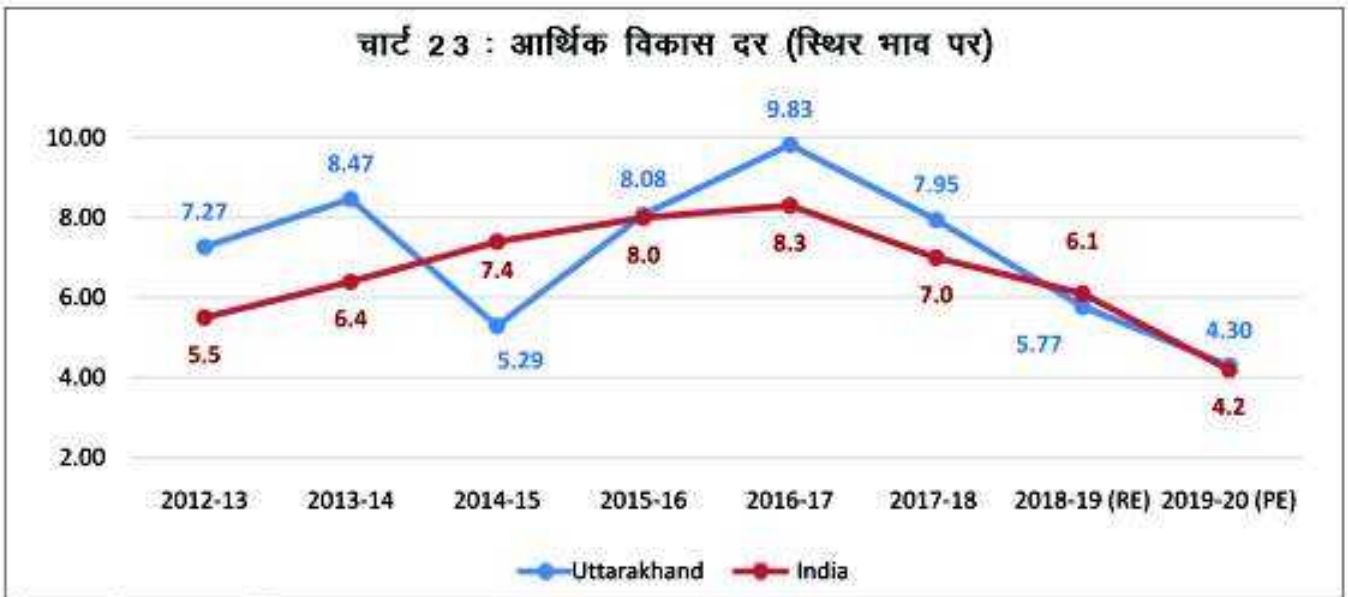

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

2.4 प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income):

राज्य निवल घरेलू उत्पाद (Net State Domestic Product) के आधार पर वर्ष 2019–20 अनन्तिम (द्वितीय पुनरीक्षित) अनुमानों में उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर ₹ 2,02,895 अनुमानित है। भारत की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,34,226 अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2018–19 (पुनरीक्षित) में अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,26,521 जबकि उत्तराखण्ड राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹ 1,91,450 अनुमानित है। वर्षवार प्रति व्यक्ति आय उत्तराखण्ड, हिमाचल एवं भारत का तुलनात्मक चार्ट 2.4 में दिखाया गया है–

चार्ट 2.4 : प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक ग्राफ
(₹ में)

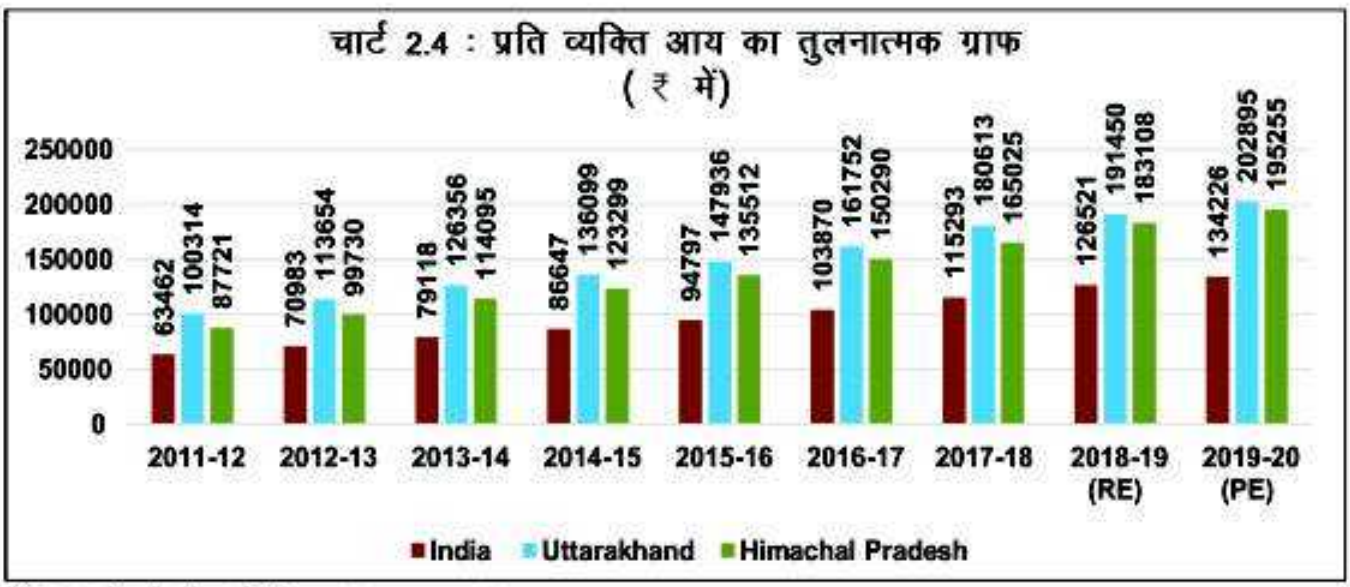

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

2.5 राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान :

राज्य अर्थव्यवस्था के खण्डवार विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2019–20 अनन्तिम (द्वितीय पुनरीक्षित) अनुमान अनुसार राज्य की कुल राज्य सकल मूल्य वर्द्धन (प्रचलित भाव पर) प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का तुलनात्मक योगदान चार्ट 2.5.1 एवं 2.5.2 में दर्शाया गया है:–

चार्ट 2.5.1 : अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भाव पर (प्रतिशत में) वर्ष 2011–12

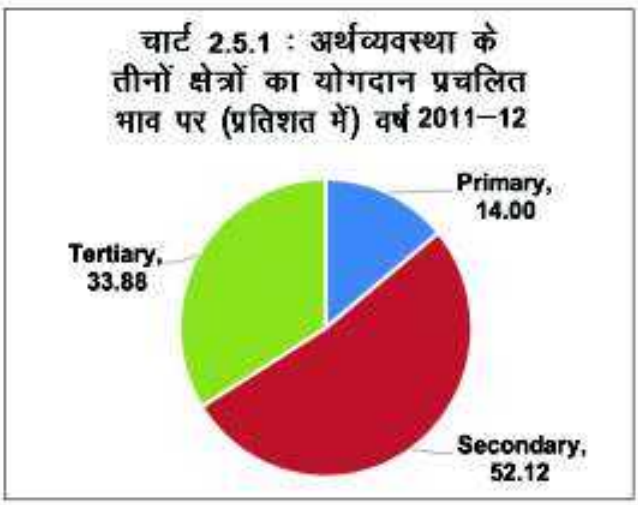

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

चार्ट 2.5.2 : अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भाव पर (प्रतिशत में) वर्ष 2019–20

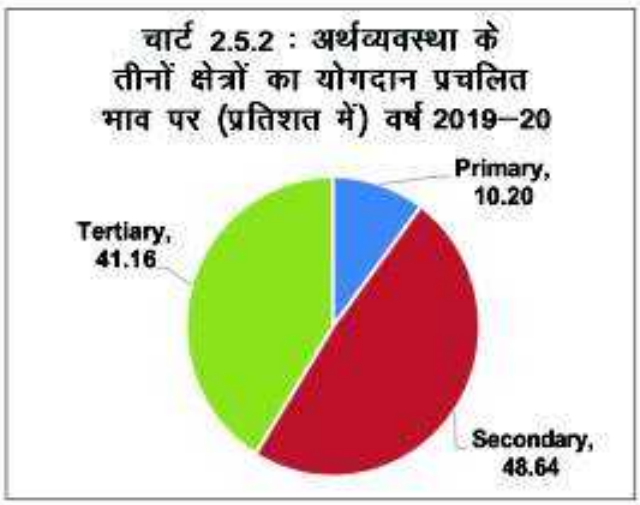

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

2.6 राज्य अर्थव्यवस्था की खण्डवार एवं उप–खण्डवार मूल्य वर्द्धन (Value Addition) एवं वृद्धि दरें :

वर्ष 2019–20 के द्वितीय पुनरीक्षित अनुमान के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को निम्नानुसार तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है।

2.6.1 प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector): प्राथमिक क्षेत्र की विभिन्न मदों की स्थिर एवं चालू मूल्यों पर मद्वार उपलब्धियां (मूल्यवर्द्धन तथा वृद्धि दरें) तालिका–2.1 में प्रदर्शित है:–

तालिका 2.1
स्थिर मूल्यों (2011–12) तथा प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के GDP के अनुमान तथा वृद्धि दरें

प्राथमिक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2019–20		वर्ष 2019–20	स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2011–12) वर्ष 2019–20	
मदे	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
1. कृषि	11088	6.13	46.48	7,120	2.45
2. पशुपालन	6023	2.14	25.25	4,041	2.76
3. वानिकी एवं लठ्ठा बनाना	3260	2.11	13.67	3,036	1.74
4. मत्स्य पालन	70	5.08	0.29	48	5.08
5. खनन तथा उत्खनन	3413	3.13	14.31	3,158	1.27
कुल प्राथमिक क्षेत्र	**23854**	**4.1**	**100.00**	**17,403**	**2.19**

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

उक्त सारणी के अनुसार वर्ष 2019–20 में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत कृषि का योगदान सर्वाधिक 46.48 प्रतिशत रहा है।

2.6.2 द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector): द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण तथा विद्युत गैस जलापूर्ति व अन्य उपयोगी सेवायें सम्मिलित हैं। विनिर्माण के अन्तर्गत खाद्य, कपड़ा, लकड़ी, रबड़, आयरन व स्टील आदि विभिन्न वस्तुओं के विनिर्माण की आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2019–20 में द्वितीयक क्षेत्र की 5.52 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्राथमिक क्षेत्र के खनन् तथा उत्खनन् की आर्थिक गतिविधियों को द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में सम्मिल्लित करने पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थिर भाव पर 5.45 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। स्थिर मूल्यों पर (2011–12) तथा प्रचालित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के मूल्य वर्द्धन के अनुमान तथा वृद्धि दरें तालिका–2.2 में प्रदर्शित है:–

तालिका 2.2

द्वितीयक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2019–20		वर्ष 2019–20	स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2011–12) वर्ष 2019–20	
मदे	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
1. विनिर्माण	85,969	3.89	75.57	73,171	1.89
2. विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	8,074	12.24	7.10	7,023	7.12
3. निर्माण	19,719	10.33	17.33	14,548	7.35
उप योग द्वितीयक क्षेत्र	**1,13,762**	**5.52**	**100.00**	**94,742**	**3.07**
औद्योगिक क्षेत्र	1,17,175	5.45		97,900	3.01

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

उक्त सारणी के अनुसार वर्ष 2019–20 में प्रचलित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत विनिर्माण का योगदान सर्वाधिक 75.57 प्रतिशत रहा है।

2.6.3 तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector): तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण सम्बन्धित सेवाएं व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, वित्तीय सेवाएं, स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं। वर्ष 2019–20 में द्वितीय पुनरीक्षित अनुमान अनुसार समग्र तृतीयक क्षेत्र में 8.54 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। स्थिर मूल्यों पर (2011–12) तथा प्रचालित मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के मूल्य वर्द्धन के अनुमान तथा वृद्धि दरें तालिका–2.3 में प्रदर्शित है:–

तालिका 2.3

तृतीयक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2019–20		वर्ष 2019–20	स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2011–12) वर्ष 2019–20	
मदे	कुल मूल्य वर्द्धन (₹करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
1. परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें (1.1+1.2+1.3+1.4)	**15,283**	**7.38**	**15.88**	**12,050**	**6.23**
1.1 रेलवे	332	5.01	0.34	238	1.39
1.2 सड़क परिवहन	4,820	8.17	5.01	3,883	9.02
1.3 भंडारण	19	0.51	0.02	15	-1.37
1.4 संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	10,112	7.09	10.51	7,914	5.08
2. व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	**36,839**	**12**	**38.28**	**26,615**	**9.19**
3. वित्तीय सेवायें	**6,557**	**10.65**	**6.81**	**4,721**	**-0.63**

4. स्थावर सम्पदा, अवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें	**12,348**	**9.18**	**12.83**	**10,155**	**8.9**
5. लोक प्रशासन	**10,080**	**3.92**	**10.47**	**7,249**	**3.66**
6. अन्य सेवायें	**15,141**	**3.61**	**15.73**	**10,902**	**0.69**
उप योग तृतीयक क्षेत्र	**96,248**	**8.54**	**100.00**	**71,692**	**6.03**

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

उक्त सारणी के अनुसार वर्ष 2019–20 में प्रचलित मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का योगदान सर्वाधिक 38.28 प्रतिशत रहा है।

लोक वित्त (Public Finance)

2.7 प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान आदि हैं। वर्ष 2020–21 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹ 42,439.33 करोड़ है जबकि वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹ 35502.61 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2020–21 (बजट अनुमान) के अनुसार वर्ष 2019–20 की तुलना में 19.53 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.8 राजस्व प्राप्तियों में करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2020–21 (बजट अनुमान) के अनुसार ₹ 22418.10 करोड़ तथा वर्ष 2019–20 (पुनरीक्षित अनुमान) में ₹ 19969.68 करोड़ व वर्ष 2018–19 (वा0) में ₹ 20199.68 करोड़ आंकी गई है। राज्य कर वर्ष 2020–21 (बजट अनुमान) में वर्ष 2019–20 (पुनरीक्षित अनुमान) की अपेक्षा 12.26 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.9 राज्य के करेत्तर राजस्व जिसमें विशेष कर ब्याज प्राप्ति, ऊर्जा परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2020–21 (बजट अनुमान) में ₹ 3539.42 करोड़ आंकी गयी हैं। जो कि वर्ष 2020–21 के कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.34 प्रतिशत हैं।

2.10 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2020–21 (बजट अनुमान) मे ₹ 8657.35 करोड़ आंका गया हैं।

2.11 राज्य करों से प्राप्त आय के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 (बजट अनुमान) अनुसार बिक्री करों से प्राप्त आय ₹ 7355.52 करोड़ आंकी गई है जो कि कुल कर प्राप्ति का 17.33 प्रतिशत है। वर्ष 2019–20 व वर्ष 2018–19 में यह क्रमशः 18.96 व 21.41 प्रतिशत थी। बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2020–21 में राज्य उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय ₹ 3400.00 करोड़ अनुमानित हैं।

2.12 वर्ष 2011–12 से 2019–20 तक राज्य का राजकोषीय घाटा व प्रारंभिक घाटा की तुलना राज्य सकल घरेलू उत्पाद (अर्थव्यवस्था आकार) के सापेक्ष निम्न चार्ट–2.6 के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है:–

चार्ट 2.6 : राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्षवार चित्रण

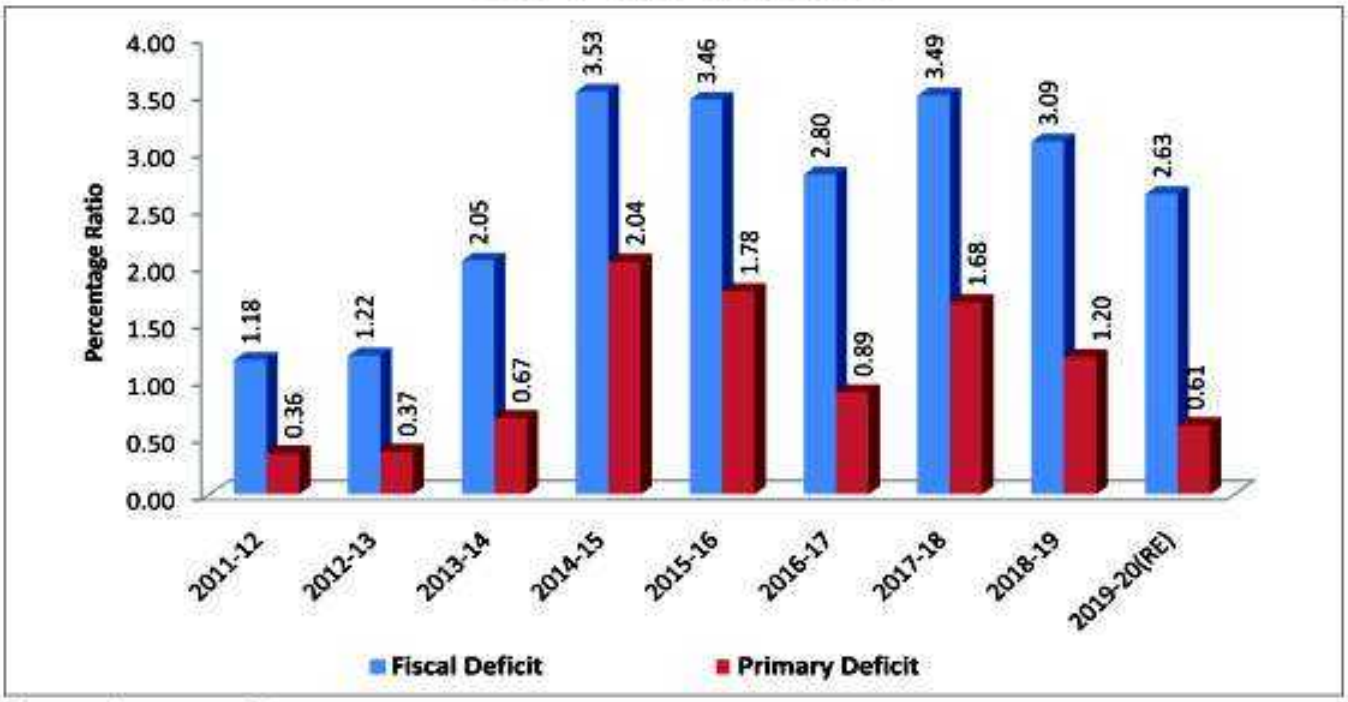

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

क) राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit)– उधार एवं अन्य देनदारियों (Borrowing & other liabilities) को छोड़ते हुये कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय (कर्ज के भुगतान (loan payment) को छोड़कर) को घटाने के उपरान्त जो धनराशि प्राप्त होगी, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं।

ख) प्रारम्भिक घाटा (Primary Deficit)– राजकोषीय घाटा से ब्याज अदायगी की धनराशि को घटाने पर जो धनराशि प्राप्त होगी, उसे प्रारम्भिक घाटा कहते हैं।

2.13 बजट विश्लेषणः– अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष विधानसभा से पारित बजट का विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण मात्र सरकारी क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान ज्ञात करने के लिए नही किया जाता है, अपितु सरकार की विभिन्न स्रोत से आय तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में व्यय का भी विश्लेषण करता है। यद्यपि विधानसभा में प्रस्तुत बजट में भी उक्तानुसार वर्गीकरण किया जाता है किन्तु इस विश्लेषण के माध्यम से आय व व्यय को उनके उददेश्यों के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है न कि मात्र लेखाशीर्षक अनुसार। विभिन्न राज्य स्तरीय अनुमान उदाहरणतः सकल स्थिर पूंजी निर्माण, पूंजी व्यय, कुल बजत आदि का ज्ञात बजट विश्लेषण के माध्यम से ही किया जाता है। वर्ष 2020–21 के बजट विश्लेषण अनुरूप निम्न विभिन्न विश्लेषणों को चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया गया है।

2.14 प्राप्तियों का विश्लेषणः– निम्नलिखित विभिन्न चार्ट के माध्यम से वर्ष 2018–19, वर्ष 2019–20 व वर्ष 2020–21 में आय का विश्लेषण किया गया है। करों का योगदान सबसे अधिक है, जबकि अन्य प्राप्तियों का योगदान सबसे कम है।

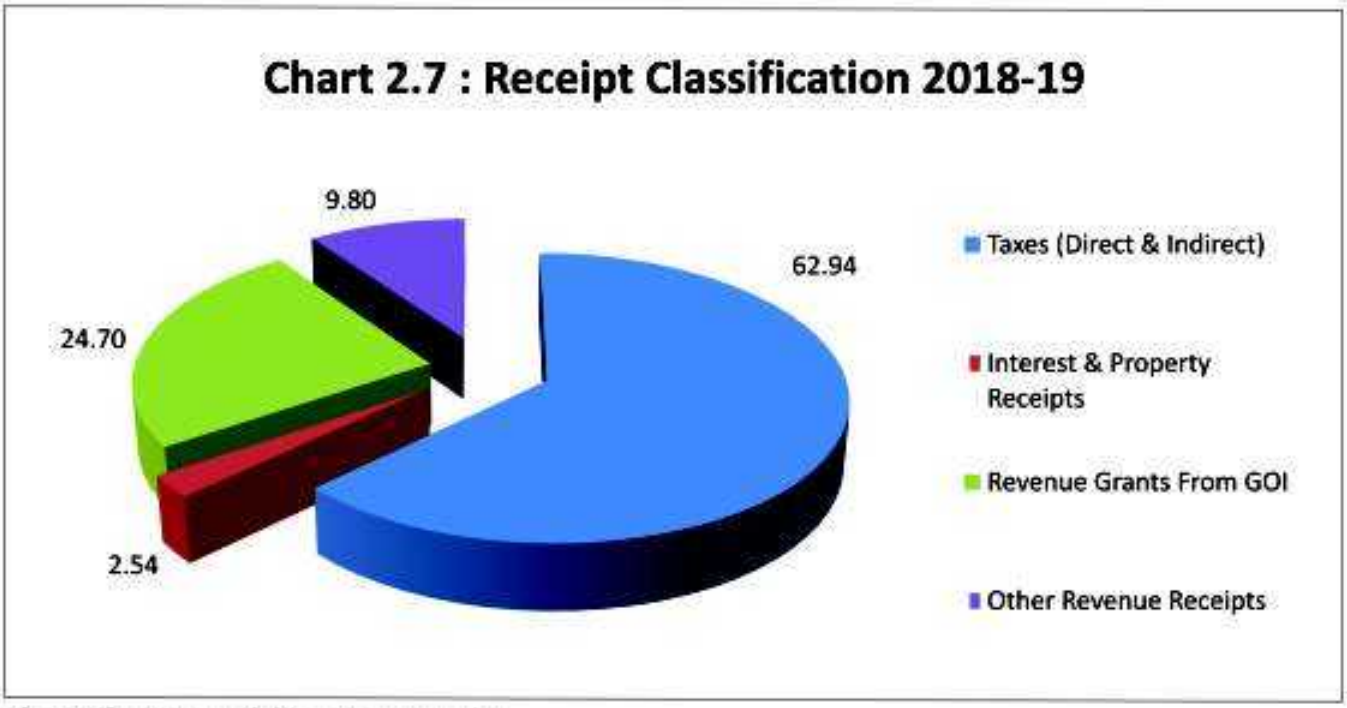

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

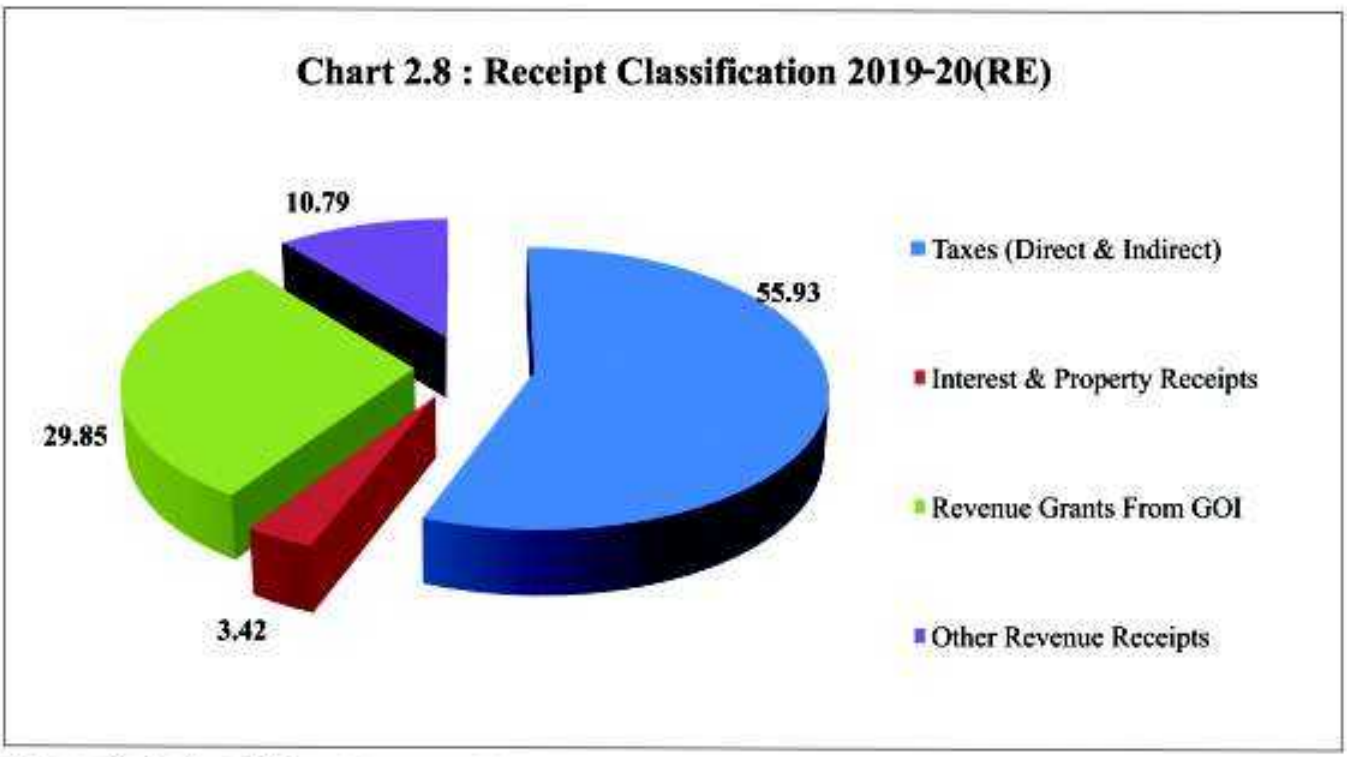

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

Chart 2.9 : Receipt Classification 2020-21(BE)

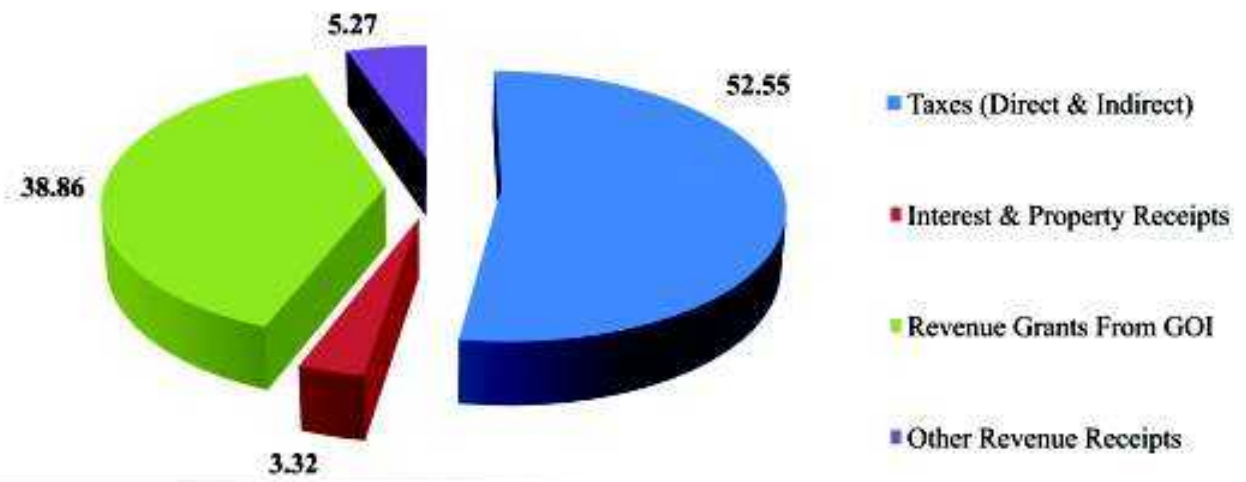

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

2.15 व्यय का विश्लेषणः– निम्न विभिन्न चार्ट के माध्यम से वर्ष 2018–19, वर्ष 2019–20 व वर्ष 2020–21 मे व्यय का विश्लेषण किया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिकता रखते हुये सबसे अधिक धनराशि व्यय की गयी है। यह धनराशि वर्ष 2018–19, वर्ष 2019–20 व वर्ष 2020–21 में क्रमशः 31 प्रतिशत, 30 प्रतिशत व 31 प्रतिशत अनुमानित है। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में भी व्यय को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2018–19, वर्ष 2019–20 व वर्ष 2020–21 में स्वास्थ्य में व्यय का प्रतिशत लगभग 6 प्रतिशत, मात्र अनुमानित है। सामान्य प्रशासनिक सेवाओं में शिक्षा के बाद सबसे अधिक धनराशि व्यय गयी है। व्यय का प्रतिशत वर्ष 2018–19, वर्ष 2019–20 व वर्ष 2020–21 क्रमशः 21 प्रतिशत, 23 प्रतिशत व 21 प्रतिशत मात्र अनुमानित है। आर्थिक गतिविधियों में व्यय का प्रतिशत लगभग 20 प्रतिशत अनुमानित है।

Chart 2.10 : Purpose wise Classification of Expenditure 2018-19

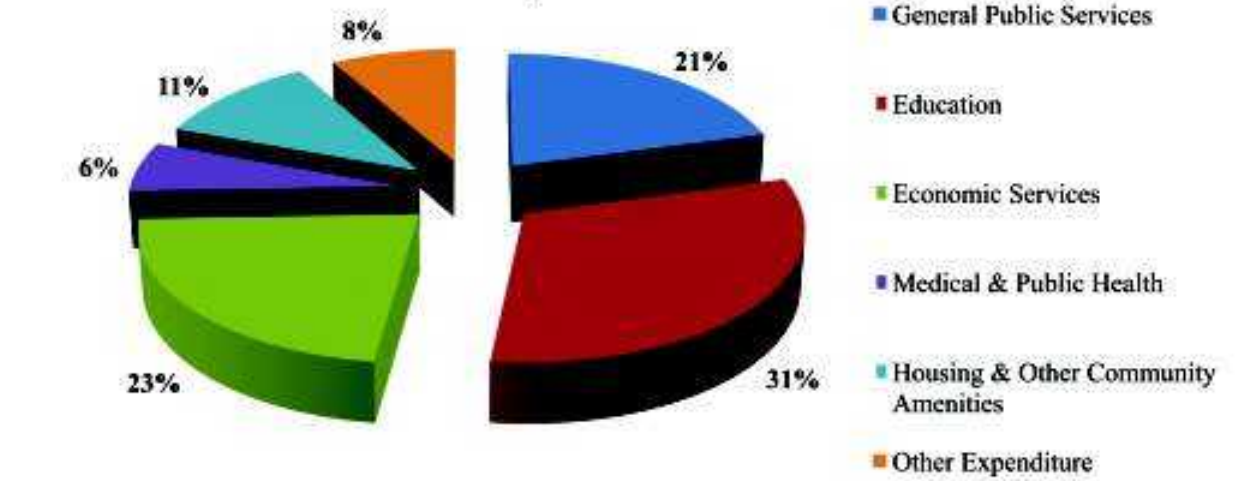

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

Chart 2.11 : Purpose wise Classification of Expenditure 2019-20(RE)

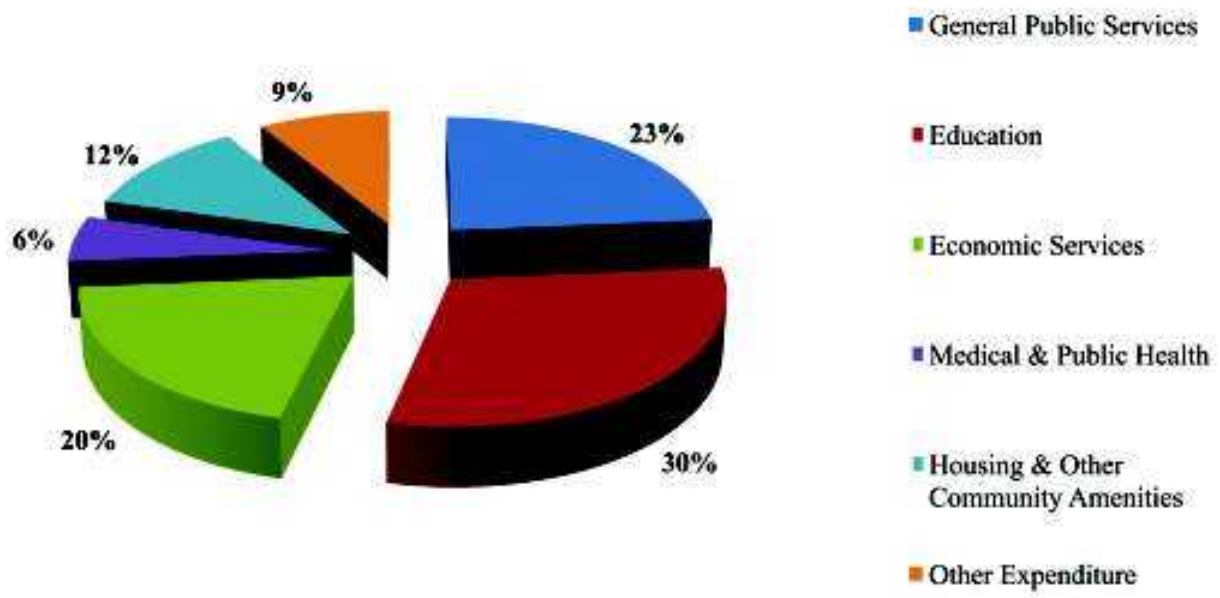

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

Chart 2.12 : Purpose wise Classification of Expenditure 2020-21(BE)

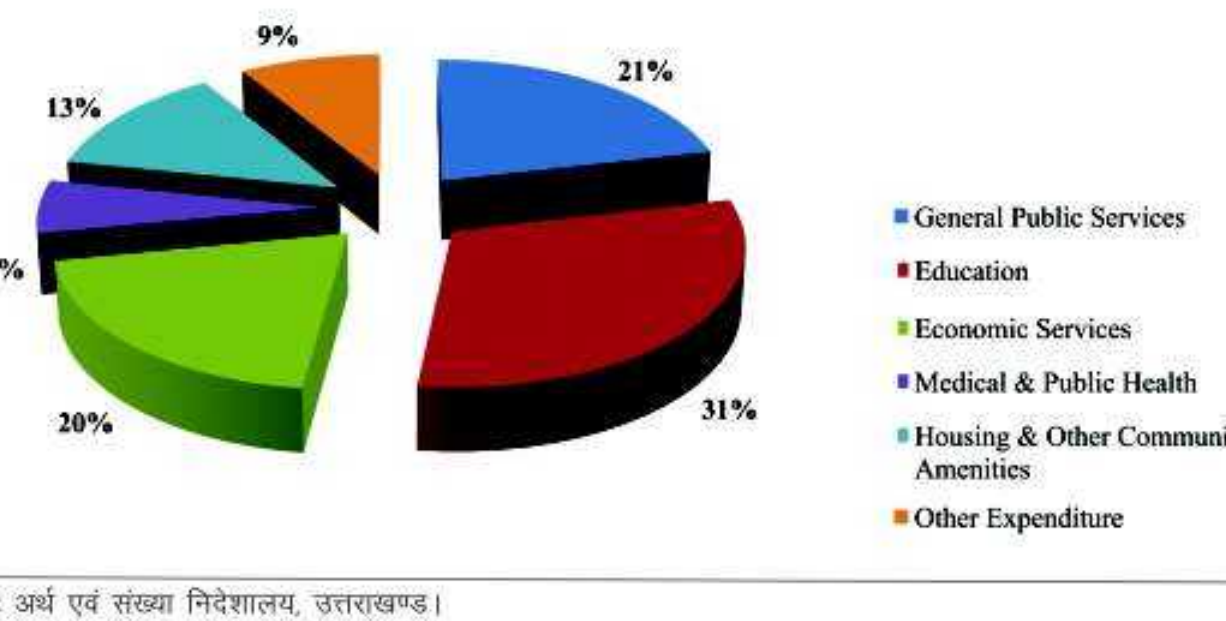

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

अध्याय–3
बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त
Banking and Institutional Finance

'कोविड–19'

- **भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'आत्म निर्भर भारत'** के अन्तर्गत कोविड–19 से प्रभावित व्यवसायियों को राहत देने हेतु ECLGS (ईमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना) के अन्तर्गत ऋण की सुविधा प्रदान की गयी।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत रेहड़ी, ठेला व्यवसायियों (STREET VENDORS) को रूपये 10000 की ऋण सहायता बहुत ही न्यूनतम ब्याज दर पर उपलब्ध करायी गयी।
- कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य से मत्स्य उत्पादन में विस्तार हेतु 'प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना' तथा डेयरी से जुड़े कृषकों हेतु 'के0सी0सी0' की ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गयी।
- तनावग्रस्त ऋणों के पुनर्वास हेतु आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार ऋण सुविधा प्रदान की गयी। इसके अन्तर्गत एम0एस0एम0ई0 प्रोमोटेर्स को उनके अंश का 15 प्रतिशत अथवा रूपये 75 लाख, जो भी किश्त AUDITED BALANCE SHEET के अनुसार कम हो, उसकी ऋण सुविधा प्रदान करने का प्राविधान किया गया।
- कोविड–19 के तहत बैंको द्वारा स्वच्छता मापदंड को बनाये रखने के लिए प्रत्येक शाखा में सेनीटाईजर की व्यवस्था, मास्क का उपयोग व दो गज की दूरी का पालन करने के मानकों को लागू किया गया। 29.02.2020 को सभी मानक सावधि ऋणों को 01 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की 6 माह की अवधि के पुर्नभुगतान (ईएमआई) का अधिस्थगन किया गया जिससे कोविड–19 से प्रभावित इस वर्ग के ऋणियों को राहत मिल सके। कैश क्रेडिट धारक खाते धारी हेतु ब्याज प्रक्रिया को DEFER किया गया। DIGITAL MODE पर Focus किया गया जिससे अधिक से अधिक लेनदेन ऑनलाइन सम्पादित किया जा सके।

आत्म निर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारम्भ की गयी। जिसके तहत ₹ 10000 तक के ऋण ठेला, रेहड़ी वालों को प्रदान करना शुरू किया गया एवं बैंकों द्वारा 30.11.2020 तक 5714 लाभार्थियों को 5.72 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत किये गये। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बैंकों द्वारा 05.12.2020 तक 1918 लाभार्थियों को 65.35 करोड़ रूपये का ऋण स्वीकृत कर स्वरोजगार के मार्ग को प्रशस्त किया गया।

आत्म निर्भर भारत योजना के तहत 5714 रेहड़ी वेंडरों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 1918 लाभार्थियों को रोजगार सृजन में सहायता प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त मुद्रा ऋण, होम स्टे, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली, स्वरोजगार योजनाओं के तहत रोजगार सृजन का अवसर प्रदान किया गया। कृषकों हेतु के0सी0सी0 के तहत वित्तीय सहायंता प्रदान की गयी तथा उसमें डेयरी एवं मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को भी शामिल किया गया।

इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा विभिन्न सेक्टरों के लिए राहत स्कीमों के तहत व्यवसायियों एवं कारोबारियों हेतु कारोबार के आकार के आधार पर एम0एस0एम0ई0 में मानक खातों (STANDARD ACCOUNTS) को ECLGS (ईमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना) ऋण लेने का विकल्प दिया गया एवं योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 30.11.2020 तक 64,123 व्यवसायों को कुल रूपये 1715 करोड़ का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया गया।

3.1 वर्ष 2020–21 में 30 सितम्बर, 2020 तक राज्य में कुल 2,370 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है जिनमें से 47.84 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों, 23.92 अर्द्धशहरी क्षेत्रों तथा 28.23 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। वर्तमान में 1,134 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 567 शाखाएं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 669 शहरी क्षेत्र में स्थित हैं।

3.2 जनगणना, 2011 के अनुसार राज्य में प्रति शाखा औसत जनसंख्या 4,256 है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 11,271 है। सितम्बर, 2020 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल 1,456 शाखाओं का नेटवर्क है। एस.बी.आई की सबसे ज्यादा 443, पी.एन.बी. की 329 और बैंक ऑफ बड़ोदा की 135 शाखाएं हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का 338 शाखाओं का नेटवर्क हैं। शेष शाखायें अन्य बैंकों से सम्बन्धित है।

3.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) अर्थात् उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक को एस.बी.आई. बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया है, जिसमें सितम्बर, 2020 तक कुल 289 शाखाओं का नेटवर्क है। सहकारी बैंक के 274 शाखाओं का जनपदीय तथा 15 शाखाओं का राज्य स्तरीय अर्थात् कुल 289 शाखाओं का नेटवर्क हैं। जनपद स्तरीय सहकारी बैंकों का रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत को छोड़कर, शेष 10 जनपदों में मुख्यालय है तथा राज्य स्तरीय बैक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, रूद्रप्रयाग को छोड़कर, शेष 09 जनपदों में कार्यरत है। उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक की समस्त शाखाएं पूर्णतः सी.बी.एस. प्रणाली पर कार्यरत हैं। उत्तराखण्ड सहकारी बैंक सहकारी क्षेत्र में नेशनल फाईनेंशियल स्विच से जुड़ने वाला देश का पहला बैंक है, जिसके द्वारा बैंक के खाता धारक देश के किसी भी स्थान पर विद्यमान सभी प्रमुख बैंकों के ए0टी0एम0 का प्रयोग कर सकते हैं। बैंक के खाता धारक ए0टी0एम0, एन0ई0एफ0टी0, आर0टी0जी0 एस0, रूपे कार्ड, आदि के माध्यम से कहीं भी धनराशि का हस्तांतरण कर सकते हैं।

3.4 जिलेवार बैंक शाखाओं के प्रसार के संदर्भ में देहरादून जिले में सबसे अधिक 589 बैंक शाखाएं तथा बागेश्वर में सबसे कम 52 बैंक शाखाएं हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा 30 सितम्बर, 2020 तक 2,770 ए.टी.एम. स्थापित किए गए हैं।

बैंकवार राज्य में बैंकों की स्थिति निम्न तालिका–3.1 में दी गयी है–

तालिका 3.1
30 सितम्बर, 2020 की स्थिति अनुसार

S. No.	Name of the Bank	No. of Branches				Total No. of ATM's	C.D RATIO	Total No. of Jan Dhan Accounts	Percentage of Aadhar Seeding
		R	SU	U	Total				
1	State Bank of India	274	61	108	443	834	44	665517	74.78
2	Punjab National Bank	157	80	92	329	508	48	565170	85.11
3	Bank of Baroda	54	32	49	135	202	51	533215	87.22
A	**Total Lead Banks**	**485**	**173**	**249**	**907**	**1544**	**46**	1763902	**78.00**
4	Union Bank of India	41	40	42	123	204	38	159428	79.95
5	Canara Bank	50	46	48	144	161	55	134037	82.25
6	Central Bank of India	8	12	22	42	22	29	39205	86.67
7	Punjab & Sind Bank	16	12	16	44	42	42	28582	73.52
8	UCO Bank	19	24	14	57	52	40	71409	82.72
9	Indian Overseas Bank	20	11	14	45	46	41	68443	75.14
10	Bank of India	11	14	10	35	39	59	72838	98.41
11	Indian Bank	9	26	18	53	25	53	81901	78.89
12	Bank of Maharashtra	0	1	5	6	5	49	6086	85.80
B	**Total Non-Lead Banks**	**174**	**186**	**189**	**549**	**596**	45	661929	**75.00**
C	**Total N. Banks (A + B)**	**659**	**359**	**438**	**1456**	**2140**	46	2425831	**76.81**
13	Uttarakhand G.B	216	41	29	286	2	42	220584	84.17
14	U.P. Gramin Bank	1	0	0	1	0	45	1323	93.35
D	**Total R.R.B.**	**217**	**41**	**29**	**287**	**2**	42	221907	**83.24**
15	Co-operative Bank	166	61	62	289	101	58	99613	64.09
E	**Total Cooperative**	**166**	**61**	**62**	**289**	**101**	58	99613	**64.09**
F	**Total (C+D+E)**	**1042**	**461**	**529**	**2032**	**2243**	47	2747351	**78.09**
16	Nainital Bank	41	24	19	84	1	61	27616	77.28
17	Axis Bank	11	18	23	52	149	54	5619	75.79
18	ICICI bank	4	14	20	38	124	67	3652	111.52
19	IDBI Bank	10	13	8	31	65	45	9101	67.09
20	HDFC Bank	11	19	20	50	114	98	11935	35.73
21	The J & K Bank	0	0	3	3	0	72	784	88.43
22	Federal Bank Ltd	0	0	1	1	1	41	79	79.41
23	Indusind Bank	1	1	9	11	21	49	768	101.93
24	The Karnataka bank	0	1	3	4	6	56	995	38.29
25	The South Indian Bank Ltd	0	0	1	1	1	49	10	100.00
26	Standard Chartered Bank	0	0	1	1	1	0	0	0.00
27	Yes Bank	5	4	8	17	17	100	91	44.83
28	Kotak Mahindra	0	3	7	10	9	52	251	55.21

29	BANDHAN BANK	0	5	7	12	6	103	0	0.00
30	UJJIVAN FINANCIAL SERVICES	0	1	3	4	4	15	0	0.00
31	UTKARSH MICRO FINANCE	9	3	5	17	6	17	0	0.00
32	IDFC Bank	0	0	2	2	2	121	0	0.00
G	**Total Private Bank**	**92**	**106**	**140**	**338**	**527**	67	**60901**	**71.62**
H	**Total All Bank (F+G)**	**1134**	**567**	**669**	**2370**	**2770**	50	**2808252**	**81.00**

स्रोतः एस0एल0बी0सी0, उत्तराखण्ड।

तालिका 3.2
उत्तराखण्ड में जनपदवार बैंकों का ऋणःजमा अनुपात

वर्ष / Year 30 Sept. 2020					(Amt in Crores)		
S. No.	Name of the District	जनसंख्या Population (2011 के अनुसार)	कुल बैंक शाखाओं की संख्या	शाखा प्रति औसत जनसंख्या	जमा धनराशि Total Deposit	कुल ऋणः वितरण Total Advances	ऋणः जमा अनुपात C:D Ratio
1	Dehradun	1696694	589	2881	59262	22854	39
2	Uttarkashi	330086	66	5001	2267	923	41
3	Haridwar	1890422	285	6633	21851	17250	79
4	Tehri	618931	136	4551	5382	1559	29
5	Pauri	687271	193	3561	9132	2086	23
6	Chamoli	391605	96	4079	3750	2750	73
7	Rudra Prayag	242285	56	4327	2179	458	21
A	**Total G.M**	**5857294**	**1421**	4122	**103823**	**47878**	**46**
8	Almora	622506	146	4264	6114	1369	22
9	Bageshwar	259898	52	4998	2018	487	24
10	Pithoragarh	483439	107	4518	4842	1897	39
11	Champawat	259648	59	4401	2458	678	28
12	Nainital	954605	257	3714	16977	7070	42
13	USNagar	1648902	328	5027	15082	15637	104
B	**Total K.M**	**4228998**	**949**	4456	**47491**	**27138**	**57**
C	**G. TOTAL**	**10086292**	**2370**	4256	**151313**	**75017**	**50**

स्रोतः एस0एल0बी0सी0, उत्तराखण्ड।

3.5 तालिका–3.2 से स्पष्ट है कि जनपद देहरादून, पौडी एवं नैनीताल में सबसे अधिक बैंकिग आच्छादित हुआ है, तथा जनपद हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं बागेश्वर में सबसे कम बैंकिग आच्छादित हुआ है। जबकि ऋण–जमा अनुपात सबसे अधिक जनपद ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार तथा चमोली में है। सबसे कम ऋण–जमा अनुपात रूद्रप्रयाग, अल्मोड़ा एवं पौड़ी में हैं।

3.6 30 सितम्बर, 2020 तक राज्य के बैंकों ने आर. बी.आई. द्वारा निर्धारित 6 राष्ट्रीय मानकों की तुलना में 3 राष्ट्रीय मानकों, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम,

कमजोर वर्ग ऋण तथा महिला ऋण को अर्जित किया है। वर्तमान में बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र जैसे कृषि, एम.एस.एम.ई., शिक्षा ऋण, आवास ऋण, लघु ऋण आदि गतिविधियों को करने के लिए कुल ऋण का 52 प्रतिशत ऋण बढ़ाया गया है।

3.7 बैंकों द्वारा बढ़ाए गए कुल ऋण में से 17.06 प्रतिशत कृषि अग्रिम राशि का भाग है। 24.99 प्रतिशत ऋण सूक्ष्म लघु उद्यम में से 17.40 प्रतिशत सेवा क्षेत्र एवं 7.59 प्रतिशत निर्माण क्षेत्र में ऋण दिया गया है तथा 10.24 प्रतिशत अन्य क्षेत्र में ऋण दिया गया है। बैंको द्वारा कुल ऋण में से कमजोर वर्गो तथा महिलाओं को क्रमशः 13.96 प्रतिशत तथा 10.08 प्रतिशत अग्रिम वितरण किया गया है जो कि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत है। सितम्बर, 2020 तक ऋण–जमा अनुपात 55 प्रतिशत रहा। ऋण वितरण की स्थिति नीचे तालिका–3.3 में दर्शायी गई है–

तालिका 3.3
राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्र	अग्रिम प्रतिशत 30.09.2019	अग्रिम प्रतिशत 30.09.2020	राष्ट्रीय मानक प्रतिशत
1.	प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	54.89	52.29	40
1.1	कृषि ऋण	17.58	17.06	18
1.2	सूक्ष्म लघु उद्यम ऋण	26.49	24.99	
1.3	निर्माण क्षेत्र	8.36	7.59	
1.4	सेवा क्षेत्र	18.14	17.40	
1.5	अन्य क्षेत्र	10.82	10.24	
2.	गैर प्राथमिक क्षेत्र	45.11	47.71	
3.	कुल अग्रिम	100	100	
4.	कमजोर वर्ग ऋण	12.30	13.96	10
5.	महिला ऋण	7.71	10.08	5
6.	डी0आई0आर0 ऋण	0.03	0.01	1
7.	जमा एवं अग्रिम अनुपात	57.00	55.00	60
8	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति ऋण (पी.एस.सी.)	4.21	3.66	
9	अल्पसंख्यक ऋण (पी.एस.सी.)	9.57	10.10	

स्रोतः एस0एल0बी0सी0, उत्तराखण्ड।

वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

3.8 राज्य के समाजार्थिक विकास हेतु वित्तीय समावेश का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय समावेशीय योजनाएं संचालित की जा रही है जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है–

(क) प्रधानमंत्री जन–धन योजना (PMJDY) बैंको द्वारा इस योजना के आरम्भ (28.08.2014) से लेकर 30 सितम्बर, 2020 तक 28,08,252 खाते खोले गये है, जिसमें से 21,39,010 (76.17%) खाता धारकों को रुपे (Rupay) डेबिट कार्ड जारी किये गये है तथा 21,58,307 (81.26%) खातों को आधार संख्या से जोड़ा गया है।

(ख) प्रधान मंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पहल प्रधानमंत्री जन–धन योजना के कार्यान्वयन के द्वितीय चरण के अन्तर्गत भारत सरकार ने गरीबों तथा साधारण व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में 03 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शुरू किया है जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:–

i) प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04. 2020 से 30.09.2020 तक 17,88,416 ग्राहकों को नामांकित किया गया है।

ii) प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) प्रधान मन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2020 से 30.09.2020 तक 3,96,735 ग्राहकों को नामांकित किया गया है।

iii) अटल पेंशन योजना (APY) अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा 2,32,551 ग्राहकों को नामांकित किया है। इसके अतिरिक्त बैंक वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान द्वारा Financial Literacy Centres आयोजित करके लक्षित समूहों के नामाकंन को गति प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित किया गया है।

(ग) प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) बैंकों द्वारा उत्तराखण्ड में सितम्बर, 2020 तक चालू वित्त वर्ष 2020–21 में इस योजना के अन्तर्गत 50,367 नए सूक्ष्म उद्यमियों को ₹ 746.60 करोड़ के नए ऋण स्वीकृत किये गये है।

(घ) स्टैण्ड अप भारत योजना (Stand Up India Scheme) इस योजना के अन्तर्गत कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता या कम से कम एक महिला उधारकर्ता को ₹ 10.00 लाख से ₹ 1.00 करोड़ तक का ऋण बैंकों द्वारा नए उद्यम को स्थापित करने के लिए दिया जाता है (इसे ग्रीन फील्ड उद्यम भी कहा जाता है)। सितम्बर, 2020 तक इस योजना के अर्न्तगत बैंकों द्वारा 2167 नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए ₹ 442.16 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

3.9 आर.बी.आई. रोडमैप 2013–20 उत्तराखण्ड में 2000 से नीचे की आबादी के साथ सभी बैंक रहित गांवो में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार सितम्बर, 2020 तक आर.बी.आई. रोडमैप के अन्तर्गत ब्रिक और मोर्टार शाखा तथा व्यवसाय प्रतिनिधि (जिन्हें बैंक मित्र कहा जाता है) में समाविष्ट किया जाना है। बैंकों का लक्ष्य जिन गांवों की जनसंख्या 2,000 से कम है, को बैंक मित्रों के माध्यम से समाविष्ट करना है। उत्तराखण्ड में सभी 2,150 SSA को समाविष्ट कर लिया गया हैं। वित्त सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के जन धन दर्शक ऐप के अनुसार उत्तराखण्ड में वर्तमान में कोई भी गॉव बैंकिंग सुविधा से वंचित नहीं हैं।

बैंकों की व्यापारिक मात्रा

3.10 राज्य के सभी बैंको द्वारा 30 सितम्बर, 2019 से 30 सितम्बर, 2020 तक जमा मे ₹ 1,36,335 करोड़ से ₹ 1,51,313 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 74.73 प्रतिशत, आर.आर.बी. का 3.85 प्रतिशत, सहकारी बैंकों का 7.03 प्रतिशत, तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का 14.37 प्रतिशत योगदान रहा है। बैंकों द्वारा जमा राशि में वर्ष दर वर्ष 10.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल अग्रिमों में सितम्बर, 2019 से सितम्बर, 2020 तक ₹ 77,913 करोड़ से ₹ 82,569 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार

सितम्बर, 2020 तक बैंकों द्वारा ऋण राशि में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 5.98 प्रतिशत रही।

3.11 सितम्बर, 2020 तक राज्य में बैंकों का कुल कारोबार ₹ 2,33,882 करोड़ पार कर गया तथा वर्ष दर वर्ष वृद्धि 9.16 प्रतिशत रही। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने अपनी हिस्सेदारी से 70.47 प्रतिशत की भागीदारी से बाजार व्यापार पर अधिकार किया। तुलनात्मक आंकड़े नीचे तालिका 3.4 में दर्शाए गए है–

तालिका 3.4
उत्तराखण्ड में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क.सं.	मद	30.09.2019	30.09.2020	सितम्बर 2019 से सितम्बर, 2020 में परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष)	
				सम्पूर्ण	प्रतिशत
1.	**जमा राशि (पी.पी.डी.)**				
1.1	ग्रामीण	38,342	41,473	3,131	8.17
1.2	शहरी/अर्ध शहरी	97,992	1,09,840	11,848	12.09
1.3	**कुल (1.1+1.2)**	**1,36,335**	**1,51,313**	**14,978**	10.99
2.	अग्रिम (ओ/एस)				
2.1	ग्रामीण	23,811	25,455	1,644	6.90
2.2	शहरी/अर्ध शहरी	54,101	57,114	3,013	5.57
2.3	**कुल (2.1+2.2)**	**77,913**	**82,569**	**4,656**	5.98
3.	**कुल बैंकिंग व्यापार (जमा+अग्रिम) (1.3+2.3)**	**2,14,247**	**2,33,882**	**19,635**	9.16
4.	बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बांड/प्रतिभूतियों में निवेश	1,913	4,771	2,858	149.40
5.	जमा उधार अनुपात थरोट कमेटी के आधार पर	57%	55%	-2%	-2%
6.	**प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से:**	**32,828**	**33,480**	**652**	**1.99**
	(i) कृषि	10,515	10,921	**406**	**3.86**
	(ii) एम.एस.ई.	15,845	16,002	**157**	**0.99**
	(iii) ओ.पी.एस.	6,468	6,558	**90**	**1.39**
7.	गरीबों को अग्रिम	7,358	8,937	**1,579**	**21.46**
8.	डी.आर.आई.अग्रिम	19.41	4.81	**-14.60**	**-75.22**
9.	अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम	26,977	30,549	**3,572**	**13.24**
10.	शाखाओं की संख्या	2,359	2,370	**11**	**0.47**
11.	महिलाओं के लिए अग्रिम	4,608	6,455	**1,847**	**40.08**
12.	अल्प–संख्यकों को ऋण	5,724	6,465	**741**	**12.95**
13.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अग्रिम	2,516	2,342	**-174**	**-6.92**

स्रोतः एस0एल0बी0सी0, उत्तराखण्ड।

3.12 सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयनः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Programme): इस योजना के अन्तर्गत राज्य में के. वी.आई.सी. (Khadi & Village Industries Commission) / के.वी.आई.बी. (Khadi & Village Industries Board) तथा डी.आई.सी. (District Industries Centre) द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के अनुदान राशि के वार्षिक लक्ष्य ₹ 39.77 करोड़ की तुलना में सितम्बर, 2020 तक ₹ 12.08 करोड़ की प्रगति दर्ज करते हुये 30.37 प्रतिशत की प्रगति दर्ज की गयी।

ख) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कार्यक्रम (National Urban Livelihood Mission): इस योजना में शहरी गरीबों को सम्मिलित किया गया है। बैंको को चालू वर्ष में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 772 के सापेक्ष सितम्बर, 2020 तक 331 लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया।

ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livlihood Mission): चालू वर्ष में सितम्बर, 2020 तक 2701 स्वंय सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अर्न्तगत ₹ 49.16 करोड़ की सहायता स्वीकृत की गई।

घ) डेयरी उद्यमी विकास योजना (Dairy Entrepreneurship Development Scheme-DEDS): नाबार्ड ने केन्द्रीय प्रायोजित सरकारी योजनाओं जिनको भारत सरकार पूंजी अनुदान में देती है के अन्तर्गत डेयरी उद्यमी विकास योजना को शुरू किया है। सितम्बर, 2020 को समाप्त अर्धवार्षिक में इस योजना के अर्न्तगत 52 नए उद्यमियों को बैंकों द्वारा ₹ 73.09 लाख वितरित किए गए।

ड़) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): 30 सितम्बर, 2020 तक बैंकों द्वारा योजना की शुरूआत से जरूरतमंद किसानों को कुल 6,05,072 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं, जिसमें से इस वित्तीय वर्ष में 40,070 नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये है।

च) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (Rural Self Employment Training Institutes): राज्य के 13 जिलों में अग्रणी बैंक जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, पी0एन0बी0,बैंक ऑफ बड़ोदा ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर.एस.ई. टी.आई.) का गठन किया है। सितम्बर, 2020 तक बैंकों द्वारा अब तक कुल 1570 ग्रामीण युवाओं को ऋण सम्बद्धता के साथ–साथ स्वयं निरन्तर विकास के लिए लाभकारी उपक्रमों को अपनाने हेतु प्रशिक्षत किया है। उक्त कार्यक्रमों में से चयनित कौशल विकास कार्यक्रमों को नाबार्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
(National Bank for Agriculture & Rural Development):

'कोविड–19 से सम्बन्धित पहल (Initiatives)'

उत्तराखण्ड पलायन आयोग द्वारा दिनांकः 02 नवम्बर, 2020 को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कोविड के कारण 3.50 लाख से ज्यादा प्रवासी लौट कर आये हैं। इनमें से सितम्बर, 2020 तक 19% अपने काम पर लौट गये हैं और शेष अपने घरों में हैं। राज्य सरकार ने कई प्रकार की योजनाओं द्वारा इन प्रवासियों को अपने घर पर रहकर अपनी आजिविका शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। नाबार्ड ने भी कोविड–19 के दौरान कुछ विशेष पहल की गयी हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

(i) **विशेष तरलता सहायता (Special Liquidity Scheme):** पूरे भारतवर्ष में ₹ 30000 करोड़ के क्रेडिट का आवंटन किसानों को उनके द्वारा किये जा रहे कृषि सम्बन्धी कार्यों को बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से करने हेतु किया गया है। इस क्रेडिट सहायता के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक को ₹ 150 करोड़ जारी किये गये हैं।

(ii) **वाटर, सेनिटेशन एवं हाईजीन (WASH) प्रोग्रामः** नाबार्ड ने भारत सरकार के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के दौरान उच्च जीवन स्तर को सतत् रूप से बनाये रखने के प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2020–21 के दौरान ₹ 800 करोड़ की यह पुनर्वित स्कीम प्रारम्भ की है। इस स्कीम के तहत नाबार्ड सभी पात्र वित्तीय संस्थाओं (वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों सहित) को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु ऋण देगा।

(iii) **वाटरशैड एवं वाडी प्रोजेक्टस हेतु विशेष पुनर्वित स्कीम (एसएफएस):** नाबार्ड द्वारा स्थापित वाटरशैड एवं वाडी प्रोजेक्टस के क्षेत्रों में प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक क्षेत्र से सम्बन्धित गतिविधियों हेतु अतिरिक्त आर्थिक सहायता सभी पात्र बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को 3% की दर पर दीर्घकालीन पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने का प्राविधान किया गया है। इस स्कीम से कृषि क्षेत्रों में पूंजी विनिर्माण बढ़ेगा।

(iv) **माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इन्टरप्राईजेज को बढ़ावा देने हेतु विशेष पुनर्वित स्कीमः** यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन अवसर उपलब्ध कराने हेतु जिसमें विशेष फोकस महिला उद्यमियों एवं एसपायरेशनल जिलों पर होगा। यह स्कीम एग्री वैल्यू को बढ़ाने एवं सुदृढ़ करने के लिए बनाई गयी है। लाभार्थियों को रियायती दरों पर ऋण मिलेगा तथा बैंको को ऋण के सापेक्ष पुनर्वित्त सहायता मिलेगी।

3.13 ग्रामीण अवस्थापना निधि (Rural Infrastructure Development Fund RIDF)

भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में वर्ष 1995–96 में ग्रामीण संरचना विकास निधि की स्थापना की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए रियायती ऋण दिये जाते हैं। किसी स्थान से सम्बन्धित विशेष संरचना ढांचे के विकास, जिसका सीधा असर समाज व ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था पर हो, को भी सम्मिलित किया गया है।

3.14 ग्रामीण आधार संरचना विकास (आर0आई0डी0एफ0) निधि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है, 1995–96 में इसकी शुरूआत से ही, यह राज्य सरकारों की साझेदारी में नाबार्ड के एक प्रमुख सहयोगी के रूप में उभरा है। इस हेतु केन्द्रीय बजट में वार्षिक आवंटन हर वर्ष जारी रखा गया है। प्रारम्भ में आर0आई0डी0एफ0 निधि का उपयोग राज्य सरकार की सिंचाई क्षेत्र की अधूरी पड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता रहा है। परन्तु समय के साथ–साथ इस निधि के उपयोग से वित्तीय सहायता को क्षेत्र विस्तृत करके 37 कार्यकलापों जिनमें कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र,

प्राथमिक शिक्षा, पशुधन क्षेत्र, सिंचाई, सामाजिक क्षेत्र, पेयजल तथा ग्रामीण सम्पर्क सम्बन्धित आधारभूत कार्यकलापों को सम्मिलित किया गया है। इस निधि के अन्तर्गत वर्ष 1995–96 में आर0आई0डी0एफ–1 में ₹ 2,000 करोड़ का बजट प्रावधान था जो अब बढ़कर आर0आई0 डी0एफ0 XXVI (वर्ष 2020–21) में ₹ 30,000 करोड़ हो गया है।

3.15 आर0आई0डी0एफ0 निधि के अन्तर्गत राज्य को 30 सितम्बर, 2020 तक 4050 परियोजनाओं को लागू करने के लिए ₹ 9183.56 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें से मुख्यतः ग्रामीण सड़कें, पुल, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, पशुपालन आदि की परियोजना शामिल हैं। 30 सितम्बर, 2020 तक आर0आई0डी0एफ0 निधि के अन्तर्गत कुल मिलाकर ₹ 7552.62 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

3.16 दिनांक 30.09.2020 तक स्वीकृत की गई इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद 21 लाख से अधिक लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, 13195 किलोमीटर मोटर योग्य सड़के, 26805 मीटर स्पैन पुलों के निर्माण तथा 186303 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

3.17 नाबार्ड अवस्थापना विकास सहायता (नीडा): नाबार्ड द्वारा इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में पिटकुल के ₹ 82.32 करोड़ के दो प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये हैं।

3.18 खाद्य प्रसंस्करण निधि (FPF): नाबार्ड ने राज्य में पतंजलि द्वारा मेगा फूड पार्क स्थापित करने हेतु 36.80 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं।

3.19 प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना (PMKSY) के अन्तर्गत माइक्रो इरीगेशन फंड (MIF):

राज्य सरकार इस फंड के अन्तर्गत नाबार्ड से ऋण ले सकती है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 हेतु नाबार्ड को भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में ₹ 14.84 करोड़ स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3.20 डेयरी प्रसंस्करण और आधारभूत संरचना विकास निधि (Dairy Infrastructure Development Fund):

दुग्ध प्रसंस्करण की आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण और उसमें वृद्धि तथा मूल्यवर्धन के उद्देश्य से और साथ ही प्राथमिक उत्पादकों तथा इष्टतम मूल्य की वसूली सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2017–18 में नाबार्ड में ₹ 8,004 करोड़ की समूहनिधि विकास निधि (डीआईडीएफ) की स्थापना की। इस निधि का उपयोग 05 वर्षों की अवधि में किया जाना है। इस फंड के उपयोग हेतु उत्तराखण्ड तथा नाबार्ड के बीच एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।

3.21 मत्स्य पालन और जलचर पालन आधारभूत संरचना विकास निधि / Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDE):

केन्द्रीय बजट 2018–19 में इस निधि के सम्बन्ध में की गयी घोषणा के अनुसरण में भारत सरकार ने कुल ₹ 7,522 करोड़ की समूहनिधि से मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) की स्थापना की। इस निधि का कार्यान्वयन 05 वर्षों (2018–19 से 2022–23) की अवधि के दौरान किया जाना है। नाबार्ड ऋण प्रदाता नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, और राज्य सरकारों के माध्यम से सार्वजनिक आधारभूत घटकों, जैसे मछली पकड़ने के बन्दरगाह, मछलियों को उतारने के केन्द्र विकसित करने, राज्य में मछली बीज फार्मों के आधुनिकीकरण, आधुनिक मछली बाजारों, रोग निदान प्रयोगशालाओं, जलीय संगरोध सुविधाओं और प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना के निर्माण

जैसी विभिन्न निवेश गतिविधियों के लिए ₹ 2,600 करोड़ तक की निधि प्रदान करेगा। राज्य सरकार द्वारा उक्त फंड का उपयोग कर मत्स्य पालन को व्यापक बढ़ावा दिया जा सकता है।

3.22 पुनर्वित्त सहायता (Re-Finance Support):

ग्रामीण आवास, लघु सड़क परिवहन चालकों, भूमि विकास, लघु सिंचाई, डेयरी विकास, स्वयं सहायता समूह, कृषि यंत्रीकरण, मुर्गी पालन, वृक्षारोपण एवं बागवानी, भेड़/बकरी/सुअर पालन, पैकिंग एवं अन्य क्षेत्रों में ग्रेडिंग इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए पुनर्वित्त सहायता स्वरूप नाबार्ड द्वारा बैंकों को ₹ 185.33 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2020–21 के दौरान 31 दिसम्बर, 2020 तक दी गयी। इसके अतिरिक्त नाबार्ड ने सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधनों को सप्लीमेंट करने के लिए वर्ष 2015–16 में एक नया फंड ''दीर्घावधि ग्रामीण ऋण फंड'' शुरू किया गया है इस योजना के अधीन वर्ष 2020–21 में 31 दिसम्बर 2020 तक ₹ 72.56 करोड़ वितरित किये गये हैं। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए ₹ 810.00 करोड़ की ऋण सीमा एस0टी0 (एस0ए0ओ0) (Short Term Seasonal Agriculture Operation) के अन्तर्गत स्वीकृत की थी तथा बैंकों द्वारा ₹ 88.00 करोड़ का पुनर्वित्त नाबार्ड से लिया गया है।

3.23 सूक्ष्म ऋण (Micro Finance):

उत्तराखण्ड में 31 मार्च, 2020 तक 16354 स्वयं सहायता समूहों और 45546 संयुक्त देयता समूहों को क्रेडिट लिंक किया गया है। देश के सभी एसएचजी को ई–बुक किपिंग प्लेटफॉर्म पर लाने के प्रयासों के अन्तर्गत डिजीटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। यह योजना राज्य के 06 जिलों (चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल तथा ऊधमसिंह नगर) में चल रही है तथा दिनांक 31.12.2020 तक 4004 एसएचजी का डिजीटाइजेशन किया जा चुका है।

3.24 जलागम विकास निधि:

जलागम विकास निधि के अन्तर्गत चल रही 10 परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गयी राशि ₹ 1031.32 लाख में से ₹ 726.48 लाख वितरित किये गये हैं। सभी परियोजनाओं में लगभग 8763 हेक्टेयर भूमि और 5790 परिवारों को सम्मिलित किया गया है। इन परियोजनाओं से न केवल पानी की उपलब्धता बढ़ेगी बल्कि इनसे प्राकृतिक संरक्षण, खेती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने के साथ–साथ चारागाहों के घटते आकार को रोकने और इसे बढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे राज्य में पशुधन से सम्बन्धित कार्यकलापों को भी लाभ पहुंचेगा।

3.25 जनजातीय विकास निधि के माध्यम से जनजातीय लोगों का विकास:

नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड ने जनजातीय विकास निधि के अन्तर्गत 07 परियोजनाओं में कुल वित्तीय सहायता ₹ 1,320 लाख हैं, जिसमें 3,728 परिवारों को समाविष्ट किया गया है। इन गाँवों में छोटे उद्यानों और डेयरी इकाईयों की स्थापना करना है। इसके अन्तर्गत आम, नींबू और नाशपाती के पौधे लगाये गये हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत छोटे उद्यानों और डेयरी के माध्यम से जनजातियों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने का अवसर मिलने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं के तहत 31 दिसम्बर, 2020 तक ₹ 1061.00 लाख वितरित किये गये हैं।

3.26 किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन (FPO):

भारत सरकार ने वर्ष 2019–20 के बजट में 10000 एफपीओ के बनाने एवं पोषण हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की

स्कीम की घोषणा की है जो अगले 05 वर्ष के दौरान क्रियान्वित की जायेगी। स्कीम के उचित क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करने हेतु दो अलग क्रेडिट गारंटी फंड (₹ 1000 करोड़ का फंड नाबार्ड के पास एवं ₹ 500 करोड़ एनसीडीसी के पास) बनाये गये हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य में 45 क्लस्टर बनाये जाने हैं, इनमें से 20 नाबार्ड द्वारा, 15 एनसीडीसी द्वारा शेष 10 एस0एफ0ए0सी0 द्वारा बनाये जाने हैं।

3.27 उत्पादक संगठन विकास निधिः

उत्तराखण्ड में उत्पादक संगठन विकास निधि (पी0ओ0डी0एफ0) की संख्या पांच है तथा ₹ 215.00 लाख की राशि स्वीकृत की गयी, जिसमें भेड़, बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन, विपणन, बीज उत्पादन, बैग, स्वेटर, बड़ी एवं मसालों का उत्पादन है।

(क) नाबार्ड ने प्रोड्यूस फंड (Produce Fund) के तहत 52 कृषक उत्पादक संगठन जिसमें सभी 13 जिलों के 705 गॉवों के 17578 किसान (मुख्यतः छोटे और सीमांत) शामिल हैं, बनाये गये हैं। इन कृषक उत्पादक संगठनों को सहकारी/कम्पनी एक्ट के अधीन पंजीकृत किया है। ये कृषक उत्पादक संगठन कई प्रकार की सफल गतिविधियों यथा कृषि, विपणन, मधुमक्खी पालन, डेयरी, जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े हैं।

(ख) नाबार्ड के आईडी–फंड के तहत भी 38 कृषक उत्पादक संगठन बनाये गये हैं जिनमें से 24 पंजीकृत हो गये हैं।

(ग) नाबार्ड की सब्सिडयरी नैबकिसान फाइनेंस लि0 द्वारा एफपीओ को जीवनपर्यन्त आधारित क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्रदान किये गये हैं।

3.28 ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र (Rural Non-Agriculture sector):

नाबार्ड ने गैर कृषि क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादों के विपणन और उत्पादन के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त नाबार्ड युवाओं के लिए कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है तथा साथ ही मास्टर शिल्पकार के प्रशिक्षण तथा रूडसेटी (Rural Development and Self Employment Training Institute) जैसी संस्थायें ग्रामीण युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देती हैं ताकि उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार मिल सके और वे आय–सृजक गतिविधियां शुरू कर सकें। 31 दिसम्बर, 2020 तक चार आर0एस0ई0टी0आई0 ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, पिथौरागढ़ एवं नैनीताल जिलों में ₹ 42.17 लाख की प्रतिपूर्ति अनुदान सहायता तथा विभिन्न विषयों के 125 प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु स्वीकृति दी गयी है, जिससे 3303 लोग लाभान्वित होंगे।

3.29 निवेश ऋण (Investment Credit) सब्सिडी स्कीमः

(क) नाबार्ड 01 अप्रैल 2014 से एकीकृत कृषि आधारभूत संरचना योजना (ISAM) की उपयोजना कृषि विपणन आधारभूत सुविधा (AMI) के अन्तर्गत सब्सिडी का प्रबन्धन करता रहा है जो कि अब बंद कर दी गयी है, भारत सरकार ने विपणन योग्य कृषि सम्बन्धी अधिशेष को प्रभावी रूप से प्रबंधन के लिए विपणन सम्बन्धी बुनियादी ढांचे के विकास एवं फसल कटाई में प्रयुक्त होने वाली नवप्रवर्तनशील नई तकनीकों को बढ़ावा देने हेतु एक AMI योजना जो 22 अक्टूबर, 2018 से 31 मार्च 2021 तक क्रियाशील है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न वर्गो के लाभार्थियों हेतु 50 MT से 10000 MT की क्षमता के कृषि गोदामों एवं अन्य कृषि मूलभूत संरचना के निर्माण हेतु 33.33/25 प्रतिशत की सब्सिडी

(₹ 1.33 करोड़) प्रदान की जा सकती है। बिना भण्डारण गतिविधियों जैसे ग्रेडिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता परीक्षण, प्रणालीकरण, मूल्य संर्वधन सुविधायें इत्यादि हेतु भी सब्सिडी देने का प्राविधान है। मिनी ऑयल मिल और एक्सपेलर के लिए भी इस योजना में सब्सिडी उपलब्ध है।

(ख) बेहतर मवेशी और दूध प्रबन्धन द्वारा राज्य में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और ग्रामीण लोगों के लिए स्व– रोजगार के अवसर प्रदान करना, उनकी आय के स्तर को बढ़ाने और दूध उत्पादन में भी वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार की डी0ई0डी0एस0 (Dairy Entrepreneurship Development Scheme) योजना को शुरू किया गया था। स्कीम वर्ष 2020–21 के लिए बंद है। स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के दावे के सापेक्ष दिनांक 01.04.2020 से 31.12.2020 तक 647 लाभार्थियों को ₹ 317.08 लाख का अनुदान जारी किया गया है।

(ग) इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा प्रायोजित दो अन्य योजनायें– कृषि क्लिनिक और कृषि व्यापार केन्द्र योजना और राष्ट्रीय पशुधन मिशन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और सुअर पालन, राज्य में संचालित की जा रही है जिनके लिए नाबार्ड के माध्यम से अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2020–21 के दौरान 31 दिसम्बर, 2020 तक कृषि क्लिनिक और कृषि व्यापार केन्द्र योजना के अन्तर्गत 46 लाभार्थियों को ₹ 293.37 लाख का अनुदान दिया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के दौरान 31 दिसम्बर, 2020 तक ₹ 139.77 लाख का अनुदान दिया गया है।

3.30 उत्तराखण्ड में जलवायु परिवर्तन के लिए नाबार्ड की पहलः–

(क) नाबार्ड को यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेन्शन ऑन क्लाइमेंट चेंज के अन्तर्गत स्थापित अनुकूलन निधि (Adaption Fund) एवं भारत सरकार द्वारा स्थापित जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (National Adaptation Fund For Climate Change) के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई तथा ग्रीन क्लाइमेंट फंड (GCF) के लिए डायरेक्ट एक्सेस इकाई (National implementing Entity) नामित किया गया है।

(ख) अनुकूलन निधि के तहत, उत्तराखण्ड में ₹ 5.36 करोड़ की लागत वाली एक जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजना चम्पावत जिले में एनआईई (National Implementing Entity) नाबार्ड एवं कार्यकारी इकाई–बी0ए0आई0एफ0 द्वारा निष्पादित की जा रही है, जिससे लगभग 800 परिवार लाभान्वित होने सम्भावित है। इस परियोजना के तहत 31 दिसम्बर, 2020 तक लगभग ₹ 4.12 करोड़ की वित्तीय सहायता वितरित की गयी है।

3.31 वर्ष 2020–21 के दौरान जारी महत्वपूर्ण स्कीम/पहल

1) पैक्स एक बहुउद्देशीय सेवा केन्द्र (PACS as MSC):

पैक्स को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कुछ उचित विकल्प हैं जैसे कि व्यवसाय का विविधिकरण, उपक्रमों के लिए रास्ते तलाशने एवं संसाधनों की उचित व्यवस्था कराना आदि हैं। इसी उद्देश्य के लिए नाबार्ड पैक्स को एमएससी के रूप में परिवर्तित करने हेतु विशेष पुनर्वित्त स्कीम वर्ष 2020–21 में लागू की है। इस योजना के तहत राज्य सहकारी बैंकों को 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से (समय–समय पर परिवर्तित) तथा पैक्स से नाबार्ड द्वारा वसूले गये ब्याज से 1 प्रतिशत से

ज्यादा ब्याज नहीं वसूला जायेगा। इस स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये प्रोजेक्ट एग्री इंनफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अधीन ब्याज में छूट (Interest subvention) प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में 102 पैक्स को एमएससी में परिवर्तित करने हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गयी है, जिसमें से ₹ 18.50 करोड़ की टीएफओ तथा ₹ 16.55 करोड़ का बैंक ऋण होगा।

2) एग्री इंनफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF):

भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस महत्वांकाक्षी योजना को 09 अगस्त, 2020 को लागू किया था। इस योजना के अन्तर्गत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ढॉचे एवं सामुदायिक कृषि हेतु 3% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्ष के अधिकतम समय के लिए मध्यम एवं दीर्घ अवधि का ऋण उपलब्ध है। इस योजना के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के लिए चार वर्षो (2020–21 से 2023–24) हेतु ₹ 785 करोड़ का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है। एआईएफ के अन्तर्गत सम्पूर्ण राष्ट्र हेतु एक लाख करोड़ रूपये (शुरू में ₹ 10000 करोड़ एवं अगले 03 वर्षो हेतु ₹ 30000 करोड़ प्रति वर्ष) का प्रावधान किया गया है।

अध्याय–4
कराधान
Taxation

राज्य कर (State Tax)

राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड राज्य के वित्त विभाग के अन्तर्गत कार्य करता है। राज्य की सकल प्राप्तियों में व्यापार कर/मूल्य वर्धित कर का योगदान लगभग 66 प्रतिशत होने के कारण यह राज्य की आय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत रहा है।

4.1 कर संग्रहः– दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात वर्ष 2000–2001 में प्राप्त कर संग्रह ₹ 233 करोड़ था, जो कि वर्ष 2019–20 तक लगभग 40 गुना बढ़कर ₹ 9282.14 करोड़ (₹ 2477 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) हो गया है। वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक कुल राजस्व संग्रह ₹ 7488.66 करोड़ (₹ 3289.35 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) रहा। इसे चार्ट– 4.1 में दर्शाया गया है–

चार्ट 4.1

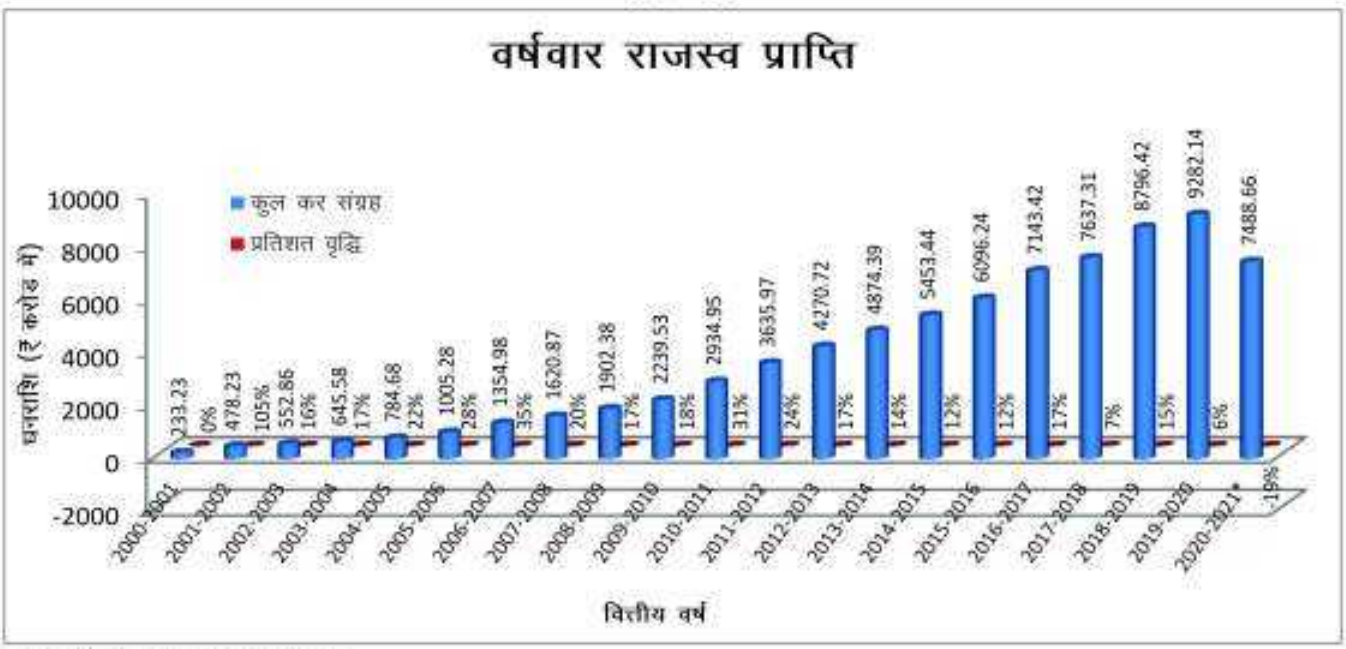

नोट–*माह दिसम्बर 2020 तक
स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

4.2 राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिसम्बर 2019 तक (पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये) कुल ₹ 5913.40 करोड़ (₹ 2098 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिसम्बर, 2020 तक (पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये) कुल ₹ 6272.53 करोड़ (₹ 1978.89 करोड़ प्रतिकर धनराशि तथा ₹ 1310.46 करोड़ लोन प्रतिकर धनराशि सहित) का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 6 प्रतिशत अधिक हैं। जिसे तालिका 4.1 में दर्शाया गया है–

तालिका 4.1

गत वर्ष के सापेक्ष पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये राजस्व प्राप्तियां (SGST)

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2019– 20							वर्ष 2020–21							
	VAT Arear	माह में प्राप्त SGST	माह में प्राप्त IGST Settelement	Advance apportionment From IGST	योग (2+3+4+5)	प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर	कुल प्राप्त राजस्व (6+7)	VAT Arear	SGST	Tax receive from IGST Settlement / negative Tax	Advance apportionment From IGST	योग (9+10+11+12)	प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर	कुल प्राप्त राजस्व (13+14)	गत वर्ष के सापेक्ष कमी / वृद्धि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
अप्रैल	0	369.64	71.36	74.44	515.44	0	515.44	5.42	61.95	25.81	0	93.18	289.61	382.79	-25.74%
मई	0	345.22	92.1	0	437.32	554	991.32	0.2	170	30.83	0	201.03	0	201.03	-79.72%
जून	9	350.15	75.33	0	434.48	0	434.48	-1.72	238.62	111.45	0	348.35	822.3	1170.65	169.44%
जुलाई	-9	339.75	109.8	92.96	533.51	361	894.51	-3.79	247.03	63.66	0	306.9	339.7	646.6	27.71%
अगस्त	9.1	316.23	55.81	0	381.14	511	892.14	-0.97	249.44	92.26	0	340.73	0	340.73	-61.81%
सितम्बर	2.37	286.29	105.79	0	394.45	0	394.45	37.38	276.95	113.72	0	428.05	0	428.05	8.52%
अक्टूबर	13.25	316.07	-30.45	0	298.87	0	298.87	14.97	335.97	59.45	0	410.39	439.44	849.83	184.35%
नवम्बर	7.15	356.18	76.19	0	439.52	0	439.52	-2.92	323.76	85.02	0	405.86	498.47	904.33	105.75%
दिसम्बर	8.06	330.15	42.46	0	380.67	672	1052.67	-9.05	337.54	120.2	0	448.69	899.83	1348.52	28.10%
योग	**39.93**	**3009.68**	**598.39**	**167.40**	**3815.40**	**2098.00**	**5913.40**	**39.52**	**2241.26**	**702.40**	**0.00**	**2983.18**	**3289.35**	**6272.53**	**6.07%**

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

4.3 राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखे गये वस्तुओं (पेट्रोल, डीजल, ए॰टी॰एफ॰ एवं नैचुरल गैस तथा शराब) पर कुल ₹ 1297.47 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक उक्त वस्तुओं पर कुल ₹ 1216.13 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 6 प्रतिशत कम है। जिसे तालिका 4.2 में दर्शाया गया है–

तालिका 4.2

राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्राप्त कुल राजस्व (Non GST) (धनराशि ₹ करोड़ में)			
माह का नाम	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2020–21	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	89.02	104.54	17.43%
मई	135.85	44.97	-66.90%
जून	158.13	110.8	-29.93%
जुलाई	159.25	135.82	-14.71%
अगस्त	145.55	145.54	-0.01%
सितम्बर	145.18	145.61	0.30%
अक्टूबर	146.59	142.98	-2.46%
नवम्बर	158.46	192.43	21.44%
दिसम्बर	159.44	193.44	21.32%
योग	**1297.47**	**1216.13**	**-6.27%**

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

4.4 राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2019–20 तथा वर्ष 2020–21 में प्राप्त कर संग्रह की स्थिति को सारणी–4.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3 से स्पष्ट है कि माह दिसम्बर 2020 तक की जी0एस0टी0 अवधि में कुल ₹ 7,488.66 करोड़ (₹ 1978.89 करोड़ प्रतिकर तथा ₹ 1310.46 करोड़ क्षतिपूर्ति लोन सम्मिलित है) राजस्व प्राप्त हुआ है। जो गत वर्ष 2019–20 में इसी अवधि में प्राप्त राजस्व ₹ 7210.87 करोड़ (2098 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) से 3.85 प्रतिशत अधिक है।

तालिका 4.3

राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा माहवार प्राप्त कुल राजस्व (GST+Non GST+Compensation) का विवरण (धनराशि ₹ करोड़ में)			
माह का नाम	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2020–21	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	604.46	487.33	-19.38%
मई	1127.17	246.00	-78.18%
जून	592.61	1281.45	116.24%
जुलाई	1053.76	782.42	-25.75%
अगस्त	1037.69	486.27	-53.14%
सितम्बर	539.63	573.66	6.31%
अक्टूबर	445.46	992.81	122.87%
नवम्बर	597.98	1096.76	83.41%
दिसम्बर	1212.11	1541.96	27.21%
योग	**7210.87**	**7488.66**	**3.85%**

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

4.5 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं पर कर संग्रह

4.5.1 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (पेट्रोल व डीजल) पर कर संग्रह का विवरण तालिका– 4.4 में दर्शाया गया है–

तालिका 4.4

पेट्रोल–डीजल पर प्राप्त कर का विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2019–20			वर्ष 2020–21			वृद्धि/कमी का प्रतिशत		
	पेट्रोल पर प्राप्त कर	डीजल पर प्राप्त कर	पेट्रोल एवं एवं डीजल पर प्राप्त कर (2+3)	पेट्रोल पर प्राप्त कर	डीजल पर प्राप्त कर	पेट्रोल एवं एवं डीजल पर प्राप्त कर (5+6)	पेट्रोल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत	डीजल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत	पेट्रोल एवं डीजल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अप्रैल	29.10	33.90	63.00	46.76	44.78	91.54	60.69%	32.09%	45.30%
मई	53.7	66.40	120.1	18.1	22.64	40.74	-66.29%	-65.90%	-66.08%
जून	61.00	75.00	136	41.51	51.75	93.26	-31.95%	-31.00%	-31.43%
जुलाई	65.72	72.40	138.12	56.25	60.73	116.98	-14.41%	-16.12%	-15.31%
अगस्त	62.33	61.40	123.73	63.92	60.2	124.12	2.55%	-1.95%	0.32%
सितम्बर	67.64	58.90	126.54	67.25	54.57	121.82	-0.58%	-7.35%	-3.73%
अक्टूबर	63.43	61.40	124.83	58.61	59.96	118.57	-7.60%	-2.35%	-5.01%
नवम्बर	67.53	66.73	134.26	82.04	80.98	163.02	21.49%	21.35%	21.42%
दिसम्बर	66.17	70.93	137.1	80.32	79.91	160.23	21.38%	12.66%	16.87%
योग	**536.62**	**567.06**	**1103.68**	**514.76**	**515.52**	**1030.28**	**-4.07%**	**-9.09%**	**-6.65%**

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

नोटः– वित्तीय वर्ष 2020–2021 में माह अप्रैल, 2020 से अगस्त, 2020 तक कोविड–19 के कारण उत्पन्न हुयी असामान्य परिस्थितियों में लगे लॉक–डाउन की उक्त अवधि में पेट्रोल एवं डीजल की कुल खपत 365685.94 किलोलीटर थी जो कि गत वर्ष इसी अवधि में कुल खपत 632085.43 किलोलीटर के सापेक्ष 42 प्रतिशत कम है, जिसके कारण उक्त अवधि का राजस्व कम रहा।

4.5.2 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (शराब) पर कर संग्रह का विवरण तालिका–4.5 में दर्शाया गया है–

तालिका 4.5

शराब पर प्राप्त कर (धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2019–20 शराब पर प्राप्त कर	वर्ष 2020–21 शराब पर प्राप्त कर	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	23.67	11.37	-51.96%
मई	13.82	3.81	-72.43%
जून	18.96	16.66	-12.13%
जुलाई	18.24	17.92	-1.75%
अगस्त	19.3	20.19	4.61%
सितम्बर	16.19	22.91	41.51%
अक्टूबर	19.03	23.39	22.91%
नवम्बर	20.94	27.41	30.90%
दिसम्बर	19.47	31.16	60.04%
योग	**169.62**	**174.82**	**3.07%**

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

4.5.3 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (नैचुरल गैस एवं एवियेशन टरबाईन फ्यूल) पर कर संग्रह का माहवार विवरण तालिका–4.6 में दर्शाया गया है–

तालिका 4.6

नैचुरल गैस एवं एवियेशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर (धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2019–20 नैचुरल गैस पर प्राप्त कर	वर्ष 2020–21 नैचुरल गैस पर प्राप्त कर	वृद्धि / कमी का प्रतिशत	वर्ष 2019–20 एवियेशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर	वर्ष 2020–21 एवियेशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अप्रैल	0.98	0.72	-26.53%	1.37	0.91	-33.58%
मई	0.77	0.42	-45.45%	1.16	0.00	-100.00%
जून	1.43	0.84	-41.26%	1.74	0.04	-97.70%
जुलाई	1.20	0.84	-30.00%	1.69	0.08	-95.27%
अगस्त	1.09	1.12	02.75%	1.43	0.11	-92.31%
सितम्बर	1.08	0.72	-33.33%	1.37	0.16	-88.32%
अक्टूबर	1.10	0.75	-31.82%	1.63	0.27	-83.44%
नवम्बर	1.33	1.48	11.28%	1.93	0.52	-73.06%
दिसम्बर	1.40	1.53	09.29%	1.47	0.52	-64.63%
योग	**10.38**	**8.42**	**-18.88%**	**13.79**	**2.61**	**-81.07%**

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

4.6 वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 व वैट (Non GST) में क्रमशः ₹ 4104.03 करोड़ तथा ₹ 1710.53 करोड़, इस प्रकार कुल ₹ 5814.56 करोड़ (प्रतिकर व लोन धनराशि को छोड़ते हुये) राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर–2020 तक जी0एस0टी0 व वैट में क्रमशः ₹ 2943.66 करोड़ तथा ₹ 1216.13 करोड़, इस प्रकार कुल ₹ 4159.79 करोड़ का राजस्व राज्य को प्राप्त हो चुका हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के अन्तिम तीन माहों (जनवरी, फरवरी तथा मार्च 2021) में जी0एस0टी0 व वैट में क्रमशः ₹ 1164.40 करोड़ तथा ₹ 494.40 करोड़, इस प्रकार कुल ₹ 1658.80 करोड़ का अनुमानित राजस्व प्राप्त होगा।

4.7 जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त 01 जुलाई, 2017 से 04 जनवरी, 2021 तक की अवधि में कुल 1,18,147 नये व्यापारी पंजीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त 63,673 पंजीकृत व्यापारियों को वैट प्रणाली से जी0एस0टी0 में प्रवर्तित किया जा चुका है। इस प्रकार 04 जनवरी, 2021 तक राज्य में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 1,81,820 हो चुकी है।

Number of Business men Registered in GST (Data as on 4th January, 2021)		
Sr.No.	**Dealers**	**Number**
1	Number of Migrated Dealers (State)	51,541
2	Number of Migrated Dealers (Centre)	12,132
3	New Registration (State)	48,021
4	New Registration (Centre)	70,126
5	Total Dealers (State+Centre)	1,81,820
6	Composition Dealer (State)	22,557
7	Composition Dealer (Centre)	14,350
8	Total Composition Dealer	36,907

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

4.7.1 पंजीकृत व्यापारियों से रिटर्न नियमित रूप से दाखिल करवाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप माह नवम्बर, 2020 के लिए दाखिल जी0एस0टी0आर0–3बी रिटर्न का प्रतिशत 83.57 है जबकि उक्त अवधि में राष्ट्रीय औसत 82.84 प्रतिशत है।

4.8 राज्य कर विभाग की प्रवर्तन इकाईयों द्वारा करापवंचनरोधी प्रयासः–

राज्य कर विभाग की सचलदल इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी के प्रभाव के कारण माह दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹ 13.91 करोड़ अर्थदण्ड के रूप में जमा कराये गये, जो कि गत वर्ष इसी अवधि में जमा कराये गये ₹ 16.46 करोड़ से 15.47 प्रतिशत कम है। राज्य कर विभाग की विशेष कार्यबल इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक कुल 94 सर्वेक्षण करते हुये ₹ 315.00 करोड़ की अपवंचित टर्नओवर प्रकाश में लाई गई तथा सुनवाई के दौरान ही ₹ 24 लाख जमा कराये गये।

4.9 वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य कर विभाग द्वारा माह दिसम्बर, 2020 तक कुल ₹ 8,628.01 करोड़ का कर (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह किया गया जो कि वित्तीय वर्ष 2019–20 की इसी अवधि में किये गये कर (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह ₹ 10989.88 करोड़ से 21 प्रतिशत कम है, जिसका कारण कोविड–19 के कारण उत्पन्न हुयी असामान्य परिस्थितियों में लगा लॉक–डाउन रहा। राज्य कर विभाग द्वारा कर (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह का माहवार विवरण तालिका–4.7 में दर्शाया गया है–

तालिका 4.7

वर्ष 2019–20 व वर्ष 2020–21 का तुलनात्मक GST (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह	CGST			IGST			SGST			CESS			Total		
	2019-20	2020-21	%+/-	2019-20	2020-21	%+/-	2019-20	2020-21	%+/-	2019-20	2020-21	%+/-	2019-20	2020-21	%+/-
अप्रैल	218.80	49.79	-77%	1004.96	141.63	-86%	369.64	61.95	-83%	23.89	3.26	-86%	**1617.29**	**256.63**	-84%
मई	192.42	144.84	-25%	694.98	299.19	-57%	345.22	170.00	-51%	15.09	0.56	-96%	**1247.71**	**614.59**	-51%
जून	191.21	184.09	-4%	669.50	469.81	-30%	350.15	238.62	-32%	20.75	2.42	-88%	**1231.61**	**894.94**	-27%
जुलाई	194.08	190.62	-2%	736.23	543.15	-26%	339.75	247.03	-27%	18.84	7.01	-63%	**1288.90**	**987.81**	-23%
अगस्त	187.71	184.60	-2%	423.05	564.19	33%	316.23	249.44	-21%	14.10	7.52	-47%	**941.09**	**1005.75**	7%
सितम्बर	185.89	205.63	11%	533.98	572.43	7%	286.29	276.95	-3%	10.48	9.73	-7%	**1016.64**	**1064.74**	5%
अक्टूबर	204.31	228.93	12%	620.92	696.33	12%	316.07	335.97	6%	12.03	11.02	-8%	**1153.33**	**1272.25**	10%
नवम्बर	228.97	204.49	-11%	680.44	748.02	10%	356.18	323.76	-9%	14.61	9.24	-37%	**1280.2**	**1285.5**	0.41%
दिसम्बर	230.01	209.08	-9%	638.86	690.11	8%	330.15	337.54	2%	14.09	9.07	-36%	**1213.11**	**1245.80**	3%
योग	**1833.4**	**1602.07**	**-13%**	**6002.92**	**4724.86**	**-21%**	**3009.68**	**2241.26**	**-26%**	**143.88**	**59.83**	**-58%**	**10989.88**	**8628.01**	**-21%**

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

4.9.1 वित्तीय वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर, 2019 तक राज्य को IGST Settlement के अन्तर्गत कुल ₹ 598.23 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था, जब कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर, 2020 तक कुल IGST Settlement ₹ 702.40 करोड़ रहा, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष 17 प्रतिशत अधिक है। राज्य कर विभाग द्वारा कुल IGST Settlement का विवरण तालिका–4.8 में दर्शाया गया है–

तालिका 4.8

Sanction of provisional Settlement of IGST for the Return Filing

(Fig in ₹ Crore)

Months	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilization) 2019-20 (outward)	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilization) 2020-21 (outward)	%+/-	SGST/ UTGST Liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization) 2019-20 (inward)	SGST/UTGST Liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization) 2020-21 (inward)	%+/-	Apportion-nment of IGST to the State /UT (2019-20)	Apportion-ment of IGST to the State /UT (2020-21)	%+/-	Adjust-ment of Adv. Apportion-ment of IGST to State/UT (2019-20)	Adjustment of Adv. Apportionme nt of IGST to State/UT (2020-21)	Total 2019-20	Total 2020-21	%+/-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) =(2+11) - (5+8)	(14) =(3+12) - (6+9)	(15)
April	25400	17.44	-93%	29400	36.36	-88%	31.18	6.89	-78%	0	0	-71.18	-25.81	-64%
May	231.34	115.29	-50%	299.15	130.25	-56%	24.30	15.87	-35%	0	0	-92.11	-30.83	-67%
June	254.61	85.35	-66%	302.27	178.19	-41%	27.67	18.61	-33%	0	0	-75.33	-111.90	48%
July	246.01	277.22	13%	352.86	306.06	-13%	24.49	34.82	42%	21.53	0	-109.81	-63.66	-42%
August	248.26	229.92	-7%	290.46	293.96	1%	23.68	28.22	19%	10.07	0	-55.81	-92.26	65%
September	213.88	251.59	18%	307.93	328.72	7%	22.01	36.59	66%	10.27	0	-105.79	-113.70	7%
October	304.56	339.80	12%	250.11	369.31	48%	24.00	29.94	25%	0	0	30.45	-59.45	-295%
November	272.38	337.48	24%	317.00	391.91	24%	31.57	30.59	-3%	0	0	-76.19	-85.02	12%
December	325.28	267.68	-18%	325.84	357.57	10%	45.65	30.31	-34%	3.75	0	-42.46	-120.20	183%
Total	**2350.32**	**1921.77**	**-18%**	**2739.62**	**2392.33**	**-13%**	**254.55**	**231.84**	**-9%**	**45.62**	**0**	**-598.23**	**-702.40**	**17%**

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

4.10 उत्तराखण्ड राज्य को जी0एस0टी0 के अन्तर्गत कुल राजस्व हानि का आंकलनः–

वित्तीय वर्ष 2019–20 व वर्ष 2020–21 में राज्य को संरक्षित राजस्व के सापेक्ष जितनी राजस्व हानि हुई, व सम्पूर्ण देश में कोविड–19 की महामारी के उपरान्त राज्य को प्राप्त राजस्व में जितनी हानि हुई, उसका माहवार विवरण तालिका–4.9 में दर्शाया गया हैः–

तालिका 4.9

उत्तराखण्ड राज्य को जी0एस0टी0 के अन्तर्गत कुल राजस्व हानि का आंकलन

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह	वर्ष 2019–20				वर्ष 2020–21			
	GST रिफन्ड के उपरान्त कुल राजस्व संग्रह (वैट एरियर को सम्मिलित करते हुये)	संरक्षित राजस्व	अन्तर (Gap)	अन्तर (Gap) %	GST रिफन्ड के उपरान्त कुल राजस्व संग्रह (वैट एरियर को सम्मिलित करते हुये)	संरक्षित राजस्व	अन्तर (Gap)	अन्तर (Gap) %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अप्रैल	515.44	698.27	182.80	26%	93.18	796.02	702.84	88%
मई	530.28	698.27	168.00	24%	200.68	796.02	595.34	75%
जून	414.03	698.27	284.20	41%	348.21	796.02	447.81	56%
जुलाई	421.91	698.27	276.40	40%	306.37	796.02	489.65	62%
अगस्त	375.80	698.27	322.50	46%	340.73	796.02	455.29	57%
सितम्बर	387.69	698.27	310.60	44%	427.80	796.02	368.22	46%
अक्टूबर	292.12	698.27	406.20	58%	410.38	796.02	385.64	48%
नवम्बर	435.68	698.27	262.60	38%	405.86	796.02	390.16	49%
दिसम्बर	376.39	698.27	321.90	46%	448.69	796.02	347.33	44%
कुल	**3749.34**	**6284.43**	**2535.00**	**40%**	**2981.90**	**7164.18**	**4182.30**	**58%**

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

4.11 व्यापारी बीमा योजनाः– जनहित में शासन द्वारा व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना दिनांक 19.11.2020 से दिनांक 18.11.2021 तक के लिए लागू की गयी है, जिसमें जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों की मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित तत्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में ₹ 5.00 लाख भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 04 एवं वर्ष 2017–18 में 10 तथा वर्ष 2018–19 में 03 मामलों में मृतक आश्रित को आर्थिक सहायता के रूप में 05 लाख का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया गया हैं। वर्ष 2019–20 में कुल 05 क्लेम प्राप्त हुए है। जिसमें से 03 मामलों में मृतक आश्रित को भुगतान किया गया है तथा 02 मामलों में कार्यवाही गतिमान है।

4.12 राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2020–21 से वर्ष 2024–25 तक आगामी वर्षों के लिए सुनिश्चित राजस्व व राजस्व अनुमान निम्न तालिका–4.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.10
Assured revenue and revenue projections for forth coming years are as below-
(आगामी वर्षों के लिए सुनिश्चित राजस्व तथा राजस्व अनुमान)

(धनराशि करोड़ ₹ में)

S.N.	Financial year	Assured Revenue (Under GST)	Achieved/ Projected GST (without compensation)	Achieved/ Projected Non-GST	Total Projected Tax	Projected Growth If GST was not implemented
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3 + 5) or (4+5)	(7)
1.	2020-21	9,552	4101	1758	**11,310(3+5)**	14851
2.	2021-22	10,890	5236	2602	**13,492(3+5)**	17784
3.	2022-23 (3 months)	3104	1398	725	**3,829 (3+5)**	21296
	2022-23 (9 months)	-	4192	2174	**6,366(4+5)**	
	2022-23	**3104**	**5590**	**2899**	**10,195**	
4.	2023-24	-	5968	3230	**9198(4+5)**	25502
5.	2024-25	-	6372	3598	**9970(4+5)**	30539

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

नोट– (1) वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्तम्भ–4 तथा स्तम्भ–5 में क्रमशः अनुमानित जी0एस0टी0 संग्रह, नॉन जी0एस0टी0 संग्रह में माह नवम्बर, 2020 तक वास्तविक प्राप्त राजस्व एवं आगामी 04 माह तक अनुमानित राजस्व को सम्मिलत करते हुये दर्शाया गया है, जो कि कोविड–19 के कारण पूर्व के अनुमान से कम है।

नोट– (2) वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं आगामी वित्तीय वर्षों में स्तम्भ–4 तथा स्तम्भ–5 में अनुमानित राजस्व प्राप्तियां सामान्य स्थिति में दर्शायी गयी हैं।

4.13 स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग (Stamp and Registration):– स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड राज्य सरकार की एक प्रमुख राजस्व शाखा है, जो नागरिकों के विभिन्न संपत्ति संबंधी लेनदेन की रिकॉर्डिंग और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी के साथ कार्यरत है। ई–पंजीकरण पहल के साथ स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग हितधारकों को नागरिक अनुकूल, परेशानी मुक्त और पारदर्शी सेवायें प्रदान कर रहा है। पंजीकरण के कानून का मुख्य उद्देश्य दस्तावेज की वास्तविकता का एक निर्णायक प्रमाण प्रदान करना, लेनदेन के लिए प्रचार करना और धोखाधड़ी को रोकना है । विभाग एक ''रॉयल रिकॉर्ड कीपर'' के रूप में कार्य कर रहा है, जो पुराने रिकॉर्डों को संरक्षित करता है और विधि न्यायालय में वास्तविकता के प्रमाण के रूप में प्रदान करने के लिए इसके द्वारा रखे गए रिकॉर्ड की प्रतियां प्रदान करता है।

4.13.1 वित्तीय वर्ष 2019–20 में 31 दिसम्बर, 2019 तक स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर) ₹ 822.46 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2020–21 में 31 दिसम्बर, 2020 तक प्राप्त आय ₹ 710.20 करोड़ रही, जो कि गत वर्ष की तुलना में 13.65

प्रतिशत कम है, जिसका प्रमुख कारण कोविड–19 के कारण उत्पन्न हुयी असामान्य परिस्थितियों में लगा लॉक–डाउन रहा।

4.13.2 स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2013–14 से वर्ष 2020–21 तक वित्तीय वर्षवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आय का विवरण निम्न तालिका–4.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.11

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्षवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आय का प्रतिशत विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	आवंटित लक्ष्य	प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)	लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति प्रतिशत	गत वर्ष के सापेक्ष प्राप्ति प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2013–2014	640.00	686.60	107.28	(+) 5.89
2	2014–2015	708.79	713.78	100.70	(+) 3.95
3	2015–2016	777.21	872.17	112.21	(+) 22.19
4	2016–2017	1203.00	779.50	64.80	(–) 10.61
5	2017–2018	1100.00	860.16	78.19	(+) 10.34
6	2018–2019	1195.00	1035.35	86.64	(+) 20.37
7	2019–2020	1340.73	1071.49	79.92	(+) 3.49
8	2020–2021	1249.23	**710.20** 01 अप्रैल, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक प्राप्त आय	56.85	गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक प्राप्त आय ₹ 822.46 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक 13.65% कम रही।

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

आबकारी (Excise)

4.14 आबकारी विभाग की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधियाँ उपयोग के निषेध का उन्नीयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। मद्यनिषेध की इस बात को प्रमुखता देते हुए आबकारी विभाग ये सुनिश्चित करता है कि उपर्युक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाये।

चार्ट 4.2

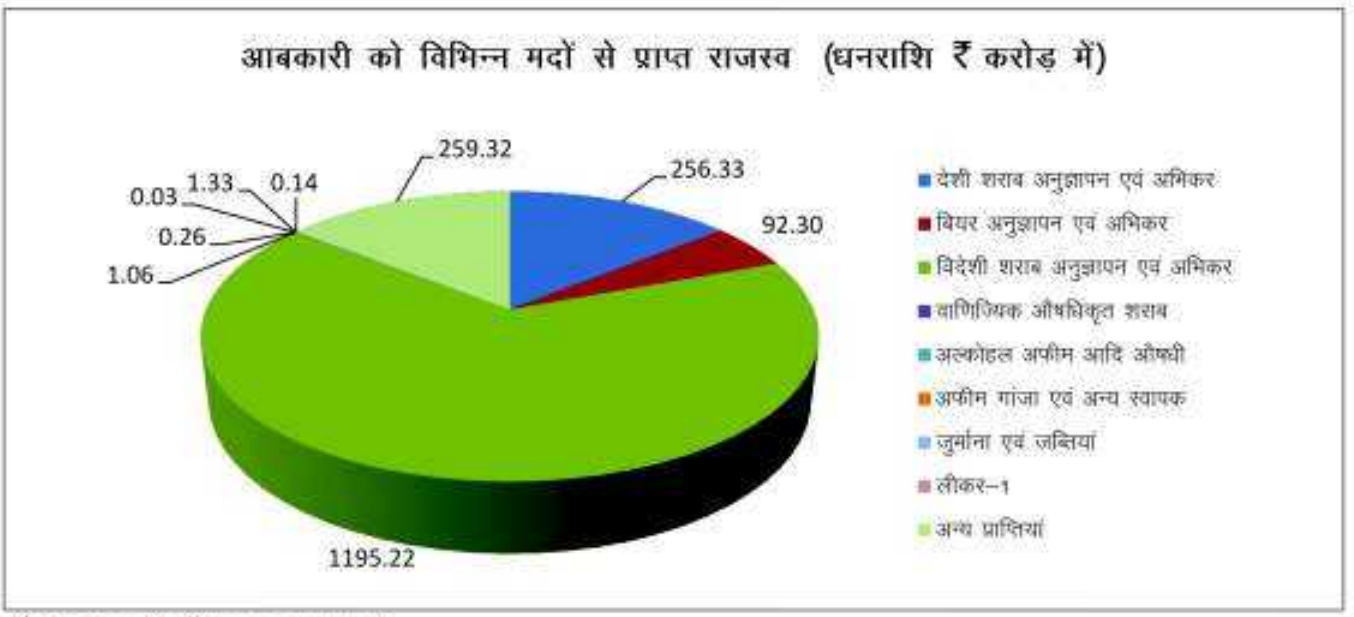

स्रोतः आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड।

4.15 आबकारी नीति में गुणात्मक सुधार करने के लिए वर्ष 2020–21 के लिए आबकारी नीति दिनांक 22.02.2020 को जारी की गयी।

4.16 आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹ 3,047.50 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2,729.15 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया, जबकि वर्ष 2020–21 हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹ 3,461.37 करोड़ के सापेक्ष 30 नवम्बर 2020 तक ₹ 2,073.78 करोड़ का संग्रह किया जा चुका है। आबकारी विभाग द्वारा संग्रह किये जाने वाला राजस्व उत्तराखण्ड राज्य को प्राप्त राजस्व का 18 से 19 प्रतिशत के मध्य रहता है।

4.16.1 आबकारी विभाग को देशी शराब अनुज्ञापन एवं अभिकर से 30 नवम्बर 2020 तक ₹ 256.32 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

4.16.2 बियर अनुज्ञापन एवं अभिकर से 30 नवम्बर 2020 तक ₹ 92.29 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

4.16.3 विदेशी शराब अनुज्ञापन एवं अभिकर से 30 नवम्बर 2020 तक ₹ 1,195.21 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

4.16.4 वाणिज्यिक और विकृति स्प्रिट औषधीकृत शराब से 30 नवम्बर 2020 तक ₹ 1.05 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

4.16.5 अल्कोहल अफीम आदि औषधी से 30 नवम्बर 2020 तक ₹ 26 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

4.16.6 अफीम गांजा एवं अन्य स्वापक से 30 नवम्बर 2020 तक ₹ 2.60 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

4.16.7 जुर्माना एव जब्तियां से 30 नवम्बर 2020 तक ₹ 1.32 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

4.16.8 लीकर–1 से 30 नवम्बर 2020 तक ₹ 14.33 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

4.16.9 अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत 30 नवम्बर 2020 तक ₹ 259.32 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

तालिका 4.12

राजस्व बढ़ोत्तरी आबकारी विभाग (धनराशि ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त राजस्व
(1)	(2)	(3)
2001–02	222.38	231.69
2002–03	256.36	246.46
2003–04	286.05	272.69
2004–05	292.76	292.09
2005–06	357.96	292.81
2006–07	360.00	372.84
2007–08	417.00	441.71
2008–09	501.00	528.32
2009–10	598.21	703.71
2010–11	686.93	755.98
2011–12	727.67	843.57
2012–13	942.00	1117.80
2013–14	1150.00	1269.04
2014–15	1500.00	1486.80
2015–16	1800.00	1736.60
2016–17	2100.00	1906.00
2017–18	2310.00	2262.02
2018–19	2650.00	2705.38
2019–20	3047.50	2729.15
2020–21 30 नवम्बर 2020 तक	3461.37	2073.78

स्रोतः आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड।

4.17 वित्तीय वर्ष 2020–21 में आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹ 3461.37 करोड़ के सापेक्ष 30 नवम्बर 2020 तक कुल ₹ 2073.78 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है। वर्ष 2001–02 से वर्ष 2020–21 के माह नवम्बर 2020 तक आबकारी विभाग द्वारा प्राप्त राजस्व प्राप्ति का विवरण तालिका–4.12 (चार्ट–4.3) में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3

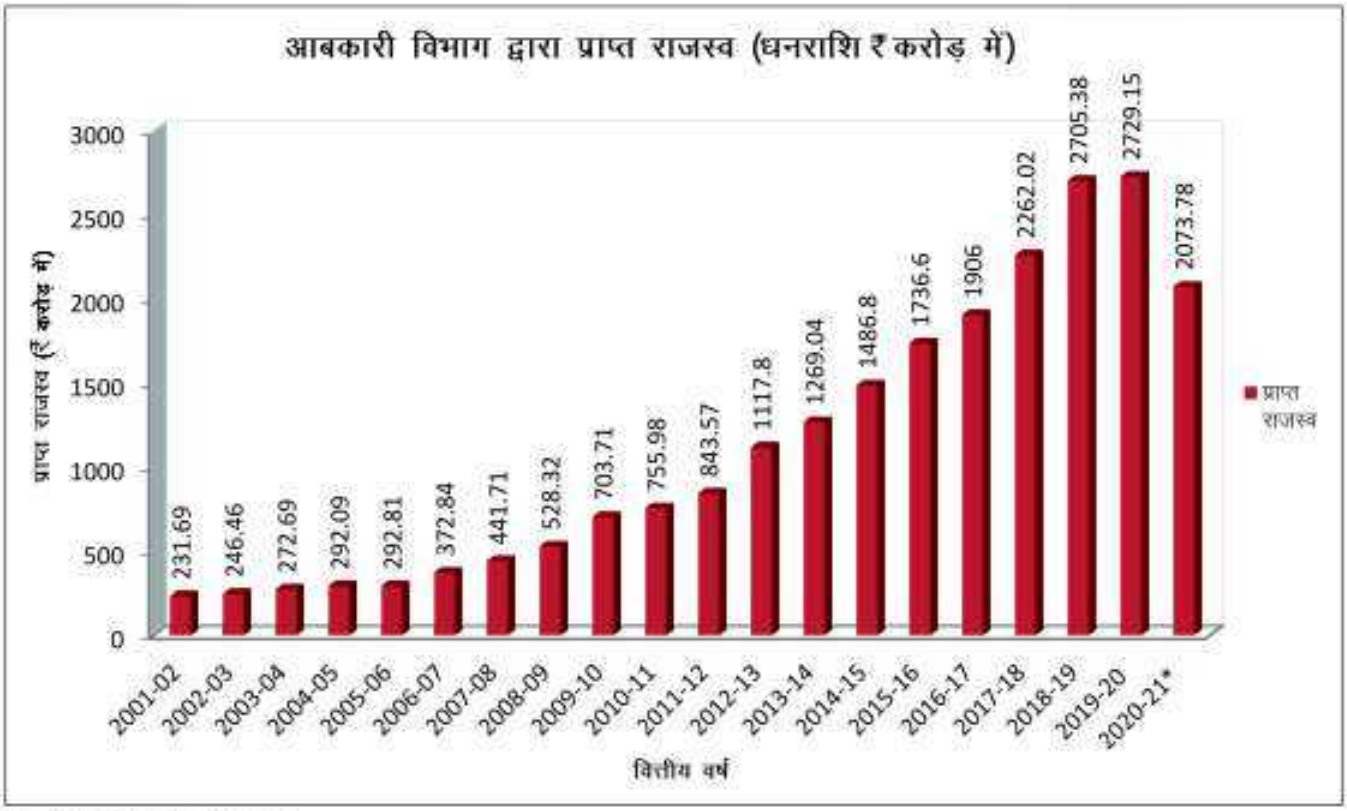

* राजस्व प्राप्ति 30 नवम्बर 2020 तक।

स्रोतः आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड।

अध्याय–5
सतत् विकास लक्ष्य
Sustainable Development Goals (SDGs)

सतत विकास वह विकास है, जिसमें वर्तमान समय में सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का ऐसा उपयोग किया जाता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई समझौता न करना पड़े (Sustainable Development is the development that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs- Brundtland commission 1987)। 20वीं सदी के मध्य में वैश्विक स्तर पर यह स्वीकार किया गया कि किसी भी स्थान की गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है "(Poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere- International Labour Organization 1944)। उत्तरोत्तर काल में गरीबी, बेरोजगारी तथा आर्थिक विषमता को कम करने के लिए संप्रभु राष्ट्रों द्वारा कई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किये गये साथ ही वैश्विक संगठनों द्वारा भी इन्हे कम करने पर जोर दिया गया।

5.1 21वीं शताब्दी के आरम्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (Millenium Development Goal-MDG) प्रारम्भ किये गये जिन्हें 2015 तक हासिल किया जाना था। अब यह स्वीकार किया गया कि कहीं भी अत्यधिक गरीबी हर जगह मानवीय सुरक्षा के लिए खतरा है ("Extreme poverty anywhere is a threat to human security everywhere" Kofi Annan). सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (2000–2015) के अगले चरण में अप्राप्त सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को 2015 के बाद भी वैश्विक सहभागिता के साथ प्राप्त करने के लिए विश्व समुदाय द्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। तदक्रम में सितम्बर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एम0डी0जी0 के संवर्द्धित रूप में सतत् विकास लक्ष्य Sustainable Development Goals (SDGs) का एजेण्डा अंगीकृत किया गया। इन लक्ष्यों को बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए वैश्विक, एकीकृत तथा रूपान्तरकारी विजन के रूप में स्वीकार किया गया है।

5.2 सतत् विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत कुल 17 विस्तृत लक्ष्य तथा 169 टारगेट (उप लक्ष्य) चिन्हित किये गये हैं, इन लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। भारत सरकार द्वारा ''सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)'' के अन्तर्गत वर्ष 2030 तक आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय संवहनीयता (Sustainability) को बनाये रखने हेतु गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने, समृद्धि प्राप्त करने तथा न्यायपूर्ण एवं सुरक्षित व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी। एस0डी0जी0 के लक्ष्य व्यापक आधार वाले तथा परस्पर अर्न्तनिर्भर हैं। इन 17 सतत विकास लक्ष्यों में प्रत्येक के उपलक्ष्य (Targets) निर्धारित हैं। इन लक्ष्यों तथा उपलक्ष्यों को चिह्नित संकेताकों द्वारा मापनीय बनाया गया है।

5.3 **नीति आयोग** (National Institution for Transforming India-NITI) द्वारा सेक्टर आधारित मीडियम टर्म तथा दीर्घकालीन नियोजन प्रारूप तैयार किया गया। मीडियम टर्म संवृद्धि विगत वर्षों के निष्पादन पर तथा दीर्घकालीन संवृद्धि

संरचनात्मक सुधारों एवं अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है। नीति आयोग द्वारा तैयार विजन 2030 के अन्तर्गत 15 वर्षीय दृष्टिकोण के साथ ही 7 वर्षीय स्ट्रेटजी तथा 3 वर्षीय ऐक्शन प्लान तैयार किया गया। तद्नुसार उत्तराखण्ड विजन 2030 में भी सतत विकास लक्ष्यों एवं उप लक्ष्यों के संकेतांकों को 3 वर्षीय ऐक्शन प्लान, 7 वर्षीय रणनीति तथा 15 वर्षीय विजन को स्पष्ट किया गया। सतत विकास लक्ष्यों में लोगों के मानव विकास, सामाजिक विकास, सतत आजीविका तथा पर्यावरणीय संवहनीयता शामिल हैं, जिन्हें उत्तराखण्ड विजन 2030 में समावेशित किया गया है।

5.4 सतत विकास, विकास की समावेशी एवं व्यापक अवधारणा है जो मानव कल्याण को सर्वोच्च स्थान पर रखते हुए मानव को आर्थिक विकास के साध्य के रूप में तथा विकास प्रक्रिया को साधन मात्र के रूप में स्थापित करती है। सतत विकास लक्ष्यों का क्षेत्र व्यापक है जिसमें सतत आजीविका, सामाजिक विकास, मानव विकास तथा पर्यावरणीय संवहनीयता आदि आयाम शामिल हैं। इन आयामों के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों का विवरण तालिका सं0–5.1 में प्रदशित किया गया है।

तालिका 5.1

विकास के आयाम	सम्बन्धित सतत विकास लक्ष्य–एस0डी0जी0 का विवरण
सतत आजीविका (Sustainable Livelihood)	1. गरीबी समाप्त करना (NoPoverty) 2. भुखमरी समाप्त करना (No Hunger) 8. आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन (Sustainable Economic Growth) 9. अवस्थापना विकास, आद्यौगिकीकरण तथा नवाचार प्रोत्साहन (Infrastructure, Industrialization-Innovation)
सामाजिक विकास (Social Development)	5. लैंगिक समानता व महिला (Gender Equality) सशक्तिकरण 10. अर्न्तक्षेत्रीय विषमताओं को कम करना (Reduce Inequality) 16. शान्ति सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय (Peace and Justice)
मानव विकास (Human Development)	3. स्वास्थ्य संवहनीयता (Sustainable Health) 4. समावेशी तथा गुणवत्ता परक शिक्षा (Inclusive and Equitable, Education) 6. सभी के लिए स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (Water and sanitation)
पर्यावरणीय संवहनीयता (Sustainable Environmentt)	7. सतत और आधुनिक ऊर्जा (Sustainable and Modern Energy) 11. शहरी क्षेत्रों और बस्तियों का संवहनीय तथा सुरक्षित विकास (Safe, Resilient & Sustainable Development) 12. सतत उपभोग तथा सतत उत्पादन (Sustainable Consumption & Production) 13. जलवायु परिवर्तन (Climate Change) 15. वन एवं पर्यावरण संवहनीयता (Life on Land)

सतत विकास लक्ष्यों का मापन–

5.5 भारत सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने हेतु उच्च महत्व दिया गया है, तद्नुसार नीति आयोग द्वारा संकेतकों की प्रगति के आधार पर लक्ष्यवार एवं संयुक्त रूप से मापनीय इन्डैक्स के द्वारा राज्यों की स्थिति का आंकलन

किया जाता है। नीति आयोग की प्रथम रिपोर्ट SDGs India Index दिसम्बर, 2018 में जारी की गई। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के सतत एवं समावेशी विकास के रोडमैप पर आधारित विजन 2030 तैयार की गई जिसमें सतत विकास लक्ष्यों के चिन्हित उपलक्ष्यों एवं संकेतको के सम्बन्ध में वार्षिक कार्ययोजना, मीडियमटर्म रणनीति तथा दीर्घकालीन दृष्टिकोण तय किये गये। इन लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति हेतु विभागों से प्रभावी समन्वय बनाने एवं मार्गदर्शन हेतु शासन में लक्ष्यवार उच्चस्तरीय कार्यदलों (Working Groups) का गठन किया गया तथा लक्ष्यवार कार्ययोजना बनाने, लक्ष्य तय करने, रणनीति व रोडमैप बनाने, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु नोडल विभाग एवं नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं। जिनमें नियमित रूप से सम्बन्धित विभागों के साथ समीक्षा की जाती है।

5.6 नीति आयोग द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों के मापन की दृष्टि से सर्वप्रथम Baseline Report of the Sustainable Development Goals (SDGs), India Index 2018 जारी की गई जिसमें एस0डी0जी0 के 62 संकेतांकों के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति के आधार पर राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों की लक्ष्यवार एवं कम्पोजिट इन्डेक्स एवं रैंक निर्धारित की गई है। इस इन्डेक्स में उत्तराखण्ड राज्य 60 स्कोर वैल्यू के साथ 11वें स्थान पर रहा। नीति आयोग द्वारा दिसम्बर 2019 में जारी SDG Index-2019 रिपोर्ट में 92 संकेतकों के आधार पर तैयार अखिल भारतीय रैंकिंग की गई। इस रिपोर्ट में राज्य का स्कोर वैल्यू 64 आकलित हुआ यद्यपि अखिल भारतीय रैंकिंग में राज्य 11वें स्थान पर ही रहा। SDG Index-2019 में राज्यों की रैंक ग्राफ संख्या–5.1 में प्रदर्शित है। राज्यवार स्कोर वैल्यू एवं अवरोही क्रम में राज्यों की स्थिति ग्राफ संख्या 5.1 में प्रदर्शित है।

ग्राफ 5.1

Sustainable Development Goals (SDGs), India Index 2019 में राज्यों की रैंक

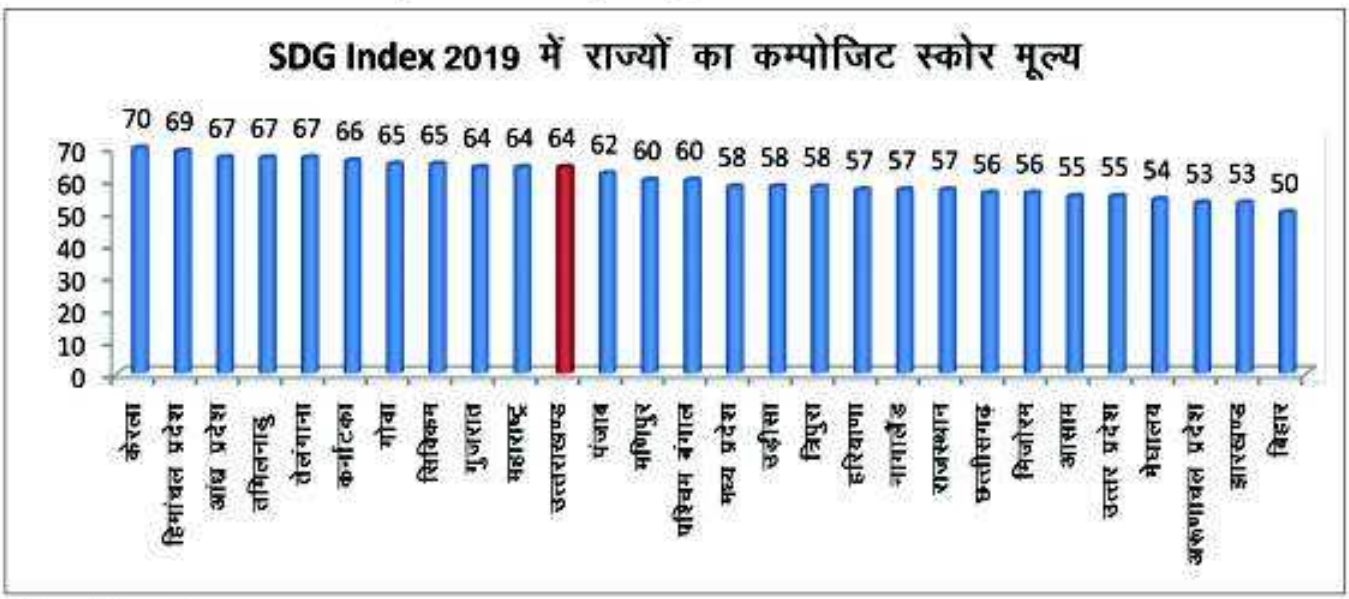

स्रोतः नीति आयोग, भारत सरकार।

तालिका 5.2

Sustainable Development Goals (SDGs) India Index 2018 and 2019

में लक्ष्यवार उत्तराखण्ड राज्य की रैंक

लक्ष्य सं०	लक्ष्य का विवरण	प्रदेश की रैंक	
		2018	2019
1	गरीबी समाप्त करना (No Poverty)	7	7
2	भुखमरी समाप्त करना (No Hunger)	14	11
3	स्वास्थ्य संवहनीयता (Sustainable Health)	26	17
4	समावेशी तथा गुणवत्ता परक शिक्षा (Inclusive and Equitable, Education)	9	9
5	लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण (Gender Equality)	13	15
6	सभी के लिए स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (Water and Sanitation)	6	7
7	सतत और आधुनिक ऊर्जा (Sustainable and Modern Energy)	16	10
8	आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन (Sustainable Economic Growth)	11	7
9	अवस्थापना विकास, आद्यौगिकीकरण तथा नवाचार प्रोत्साहन (Infrastructure, Industrialization & Innovation)	18	13
10	अर्न्तक्षेत्रीय विषमताओं को कम करना (Reduce Inequality)	24	21
11	शहरी क्षेत्रों और बस्तियों का संवहनीय तथा सुरक्षित विकास (Safe, Resilient & Sustainable Development)	11	11
12	सतत उपभोग तथा सतत उत्पादन (Sustainable Consumption &Production)	-	20
13	जलवायु परिवर्तन (Climate Change)	-	8
14	जलीय जीवन (Life Under Water) प्रदेश हेतु लागू नहीं	-	
15	वन एवं पर्यावरण संवहनीयता (Life on Land)	1	9
16	शान्ति, सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय (Peace and Justice)	5	3
17	कार्यान्वयन, भागीदारी सहभागिता (Partnership for Sustainable Development)	-	-

स्रोतः नीति आयोग, भारत सरकार।

5.7 नीति आयोग द्वारा जारी SDG INDIA INDEX में राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग की गयी है। सतत विकास लक्ष्यों में जनपदवार उप लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु Sustainable Development Goals UTTARAKHAND INDEX REPORT 2019-20 तैयार करवाई गयी। इस रिपोर्ट में एस0डी0जी0 के 12 लक्ष्यों के 132 संकेतांकों के आधार पर नीति आयोग की मैथडोलॉजी के आधार पर जनपदवार तथा एस0डी0जी0वार स्कोर वैल्यू आकलित किये गये। इस आकलन में एस0डी0जी0 10, 12, 13, 14 तथा 17 के आंकडों की अनुपलब्धता के कारण शामिल नहीं किये गये।

एस.डी.जी. उत्तराखण्ड इन्डेक्स रिपोर्ट 2019–20 में कुल 12 सतत विकास लक्ष्यों के 132 संकेतांकों को शामिल करते हुए नीति आयोग भारत सरकार द्वारा अपनाई गयी Methodolgoy के आधार पर जनपदवार, लक्ष्यवार तथा समावेशी इन्डेक्स तैयार किये गये। इस विधि में प्रत्येक एस0डी0जी लक्ष्य के सभी प्राथमिक संकेतकों (Priority Indicators) के लक्ष्यों (Targets) के सापेक्ष उपलब्धियों के आंकडों को Normalised किया गया तथा उन्हे समान भार देते हुए उनके स्कोर वैल्यू 100 के सापेक्ष आगणित किये गये। एस0डी0जी0वार तथा कम्पोजिट इंडेक्स के आंकलन में समांतर माध्य का उपयोग किया गया है।

जिन संकेताकों की उपलब्धियां उनके निर्धारित लक्ष्यों (Targets) (100 प्रतिशत) से अधिक हैं उन्हें भी 100 प्रतिशत माना गया जिससे एस0डी0जी0 की उपलब्धियां उनके लक्ष्य के बराबर या अधिक थी, उनकी स्कोर वैल्यू 100 आंकलित हुई। जनपदवार सभी एस0डी0जी0 के सभी संकेतांको के स्कोर वैल्यू के औसत से जनपदों के एस0डी0जी0 इन्डेक्स की गणना की गई। जनपदों के एस0डी0जी0 इन्डेक्स की वैल्यू 100 होने पर अचीवर, 99 से 65 के मध्य होने पर अग्रणी, 64 से 50 के मध्य होने पर निष्पादक तथा 49 से कम होने पर आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत हुए। एस0डी0जी0 के लक्ष्यवार संकेताकों की संख्या तालिका 5.3 में दी गयी है।

तालिका 5.3
लक्ष्यवार संकेतक

GOAL No.	लक्ष्य	Goalwise No of INIDICATOR
GOAL-1	गरीबी समाप्त करना (No Poverty- End of poverty in all forms Every where)	14
GOAL-2	भुखमरी समाप्त करना (Zero Hunger- End Hunger, achieve food Security and Improves nutrition and promote sustainable Agriculture)	18
GOAL-3	स्वास्थ्य संवहनीयता (Good Health and Well-Being)	7
GOAL-4	गुणवत्ता परक शिक्षा (Quality Education- Ensure Inclusive and Equitable Education& Promote lifelong learning Opportunity for all)	31
GOAL-5	लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण (Gender Equality - Achieve gender equality and empower all women and girls)	11
GOAL-6	सभी के लिए स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (Clean Water and Sanitation- ensure availability and sustainable Management of water and sanitation for all)	6
GOAL-7	सतत और आधुनिक ऊर्जा (Affordabke and Clean Energy- ensure access to affordable, reliable, sustainable and Modern energy for all)	5
GOAL-8	अच्छा कार्य तथा आर्थिक विकास (Decent Work Economic Growth- promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, for all and productive employment and decent work for all)	14
GOAL-9	अवस्थापना विकास, आद्यौगिकीकरण तथा नवाचार प्रोत्साहन (Industry, Innovation and Infrastructure- Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable Industrialization &foster Innovation)	4
GOAL-11	शहरी क्षेत्रों और बस्तियों का संवहनीय तथा सुरक्षित विकास (Sustainable Cities and Communities-Make cities and human settlements inclusive, Safe, Resilient & Sustainable)	8
GOAL-15	वन एवं पर्यावरण संवहनीयता (Life on Land- protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification and halt and reserve land degradation and halt biodiversity loss,)	3
GOAL-16	शान्ति, सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय (Promote Peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to Justicefor all and build effective accountable and inclusive Institutions at all levels)	11
Total Indicator		132

Source: SDG Uttarakhand Index Report 2019-20

ग्राफ 5.2

सतत् विकास लक्ष्य में जनपदों के कम्पोजिट इन्डेक्स वैल्यू

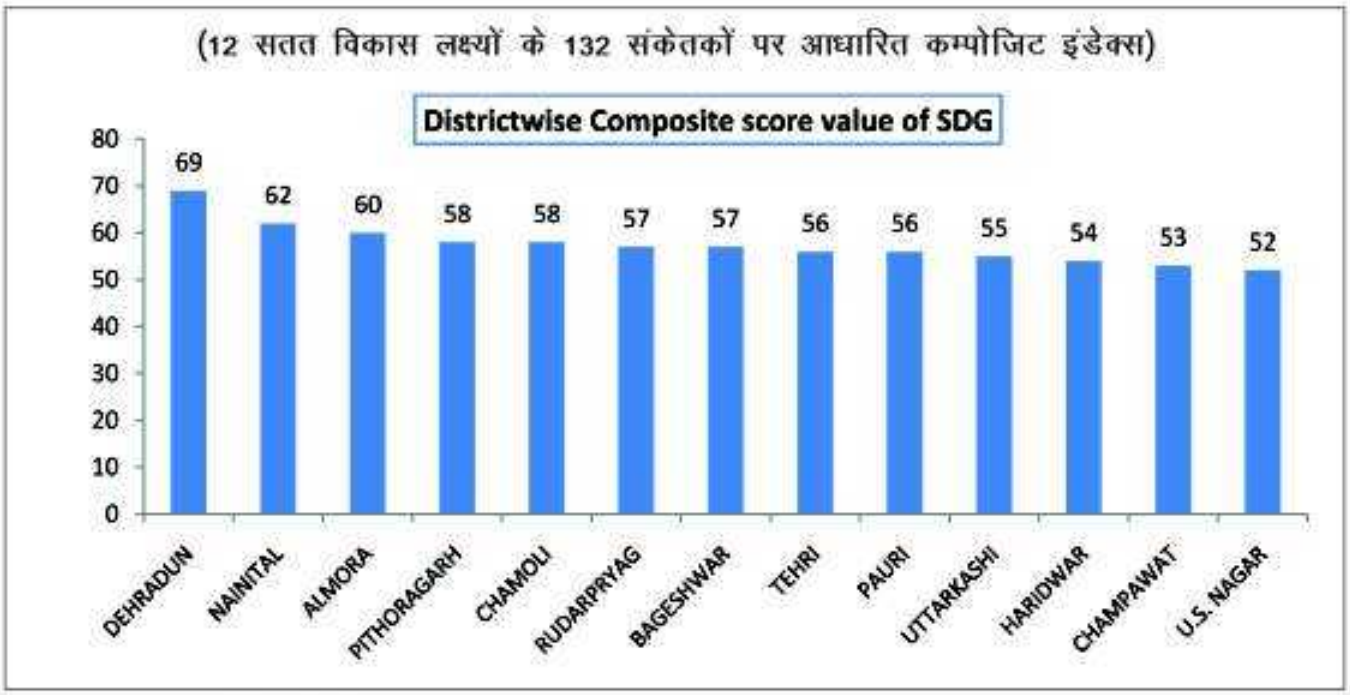

Source: SDG Uttarakhand Index Report 2019-20

5.8 जनपदों की श्रेणी–नीति आयोग की विधि से आंकलित कम्पोजिट इन्डेक्स द्वारा राज्य के 12 जनपद निष्पादक (Performer) श्रेणी में तथा देहरादून अग्रणी श्रेणी में (Front Runner) में वर्गीकृत हुआ। राज्य का कोई भी जनपद न तो आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत हुआ और न ही एचीवर श्रेणी में। कम्पोजिट इन्डेक्स के आधार पर जनपदों की श्रेणी निम्न तालिका सं0–5.5 में प्रदर्शित है–

तालिका 5.4

श्रेणी निर्धारण (प्रदर्शन आरोही क्रम में)	इन्डेक्स वैल्यू रेंज	श्रेणीवार जनपदों का वर्गीकरण
आकांक्षी (Aspirant)	0-49	कोई नही
निष्पादक (Performer)	50-64	अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, चम्पावत, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, ऊधमसिंह नगर, उत्तरकाशी
अग्रणी (Front Runner)	65-99	देहरादून
अचीवर (Achiever)	100	कोई नही

Source: SDG Uttarakhand Index Report 2019-20

तालिका 5.5

सतत् विकास लक्ष्यों में लक्ष्यवार **Top Performing and Low Performing Districts**

एस0डी0जी संख्या	सतत् विकास लक्ष्यों का विवरण	Top Performing	Low Performing
1	गरीबी समाप्त करना (No Poverty- End of poverty in all forms Every where)	देहरादून	टिहरी गढ़वाल
2	भुखमरी समाप्त करना (Zero Hunger- End Hunger, achieve food Security and Improves nutrition and promote sustainable Agriculture)	देहरादून, हरिद्वार	पौड़ी गढ़वाल
3	स्वास्थ्य संवहनीयता (Good Health and Well-Being)	ऊधमसिंह नगर	पौड़ी गढ़वाल
4	गुणवत्ता परक शिक्षा (Quality Education- Ensure Inclusive and Equitable Educanon& Promote lifelong learning Opportunity for all)	पौड़ी गढ़वाल	हरिद्वार
5	लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण (Gender Equality- Achieve gender equality and empower all women and girls)	अल्मोड़ा	उत्तरकाशी
6	सभी के लिए स्वच्छ जल एवं स्वच्छता (Clean Water and Sanitation- ensure availability and sustainable Management of water and sanitation for all)	चमोली	ऊधमसिंह नगर
7	सतत् और आधुनिक ऊर्जा (Affordabke and Clean Energy- ensure access to affordable, reliable, sustainable and Modern energy for all)	हरिद्वार	उत्तरकाशी
8	अच्छा कार्य तथा आर्थिक विकास (Decent Work Economic Growth- promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, for all and productive employment and decent work for all)	देहरादून	चम्पावत
9	अवस्थापना विकास, औद्योगिकीकरण तथा नवाचार प्रोत्साहन (Industry, Innovation and Infrastructure- Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable Industrialization & foster Innovation)	ऊधमसिंह नगर	पौड़ी गढ़वाल
11	शहरी क्षेत्रों और बस्तियों का संवहनीय तथा सुरक्षित विकास (Sustainable Cities and Communities- Make cities and human settlements inclusive, Safe, Resilient & Sustainable)	अल्मोड़ा	चम्पावत, पौड़ी गढ़वाल
15	वन एवं पर्यावरण संवहनीयता (Life on Land- protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification and halt and reserve land degradation and halt biodiversity loss.)	अल्मोड़ा, चमोली, चम्पावत, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी तथा रूद्रप्रयाग	ऊधमसिंह नगर
16	शान्ति, सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय (Promote Peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to Justice for all and build effective accountable and inclusive Institutions at all levels)	बागेश्वर	हरिद्वार

Source: SDG Uttarakhand Index Report 2019-20

5.9 सतत् विकास लक्ष्यों की श्रेणीः– सभी संकेतकों के आंकलित मूल्यों के योग के आधार पर लक्ष्यवार कम्पोजिट इंडेक्स तैयार किये गये, जिसमें एस0डी0जी0–7 में राज्य अग्रणी श्रेणी में, एस0डी0जी0–2 में निष्पादक श्रेणी में तथा एस0डी0जी0–3 में आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत हुआ। सर्वाधिक इंडेक्स वैल्यू एस0डी0जी0–15 वन एवं पर्यावरण संवहनीयता का 99 तथा न्यूनतम स्कोर वैल्यू एस0डी0जी0 संख्याः–4 समावेशी तथा गुणवत्ता परक शिक्षा की 33 है। इस प्रकार एस0डी0जी0 संख्याः–4 गुणवत्तापरक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का प्रर्दशन सबसे पिछड़ा रहा है। श्रेणीवार लक्ष्यों का विवरण तालिका संख्या–5.6 में प्रदर्शित है।

1. अग्रणी श्रेणी में वर्गीकृत एस0डी0जी0 संख्याः– 1, 2, 3, 5, 7, 9 तथा 15 ।
2. निष्पादक श्रेणी में वर्गीकृत ए स 0 डी 0 जी 0 संख्याः– 8 एवं 16।
3. आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत एस0डी0जी0–4,6 तथा 11 ।

तालिका संख्या–5.6
लक्ष्यवार इंडेक्स मूल्य

एस0डी0जी0	सतत विकास लक्ष्यों का विवरण	लक्ष्यवार इंडेक्स वैल्यू
Goal-1	गरीबी समाप्त करना	71
Goal-2	भुखमरी समाप्त करना	68
Goal-3	स्वास्थ्य संवहनीयता	69
Goal-4	समावेशी तथा गुणवत्ता परक शिक्षा	33
Goal-5	लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण	70
Goal-6	सभी के लिए स्वच्छ जल एवं स्वच्छता	46
Goal-7	सतत और आधुनिक ऊर्जा	90
Goal-8	आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन	64
Goal-9	अवस्थापना विकास, औद्योगिकीकरण तथा नवाचार प्रोत्साहन	73
Goal-11	शहरी क्षेत्रों और बस्तियों का संवहनीय तथा सुरक्षित विकास	45
Goal-15	वन एवं पर्यावरण संवहनीयता	99
Goal-16	शांति, सुरक्षा एवं सामाजिक न्याय	51

Source: SDG Uttarakhand Index Report 2019-20

अध्याय–6
भाव संचलन
Price Movement

6.1 मूल्य सूचकांक (Price Index): मूल्य सूचकांक अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर (Price Level) या लोगों की जीवन शैली की लागत (Cost of Living) मापने का कार्य करता है। यह विभिन्न समयावधि में अथवा भिन्न भौगोलिक स्थानों के बीच के सापेक्ष मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। एक निश्चित समयांतराल के दौरान किसी दिए गए समूह की वस्तुओं या सेवाओं के मूल्यों के सापेक्ष यह एक सामान्यीकृत औसत (आमतौर पर एक भारित औसत) मूल्य है। इसका उपयोग उत्पादकों के उत्पादक योजना बनाने एवं उत्पादित वस्तुओं के मूल्य निर्धारण हेतु किया जाता है।

6.2 थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index): थोक मूल्य सूचकांक कुछ चुनी हुई वस्तुओं के समूह (Basket) के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में यह बास्केट 3 समूहों से बना है: प्राथमिक वस्तुएं (कुल भार 22.62%), ईंधन और शक्ति (कुल भार 13.15%) तथा विनिर्माण उत्पाद (कुल भार 64.23%)। प्रतिनिधि बास्केट में कुल 697 वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें से प्राथमिक समूह में 117 वस्तुएं, ईंधन व शक्ति समूह में 16 वस्तुएं तथा विनिर्माण समूह में 564 वस्तुएं सम्मिलित हैं। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़ें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मासिक अंतराल पर जारी किया जाता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक (Whole sale Price Index) मुद्रा स्फीति के मापन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है।

6.3 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index): अप्रैल 2014 से मुद्रा स्फीति मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) (आधार 2012=100) को नये मानक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उत्तराखण्ड राज्य में जनपद स्तरीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2017–18) हेतु वस्तुओं के भार निर्धारण करने के लिये Item basket तैयार की जानी है। इसके लिये राज्य की कुल 74 चयनित बाजारों (34 ग्रामीण एवं 40 नगरीय) से प्रतिमाह 533 वस्तुओं के भाव एकत्रित किये गये हैं। भाव एकत्रित करने हेतु जनपद में प्रत्येक मद के लिये 3–3 दुकानों का चयन किया गया था। भाव संग्रह के लिये वर्ष 2020 असामान्य होने के फलस्वरूप जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019 के संग्रहीत 533 वस्तुओं के भावों को आयटम बास्केट तैयार करने में प्रयोग किया जा रहा है, जिससे आधार वर्ष 2017–18 हेतु वस्तुओं का भार निर्धारण किया जा सके।

6.4 CPI (संयुक्त) तैयार करने हेतु सभी वस्तुओं को 6 उप समूहों (Sub-groups) में वर्गीकृत करते हुये भारित (Weighted) किया गया है, जो इस प्रकार है: खाद्य एवं पेय पदार्थ (कुल भार 45.86%); पान, तम्बाकू और मादक पदार्थ (कुल भार 2.38%); कपड़े और जूते (कुल भार 6.53%); आवास (कुल भार 10.07%); ईंधन और प्रकाश (कुल भार 6.84%) तथा अन्य वस्तुएं (कुल भार 28.32%)। सूचकांक निर्माण में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार सर्वाधिक होने के कारण इनके भावों में परिवर्तन मुद्रा स्फीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

NSSO के क्षेत्र संचालन प्रभाग द्वारा सीपीआई (शहरी) हेतु 310 चयनित शहरों/कस्बों में तथा सीपीआई (ग्रामीण) हेतु 1,114 ग्रामीण बाजारों से

मासिक मूल्य डाटा एकत्रित किया जाता है। साथ ही विशिष्ट राज्य/संघ शासित प्रदेशों के अर्थ एवं संख्या निदेशालय तथा डाक विभाग द्वारा चयनित 1,181 गांवों से वेब पोर्टल के जरिये कीमतें एकत्रित की जाती हैं।

मुद्रास्फीति के कारण

6.5 विगत कई वर्षों से सरकारी व्यय में निरंतर वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा का प्रवाह हुआ है, जो सामान्य जन की क्रय क्षमता को बढ़ाता है। यह मुख्य रूप से गैर योजना व्यय (Non-plan expenditure) में बढ़ोतरी करता है, जो कि अनुत्पादक प्रकृति का होता है तथा केवल क्रय क्षमता एवं मांग में वृद्धि करता है। इसी क्रम में समय–समय पर वेतन आयोग की संस्तुतियों के कारण कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने से भी मंहगाई दर में वृद्धि हुई है, साथ ही पैट्रोल व डीजल के दामों में हो रही दैनिक वृद्धि भी मंहगाई के प्रमुख कारणों में से एक है, क्योंकि अधिकांश दैनिक उपभोग की वस्तुओं व सेवाओं की ढुलाई व आपूर्ति यातायात माध्यमों से होती हैं, जो कि ईधन हेतु पैट्रोल व डीजल पर आधारित है।

राज्य में मंहगाई नियंत्रण एवं वित्तीय प्रबंधन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय संसद् में वित्तीय अनुशासन (राजकोषीय घाटे को कम करना तथा संतुलित बजट की दिशा में अग्रसर होना) एवं व्यापक आर्थिक प्रबंधन की दृष्टि से पारित Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003 (FRBMA) का अनुपालन करते हुये राजकोषीय घाटे को GDP के अधिकतम 3 प्रतिशत की सीमा में निरन्तर रखा जा रहा है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) Consumer Price Index (Combined):-

6.6 सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के फलस्वरूप राज्य में वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित रही हैं, फिर भी उत्तराखण्ड का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) राष्ट्रीय सूचकांक की तुलना में अधिक रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2020 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) का अध्ययन करने पर दृष्टिगत् होता है कि माह जनवरी 2020 में मुद्रा स्फीति की दर(+) 7.59 प्रतिशत थी जो अक्टूबर 2020 माह में अधिकतम स्तर 7.61 प्रतिशत पर अवस्थित रही।

राज्य में वर्ष 2020 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का अध्ययन करने पर यह दृष्टिगत् होता है कि जनवरी माह में मुद्रा स्फीति की दर (+) 7.78 प्रतिशत के स्तर पर थी, जो दिसम्बर माह में 5.46 प्रतिशत पर अवस्थित रही।

जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक राष्ट्रीय एवं प्रदेश की मुद्रा स्फीति दर का अध्ययन करने पर यह दृष्टिगत् होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर माह मार्च 2020 तक कमी होती रही। अप्रैल 2020 तथा मई 2020 में कोविड महामारी के कारण मुद्रा स्फीति की गणना नहीं की जा सकी। जून 2020 में उक्त दर 6.23 थी, जो जुलाई 2020 में बृद्धि के उपरान्त अगस्त 2020 में पुनः घट कर 6.69 हो गयी थी। तत्पश्चात् अक्टूबर 2020 तक यह दर बढ़ने के पश्चात नवम्बर 2020 में उक्तदर 6.93 हो गयी। माह दिसम्बर 2020 में मुद्रा स्फीति की दर पुनः घटकर 4.59 हो गयी थी। प्रदेश में माह मार्च 2020 तक मुद्रा स्फीति की दर में निरंतर कमी होती रही। अप्रैल 2020 एवं मई 2020 में इसका आकलन नहीं किया जा सका। जून 2020 में मुद्रा स्फीति की दर 8.67 थी, जो कि अगस्त 2020 तक निरन्तर घटती रही। सितम्बर 2020 में उक्त दर में बृद्धि परिलक्षित हुई एवं अक्टूबर 2020 में बृद्धि जारी रही। तदुपरान्त दिसम्बर 2020 तक मुद्रा स्फीति की दर में कमी आई एवं यह घटकर 5.46 रह गयी। उत्तराखण्ड की मुद्रा स्फीति दर माह जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक समस्त महीनों में राष्ट्रीय दर

से अधिक रही है।

जनवरी 2016 से दिसम्बर 2020 तक की औसत मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) व जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक की मुद्रा स्फीति की दर नीचे तालिका 6.1 में दर्शायी गई है। मुद्रा स्फीति की दर का रेखाचित्र द्वारा भी चार्ट 6 (अ) में प्रदर्शित किया गया है:–

तालिका 6.1

अखिल भारतीय एवं उत्तराखण्ड का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) CPI (Combined)
(आधार 2012 = 100)

माह	2016		2017		2018		2019		2020		मुद्रास्फीति की दर (2020)	
	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड
जनवरी	126.3	120.5	130.3	124.5	136.9	132.2	139.6	134.9	150.2	145.4	7.59	7.78
फरवरी	126.0	119.8	130.6	124.5	136.4	131.3	139.9	135.0	149.1	145.0	6.58	7.41
मार्च	126.0	120.1	130.9	124.8	136.5	130.6	140.4	136.0	148.6	145.4	5.84	6.91
अप्रैल	127.3	121.2	131.1	125.2	137.1	130.7	141.2	136.1	151.4			
मई	128.6	122.4	131.4	125.5	137.8	131.7	142.0	137.7	150.9			
जून	130.1	123.0	132.0	125.4	138.5	132.2	142.9	138.4	151.8	150.4	6.23	8.67
जुलाई	131.1	125.0	134.2	127.2	139.8	134.0	144.2	140.2	153.9	151.6	6.73	8.13
अगस्त	131.1	125.5	135.4	129.5	140.4	134.4	145.0	141.3	154.7	152.5	6.69	7.93
सितम्बर	130.9	125.2	135.2	129.8	140.2	134.7	145.8	142.4	156.4	154.2	7.27	8.29
अक्टूबर	131.4	125.8	136.1	130.0	140.7	136.5	147.2	144.3	158.4	156.3	7.61	8.32
नवम्बर	131.2	126.2	137.6	132.1	140.8	137.1	148.6	145.1	158.9	156.4	6.93	7.79
दिसम्बर	130.4	124.9	137.2	132.3	140.2	135.6	150.4	146.1	157.3	154.4	4.59	5.46

Source: CSO, MoSPI, GoI

चार्ट 6.1

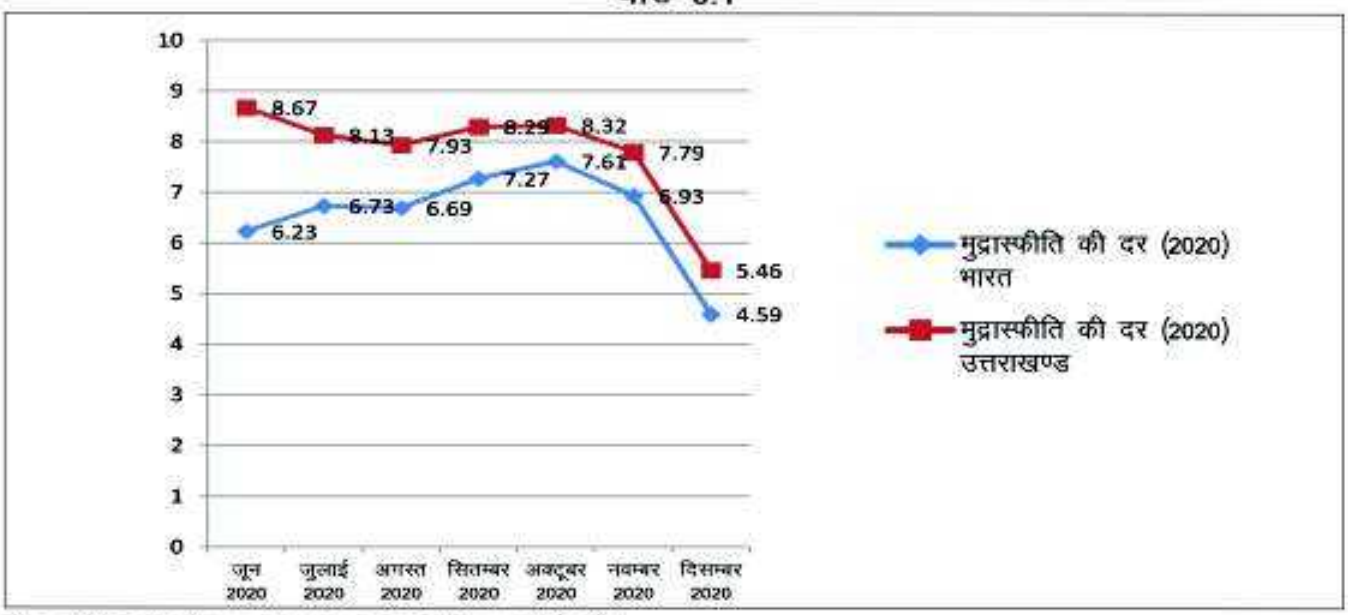

नोट–कोविड–19 के कारण माह जून 2020 से ग्राफ दर्शित है।

Source: CSO, MoSPI, GoI

अध्याय–7
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले
Food Civil Supplies and Consumer Affairs

स्वतंत्रता के पश्चात सभी के लिये खाद्य सुरक्षा एक राष्ट्रीय उद्देश्य बन चुकी है। जहां पहले खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य पेट भर रोटी उपलब्ध होने से था, वहीं आज खाद्य सुरक्षा से आशय भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की पहुंच के अतिरिक्त संतुलित आहार, साफ पीने का पानी, स्वच्छ वातावरण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य रख–रखाव तक जा पहुंचा है। हरित क्रान्ति के उपरान्त सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना आदि योजनायें लागू की। इसके अतिरिक्त काम के बदले अनाज योजना के माध्यम से गरीबों को राहत देने का प्रयास किया गया।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के वैश्विक लक्ष्यों में गरीबी खत्म करना, भूखमरी की समाप्ति, आर्थिक असमानता कम करना और सभी के लिये शांति और न्याय सुनिश्चित करना है। सतत विकास लक्ष्य 1 व 2 में गरीबी एवं भूखमरी की समाप्ति हेतु खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यदि ये लक्ष्य निर्धारित समय के भीतर पूर्ण किये जाते हैं तो निश्चित रूप से दुनिया में गरीबों का जीवन आसान होगा और उन्हे जीने के बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग का मुख्य उद्देश्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चिन्हांकित परिवारों को पात्रतानुसार रियायती दर पर सामग्री का वितरण कराना है। इसके अंतर्गत खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों का स्टॉक रखना और उसका रखरखाव करना, वितरण करने वाली एजेन्सियों को खाद्यान्नों की सुपुदर्गी एवं उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना है।

7.1 लक्षित सार्वजनिक प्रणाली

एन0एफ0एस0ए0 (पात्र गृहस्थियां) तथा नॉन–एन0एफ0एस0ए0 (ए0पी0एल0) की श्रेणियों के प्रकार:–

(1) एन0एफ0एस0ए0, प्राथमिक परिवार (सफेद कार्ड)

(2) एन0एफ0एस0ए0, अन्त्योदय (गुलाबी कार्ड)

(3) राज्य खाद्य योजना (पीला कार्ड)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में 22,92,465 राशन कार्ड तथा राज्य में उचित मूल्य की 9,225 दुकाने संचालित की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2020–2021 में 31 दिसम्बर, 2020 तक निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की मात्रा उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा वितरित की गयी हैं :–

तालिका 7.1

क्र0सं0	वस्तु का नाम	इकाई	वस्तुओं का प्रेषण 31 दिसम्बर, 2020 तक
1.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (गेहूँ)	मी0टन	83542.426
2.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (चावल)	मी0टन	135549.151
3.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (गेहूँ)	मी0टन	19833.544
4.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चावल)	मी0टन	32024.881
5.	राज्य खाद्य योजना (गेहूँ)	मी0टन	45032.875
6.	राज्य खाद्य योजना (चावल)	मी0टन	22062.986

स्रोतः खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।

वर्तमान में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2020–2021 में 31 दिसम्बर, 2020 तक के खाद्यान्न वितरण का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

तालिका 7.2

क्र0सं0	प्रति राशन कार्ड	उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरित की जाने वाली सामग्री की मात्रा
1.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (गेहूँ)	2.00 कि0ग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट प्रति माह 3.00 कि0ग्रा0 चावल प्रति यूनिट प्रति माह
2.	एन0एफ0एस0ए0 प्राथमिक परिवार (चावल)	
3.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (गेहूँ)	21.700 कि0ग्रा0 गेहूँ प्रति कार्ड प्रति माह 03 ₹ प्रति किग्रा0 की दर से 13.300 कि0ग्रा0 चावल प्रति कार्ड प्रति माह 02 ₹ प्रति किग्रा0 की दर से
4.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चावल)	
5.	राज्य खाद्य योजना (गेहूँ)	5.00 कि0ग्रा0 गेहूँ प्रति कार्ड प्रति माह 2.50 कि0ग्रा0 चावल प्रति कार्ड प्रति माह
6.	राज्य खाद्य योजना (चावल)	
7.	एन0एफ0एस0ए0 अन्त्योदय (चीनी)	1.00 किलोग्राम प्रतिकार्ड प्रतिमाह 13.50 ₹ प्रति किग्रा0 की दर से

स्रोतः खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।

7.2 एफ0पी0एस0 (Fair Price Shop) ऑटोमेशनः– एफ0पी0एस0 ऑटोमेशन के अन्तर्गत राज्य के 9225 राशन की दुकानों के सापेक्ष 7416 राशन की दुकानों को सी0एस0सी0 (**Common Service Centre**) के माध्यम से सिस्टम इन्टीग्रेटर के रूप में ऑटोमेट किया गया है। इसके अन्तर्गत राशन विक्रेताओं को सी0एस0सी0 के माध्यम से निःशुल्क लैपटॉप, प्रिंटर, तथा बायोमैट्रिक डिवाईस उपलब्ध कराये गये हैं। उक्त राशन की दुकानों के माध्यम से बायोमैट्रिक/ ऑनलाईन ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। राज्य की अवशेष 1809 राशन की दुकानों को ब्रेसिल के माध्यम से ऑटोमेट किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत प्रत्येक राशन की दुकान पर e-pos

स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है ।

7.3 डाटा डिजिटाइजेशन एवं आधार सीडिंगः— राज्य के समस्त अन्त्योदय, प्राथमिक परिवार एवं राज्य खाद्य योजना के लगभग 23 लाख राशन कार्डों को शत प्रतिशत डिजिटाईज करते हुये प्रत्येक राशन कार्ड तथा यूनिट को आधार से लिंक किया गया है। नये राशन कार्ड ऑनलाईन आधार अथॉन्टिकेशन के उपरान्त ही बनाये जा रहे हैं।

7.4 सप्लाई चेन मैनेजमेन्टः— इस के अन्तर्गत बेस गोदाम से राज्य के समस्त 197 आन्तरिक गोदामों तक आवंटन, इन्डेन्ट जनरेशन, ट्रक चालान, रिसिविंग व राशन विक्रेताओं को डिलीवरी ऑर्डर ऑनलाईन किया जा रहा है।

"वन नेशन वन राशन कार्ड"

- "वन नेशन वन राशन कार्ड" योजना राज्य में माह जुलाई, 2020 से लागू की गयी है, जिसके फलस्वरूप उत्तराखण्ड राज्य देश के अन्य राज्यों से जुड़ गया है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्डधारकों को एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक जनपद से दूसरे जनपद में किसी भी राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी गयी है।
- राशन कार्डों को और सुविधाजनक बनाये जाने के उद्देश्य से राज्य में पुराने बुकलेट राशन कार्डों के स्थान पर नवीन सुविधाजनक QR Code तथा यूनिक नम्बर के साथ राशन कार्ड बनाये जा रहे हैं, जिसका उपभोक्ताओं को वितरण गतिमान है।

7.5 मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीद :–

- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कृषकों से गेहूँ एवं धान की ऑनलाईन खरीद का साफ्टवेयर (E-Khareed Portal) तैयार किया गया है।
- रबी विपणन सत्र 2020–21 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से 38630.424 मी0टन गेहूँ की खरीद की गयी है, जिसका किसानों को शत्प्रतिशत ऑनलाईन RTGs के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है।
- खरीफ खरीद धान की खरीद वर्ष 2020–21 के अन्तर्गत दिनांक 07 जनवरी, 2021 तक 883713.273 मी0टन (कॉमन) तथा 123107.976 मी0टन (ग्रेड–ए) की कुल 1006821.249 मी0टन की धान खरीद की गई है ।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत आर0एम0एस0 (Rabi Market Season) 2020–21 में 4656 पंजीकृत कृषकों से 38630.424 मी0टन गेहूँ का क्रय किया गया है। क्रय किये गये गेहूँ का मूल्य ₹ 1925 प्रति कु0 एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित ₹ 20 प्रति कु0 बोनस कुल मूल्य ₹ 1945 प्रति कु0 के आधार पर ₹ 75.14 करोड़ का भुगतान कृषकों को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उनके खाते में किया गया है। कृषकों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ₹ 20.00 प्रति कु0 बोनस अनुमन्य किया गया है।

खरीफ–खरीद सत्र 2020–21 में राज्य सरकार द्वारा धान क्रय का 10 लाख मी0टन लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- कृषकों की सुविधा हेतु ई–खरीद पोर्टल तैयार कर पंजीकृत कृषकों से ही धान का क्रय कर कृषकों के खाते में 48 घण्टे में आर0टी0जी0एस0 (Real Time Gross Sattlement) के माध्यम से भुगतान किये जाने की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

- कोविड–19 के दृष्टिगत गत वर्षों की अपेक्षा क्रय संस्थाओं के संचालित क्रय केन्द्रों में वृद्धि करते हुये 709 क्रय केन्द्र स्थापित किया गया है।
- कृषक को अपने घर से ही पंजीकरण करवाने तथा टोकन लेने की व्यवस्था सॉफ्टवेयर में की गयी है।

दिनांक 07.01.2021 तक 74880 कृषकों का पंजीकरण कर 10.06 लाख मी0टन धान की खरीद की जा चुकी है।

7.6 मुख्यमंत्री दाल पोषित योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत राज्य में अन्त्योदय, प्राथमिक एवं राज्य खाद्य योजना के लगभग 23 लाख राशन कार्ड धारकों को सब्सिडाईज्ड दरों पर 02 कि0ग्रा0 दाल प्रति कार्ड प्रति माह उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना से उपभोक्ताओं को मंहगाई से राहत तथा प्रोटीन युक्त दाल से पोषण भी प्राप्त हो रहा है।

कोविड–19 के दौरान प्रयास

राज्य सरकार द्वारा COVID-19 की अवधि में तीन माह (अप्रैल, मई, एवं जून 2020) में राज्य खाद्य योजना के 10.37 लाख परिवारों को राहत दिये जाने के उद्देश्य से 12.50 कि0ग्रा0 खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड (05 कि0ग्रा0 गेहूँ तथा 7.50 कि0ग्रा0 चावल) अतिरिक्त रूप से वितरण किया गया। इस प्रकार 10.37 लाख परिवारों को प्रति राशन कार्ड 20 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (10 कि0ग्रा0 गेहूँ 8.60 ₹ प्रति कि0ग्रा0 तथा 10 कि0ग्रा0 चावल 11.00 ₹ प्रति कि0ग्रा0) उपलब्ध करवाया गया।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनाः– इसके अन्तर्गत प्राथमिक परिवार एवं अन्त्योदय अन्न योजना के 61.94 लाख लाभार्थियों को माह अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 हेतु प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (चावल एवं गेंहूँ) निःशुल्क तथा 13.49 लाख राशन कार्ड धारकों/परिवारों को प्रति राशन कार्ड 01 कि0ग्रा0 दाल निःशुल्क वितरण करवाया गया।

आत्मनिर्भर भारत योजनाः– भारत सरकार द्वारा अवरूद्ध/प्रवासियों हेतु 02 माह (मई एवं जून 2020) हेतु प्रति व्यक्ति 05 कि0ग्रा0 निःशुल्क चावल तथा 01 कि0ग्रा0 प्रति परिवार निःशुल्क दाल का आवंटन प्राप्त होने पर प्रवासियों का चिन्हांकन करते हुये इसका वितरण पात्र लाभार्थियों में सुनिश्चित किया गया।

इस प्रकार लॉकडाउन की अवधि में तीन माह का नियमित आवंटन, "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना" व "आत्मनिर्भर भारत योजना" के अतिरिक्त आवंटन का उठान एवं वितरण एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसे पूर्व कार्ययोजना तथा दैनिक अनुश्रवण के उपरान्त समयान्तर्गत सुनिश्चित किया गया।

जागरूकता अभियानः– लॉकडाउन के दौरान योजनाओं की जानकारी, कोरोना वायरस से बचाव व राशन वितरण के दौरान सामाजिक दूरी आदि के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को समाचार पत्रों, एफ0एम0 रेडियो, आकाशवाणी, रेडियो जिंगल, एस0एम0एस0 तथा सभी राशन की दुकानों में पोस्टर के माध्यम से निरन्तर जागरूक किया गया।

- लॉकडाउन की अवधि में खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण किये जाने के उद्देश्य से मुख्यालय में पूर्व स्थापित टोल फ्री कन्ज्यूमर हैल्पलाईन नं0 1800–180–4188

को प्रातः 07 बजे से सायं 05 बजे तक नियमित रूप से क्रियाशील करते हुये शिकायतों का निस्तारण किया गया।

- लॉकडाउन की अवधि में राशन की दुकानों के माध्यम से वृद्ध तथा अशक्त उपभोक्ताओं हेतु होम डिलीवरी करवाई गयी।
- लॉकडाउन की अवधि में राज्य में आवश्यक वस्तुओं यथा सब्जी, आटा, दाल, खाद्य तेल, नमक आदि की आपूर्ति प्रशासन, मण्डी व पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर नियमित रखी गयी।
- राशन की दुकानों के माध्यम से पी0डी0एस0 के गेहूँ, चावल, चीनी, दाल के अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य तेल, आयोडीन नमक, मसाले, चाय, टूथपेस्ट, साबुन आदि भी वितरित किये जाने की व्यवस्था की गयी।
- लॉकडाउन की अवधि में जनापूर्ति एप के माध्यम से निजी क्षेत्र के दुकानदारों के माध्यम से भी होम डिलीवरी की व्यवस्था की गयी।

7.7 स्टेट कन्ज्यूमर हेल्पलाइन

राज्य में 03 टोल फ्री हैल्पलाईन नंबर क्रियाशील हैं:–

- उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान हेतु–राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन नम्बर– 1800–180–4188
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शिकायतों के समाधान हेतु एन0एफ0एस0ए0 हैल्पलाईन नम्बर– 1967
- "वन नेशन वन राशन कार्ड" के अन्तर्गत शिकायत निवारण हेतु हैल्पलाईन नंबर– 14445

7.8 राज्य खाद्य आयोग:– राज्य स्तर पर धारा–16 के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग देहरादून में स्थापित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अधिसूचना के क्रम में धारा 15 के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी को जिला शिकायत निवारण अधिकारी नामित किया गया है। जिसका कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्राप्त शिकायतों की सुनवाई करना एवं राज्य आयोग द्वारा जनपद स्तरीय आदेशों पर प्राप्त अपील सुनने का है।

7.9 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/जिला उपभोक्ता फोरम:– राज्य एवं समस्त जनपदों में उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर 2020 तक राज्य उपभोक्ता फोरम एवं जनपद उपभोक्ता फोरम में दर्ज वादों/निस्तारित वादों की संख्या तालिका 7.3 में दर्शायी गयी है।

तालिका 7.3

क्र0सं0	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	दर्ज वादों की संख्या	निस्तारित वादों की संख्या
1.	उत्तराखण्ड	98	06

क्र0सं0	जिला उपभोक्ता फोरम	दर्ज वादों की संख्या	निस्तारित वादों की संख्या
1.	हरिद्वार	272	226
2.	देहरादून	606	594
3.	उधमसिंहनगर	39	07
4.	उत्तरकाशी	09	01
5.	नैनीताल	94	02
6.	अल्मोड़ा	49	59 (गत वर्ष के शेष सहित)
7.	पिथौरागढ़	01	01
8.	चमोली	08	00
9.	पौड़ी गढ़वाल	08	03
10.	चम्पावत	00	00
11.	टिहरी गढ़वाल	09	08
12.	रूद्रप्रयाग	04	00
13.	बागेश्वर	08	00
	योग	**1107**	**901**
	महायोग	**1205**	**907**

स्रोतः खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।

अध्याय–8
कृषि, गन्ना एवं उद्यान
Agriculture, Sugarcane & Horticulture

8.1 कृषि (Agriculture)

देश की 70% प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण है तथा कोविड–19 के दौरान अधिकांश शहरी क्षेत्रों में कार्यरत कार्यबल का ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन हुआ है, अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका संवर्द्धन की व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में यदि मात्र कृषि क्षेत्र को ही देखा जाए तो, यहां वर्ष 2001 की तुलना में कुल जनसंख्या के सापेक्ष कुल कार्यबल वर्ष 2011 में 27.48% से बढ़कर 30.98% हुआ है, जो भारत के 30.39% (2001) तथा 33.24% (2011) के सापेक्ष कम है।

चूंकि राज्य के अधिकांश क्षेत्र में कृषि जोत छोटी व बिखरी होने के कारण कृषि कार्य अत्यन्त चुनौतीपूर्ण है। 70 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को आजीविका संवर्द्धन तथा अन्य सहवर्गीय क्रियाकलापों यथा उद्यानीकरण, दुग्ध उत्पादन, जड़ी–बूटी उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, पशुपालन, जैविक कृषि, संगन्ध पादप, मौन पालन, सब्जी उत्पादन तथा इनसे सम्बन्धित लघु उद्योगों पर निर्भर करता है। कोविड–19 के दौरान एक रैपिड़ सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 25% व्यक्तियों द्वारा कृषि तथा सहवर्गीय क्षेत्रों में कार्य करने पर अपनी सहमति जताई है, जो निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि प्रवासी कामगार जो सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में होटल, रैस्टोरेन्ट तथा आतिथ्य (Hospitality) क्षेत्र में कार्य करते थे, इस क्षेत्र में कार्य करने को तैयार है।

8.1.1 उत्तराखण्ड के कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों हेतु बजट आवंटन एवं सकल घरेलू उत्पाद में योगदानः– चार्ट–8.1.1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 से 2019–20 तक राज्य में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र में बजट आवंटन कुल बजट का 3.80 प्रतिशत से 3.93 के मध्य रहा है। वर्ष 2019–20 में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र का GSDP में योगदान 0.70 प्रतिशत रहा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार द्वारा कुल बजट में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र हेतु लगातार वृद्धि की है, जो कि निःसंदेह कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिये जाने की ओर इंगित करता है।

चार्ट 8.1

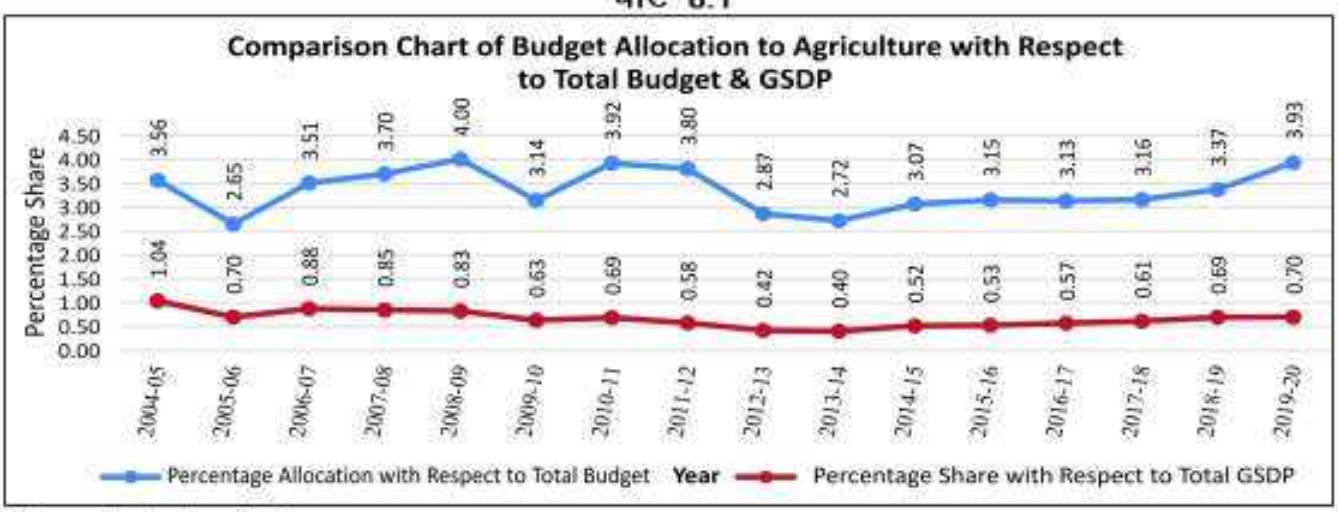

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड।

8.1.2 कृषि जोतें: वर्ष 2015–16 की कृषि गणना के आधार पर प्रदेश में कुल 881305 जोतें हैं। विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया जा रहा है–

तालिका 8.1

जोतों की श्रेणी	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य		योग	
	क्रियात्मक जोतों की संख्या	क्रियात्मक जोतों का क्षेत्रफल	क्रियात्मक जोतों की संख्या	क्रियात्मक जोतों का क्षेत्रफल	क्रियात्मक जोतों की संख्या	क्रियात्मक जोतों का क्षेत्रफल	क्रियात्मक जोतों की संख्या	क्रियात्मक जोतों का क्षेत्रफल
सीमान्त (1.0 हे0 से कम)	109266	40279	15878	6081	532922	236738	659062	283440
लघु (1.0 हे0 से 2.0 हे0 तक)	11178	15294	4374	6348	133022	184246	148815	206225
सीमान्त व लघु जोतों का योग	120444	55573	20252	12429	665944	420984	807877	489665
कुल जोतों के सापेक्ष सीमान्त व लघु जोतों का प्रतिषत	97.29	85.24	71.98	26.79	91.51	67.63	91.67	65.52
अर्द्ध–मध्यम (2.0 हे0 से 4.0 हे0 तक)	3001	7719	4570	13097	50311	134265	58044	155537
मध्यम (4.0 हे0 से 10.0 हे0 तक)	346	1787	3085	17872	10961	58544	14496	78834
वृहद (10.0 हे0 से अधिक)	9	114	228	2996	530	8649	888	23284
कुल योग–	**123800**	**65193**	**28135**	**46394**	**727746**	**622442**	**881305**	**747320**

स्रोतः कृषि विभाग

8.1.3 क्रापिंग पैटर्न– कुल बोये गये क्षेत्रफल का 31 प्रतिशत क्षेत्र गेहूँ के अंतर्गत है, जिस कारण यह प्रदेश की मुख्य फसल है।

तालिका 8.2

क्र0सं0	फसलकानाम	क्षेत्रफल (प्रतिशत)
1	गेहूँ	31
2	धान	23
3	मंडुवा	10
4	गन्ना	9
5	सांवा	4
6	कुलदालें	5
7	कुलतिलहन	3
8	मक्का	2
9	जौ	2
10	फल एवंसब्जियां	5
11	चारा	3
12	अन्य फसल	3

स्रोतः कृषि विभाग

चार्ट 8.2

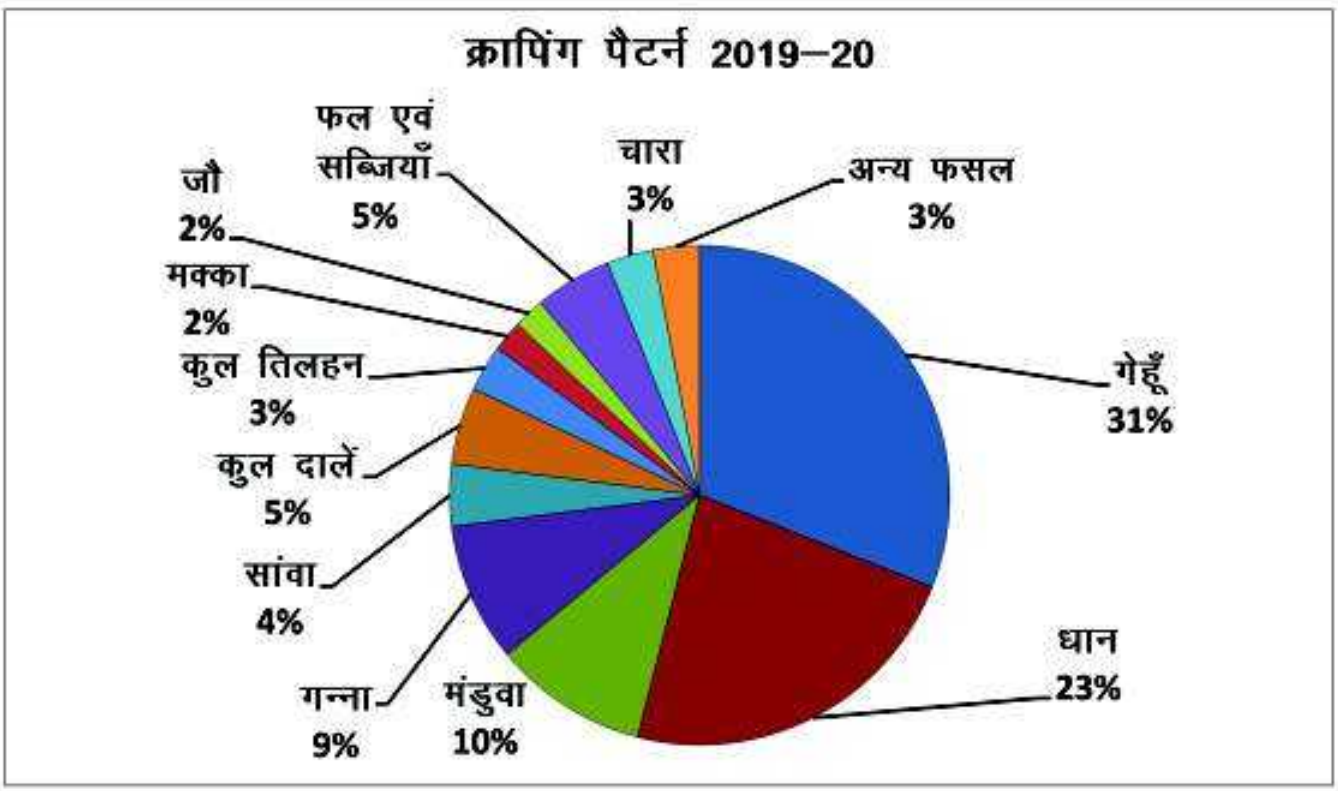

स्रोतः कृषि विभाग

8.1.4 मानसून 2020 (Monsoon 2020): कृषि कार्यकलापों का मानसून से गहन सम्बन्ध है। उत्तराखण्ड में वर्ष 2020 के मानसून के मौसम (अप्रैल–सितम्बर 2020) में सामान्य से लगभग 228.63 मि0मि0 कम वर्षा हुयी है, जबकि अक्टूबर, 2020 से जनवरी, 2021 तक औसत से 28.45 मि0मि0 कम वर्षा हुई है, जो कि सामान्य वर्षा की तुलना में क्रमशः (–) 18 एवं (–) 43 प्रतिशत है।

वर्ष 2019–20 (31 मार्च, 2020) के वांछित वर्षा एवं तापमान के आंकड़ें निम्नानुसार हैः–

तालिका 8.3

क्रमांक	केन्द्र	वर्षा (मि.मी.)		तापमान (°C)	
		सामान्य	वास्तविक	सामान्य	वास्तविक
1	देहरादून	2183.5	1628.6	3.1 (31.12.2019)	40.6(15.06.2019)
2	पंतनगर	1465.3	1345.8	1.6 (28.12.2019)	40.7(30.05.2019)
3	मुक्तेश्वर	1284.4	1249.6	–2.9 (02.02.2020)	31.0 (31.05.2019)
4	नई टिहरी	–	979.8	–2.0 (09.01.2020)	32.1 (01.04.2019)

स्रोतः मौसम विभाग

8.1.5 उत्तराखण्ड में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न के अन्तर्गत क्षेत्रफल

तालिका 8.4

वर्ष	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	उत्पादन ('000 मी.टन)	प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मी.टन)
2011–12	909.305	1804.03	1.98
2012–13	898.974	1811.84	2.02
2013–14	872.75	1775.08	2.03
2014–15	875.38	1612.96	1.84
2015–16	866.78	1756.38	2.03
2016–17	867.88	1874.50	2.16
2017–18	842.389	1920.590	2.28
2018–19 अनुमानित	835.695	1944.090	2.38

स्रोतः कृषि विभाग

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में कृषि भूमि लगातार कम होने के बावजूद भी खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ने का मुख्य कारण उन्नत किस्म के बीजों का वितरण तथा कृषि में नयी–नयी तकनीकों का प्रयोग किया जाना है। सतत् विकास लक्ष्य 2 को विभिन्न चरणों में पूर्ण करने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जो योजनायें चलायी जा रही है, उसका विवरण निम्नानुसार हैः–

केन्द्रपोषित योजनायें

8.1.6 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधिः 01 दिसम्बर, 2018 से लागू इस योजना में समस्त किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 06 हजार की धनराशि डायरेक्ट बेनीफिट ट्रासफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। योजनान्तर्गत प्रदेश में पात्र लाभार्थियों की संख्या 8.38 लाख है। 7.59 लाख कृषक परिवारों को पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। जनपदवार लाभान्वित होने वाले कृषकों का विवरण (दिनांक 17 फरवरी, 2020) निम्नानुसार हैः–

तालिका 8.5

क्र0 सं0	जनपद	कुल लाभान्वित कृषकों की संख्या	प्रथम किस्त से लाभान्वित कृषकों की संख्या	द्वितीय किस्त से लाभान्वित कृषकों की संख्या	तृतीय किस्त से लाभान्वित कृषकों की संख्या	चतुर्थ किस्त से लाभान्वित कृषकों की संख्या	उपलब्ध करायी गयी धनराशि (लाख ₹ में)
1	अल्मोड़ा	83971	81241	74642	65847	55647	5547.54
2	बागेश्वर	26798	25997	25058	22689	15964	1794.16
3	चमोली	40462	39869	39021	36209	27634	2854.66
4	चम्पावत	31721	31228	30171	27188	17805	2127.84
5	देहरादून	46636	45454	43569	40912	32669	3252.08
6	हरिद्वार	98462	95681	88261	71866	54498	6206.12
7	नैनीताल	46826	45714	43912	36909	23235	2995.40
8	पौड़ी गढ़वाल	53011	51029	49276	46178	36829	3666.24
9	पिथौरागढ़	51208	50077	48285	45155	37951	3629.36
10	रूद्रप्रयाग	31681	31150	30193	26726	16645	2094.28
11	टिहरी गढ़वाल	88499	85935	82991	76246	54955	6002.54
12	ऊधमसिंह नगर	72731	71524	69363	65815	47674	5087.52
13	उत्तरकाशी	47638	46917	45413	41918	31608	3317.12
उत्तराखण्ड		**719644**	**701816**	**670155**	**603658**	**453114**	**48574.74**

स्रोतः कृषि विभाग

8.1.7 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पी0एम0के0एम0वाई0): भारत सरकार द्वारा देश के सभी भू–धारक लद्यु एवं सीमान्त किसानों के लिए ''प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना'' (PM-KMY) नामक वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की गई है, जो एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है तथा इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। योजनान्तर्गत प्रदेश में कुल 1688 कृषक पंजीकृत है।

कृषकों की आय को दोगुना करना

वर्तमान में देश के सभी राज्य, वर्ष 2022–23 तक कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में यदि उत्तराखण्ड राज्य में कृषकों की आय का आंकलन किया जाए जो अशोक दलवई कमेटी के अनुसार वर्ष 2015–16 में भारत की औसत कृषक आय ₹ 8059 प्रति माह है, जिसमें 60% आय सीधे फार्म क्रिया कलापों से है, जिसे 2015–16 की लागत (Cost) पर वर्ष 2022–23 तक ₹ 14391 प्रति माह किया

जाना आवश्यक है, जबकि उत्तराखण्ड राज्य में यह आय ₹ 5153 प्रति माह ऑकी गयी है, परन्तु इसमें लगभग 70% आय अकृर्षीय (Non-Farm) गतिविधियों से है, जिसे 2015–16 की लागत (Cost) पर ₹ 7951 होना है। सामान्यतः कृषि एवं सहवर्गीय गतिविधियों में अधिक मेहनत तथा कम लाभ हो पाता है, ऐसी स्थिति में कृषि, उद्यान एवं अन्य सहवर्गीय उत्पादों से अधिक लाभ कमाने हेतु मूल्य संवर्धन (Value Addition) तथा आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को प्रभावी रूप देना अत्यन्त आवश्यक है।

कृषकों की आय में वृद्धि के लिए मुख्य रणनीतिक बिन्दु निम्न प्रकार निर्धारित किये गये है:–

1. उत्पादकता में वृद्धि करना
2. पशुधनः बकरी, कुक्कुट, मत्स्य पालन
3. एकीकृत कृषि प्रणाली
4. फसल कटाई के उपरांत होने वाली हानियों में कमी एवं उपज में मूल्य वृद्धि
5. अपशिष्ट भूमि एवं अपशिष्ट जल प्रबन्धन
6. खेती की लागत में कमी लाना
7. कृषि आय
8. नीतियों को कृषकों के अनुकूल बनाना
9. विशिष्ट कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में विपणन और मूल्य में वृद्धि
10. ऑनलाइन प्रबंधन और मूल्यांकन

8.1.8 राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture-NMSA): वर्षा सिचिंत क्षेत्रों में सतत कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए NMSA के तहत निम्न कार्यक्रम / योजनायें संचालित है:–

(अ) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RAD):-

वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सतत् कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा कुल 58 क्लस्टर हेतु ₹ 888.89 लाख की अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष राज्यांश सहित कुल ₹ 444.44 लाख अवमुक्त किये गये है तथा ₹ 311.85 लाख माह दिसम्बर, 2020 तक व्यय किये गये। विभिन्न फसल पद्धति आधारित 2900 है0 प्रदर्शनों में से 1689 है0 क्षेत्रफल में प्रदर्शनों का आयोजन किया गया।

(ब) परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY):-

परम्परागत कृषि को बढ़ावा देने के लिए एवं प्रदेश के 13 जनपदों के 3900 कलस्टरों में योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत 7800 है0 में जैविक खेती पर प्रशिक्षण, जैविक प्रमाणीकरण, एकीकृत खाद प्रबन्धन, मृदा परीक्षण, जैविक उत्पादों का विपणन एवं कृषि यंत्रों हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 2018–19 की कार्य योजना के सापेक्ष ₹ 13127.40 लाख की धनराशि तथा वर्ष 2019–20 की कार्ययोजना हेतु अवमुक्त धनराशि ₹ 6762.59 लाख की धनराशि के सापेक्ष ₹ 4762.29 लाख का उपयोग कर लिया गया है।

(स) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme-SHC):-

मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु प्रदेश के समस्त कृषकों के खेतों की मिट्टी की जांच हेतु निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। योजना के प्रथम चक्र (वर्ष 2015–2016 से 2016–17) में 7,65,410 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये तथा द्वितीय चक्र (2017–2018 से 2018–19) में 882797 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं।

वर्ष 2019–20 में योजना के लिए ₹ 250.00 लाख का प्राविधान रखा गया था। वर्ष 2019–20 में भारत सरकार द्वारा योजना के मानकों में बदलाव करते हुए सभी 13 जनपदों के 95 विकासखण्डों के एक–एक ग्राम से जोतवार मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण करने हेतु चयनित 95 ग्रामों में संचालित की गयी थी। इन ग्रामों की समस्त 13605 जोतों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करा दिये गये है।

वर्ष 2020–21 में योजना के लिये ₹ 705.21 लाख का प्राविधान किया गया है। वर्तमान वर्ष में समस्त जनपदों से कुल 2609 ग्राम चयनित किये गये है। पूर्व में वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्ड में प्रदत्त उर्वरक संस्तुतियों पर आधारित एक–एक फसल प्रदर्शन व कृषकों को मृदा स्वास्थ्य की महत्ता सम्बन्धित अन्य जानकारी प्रदान करने हेतु कृषक प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे है।

8.1.9 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):- कृषि उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना ''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)'' शुरू की है। यह योजना 90 प्रतिशत केन्द्रपोषित है।

निम्न कार्यक्रम इस योजना के घटक हैं:–

(अ) ''पर ड्रॉप मोर क्रॉप'' (Per Drop More Crop)

''पर ड्रॉप मोर क्रॉप'' का मुख्य लक्ष्य सिंचाई में निवेश के अभिसरण प्राप्त करना, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विकास करना, खेत में सिंचाई की विधि में सुधार कर पानी के अपव्यय को कम करना है। जल संचय हेतु टैंक, तालाब, चैक डैम संरचनाओं के निर्माण स्प्रिंकलर सिंचाई एवं टपक सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में ₹ 666.66 लाख धनराशि का आवंटन के सापेक्ष कार्य कराये जा रहे है।

(ब) हर खेत को पानी

सिंचन क्षमता का विकास करने हेतु लघु सिंचाई के माध्यम से नये भूमिगत एवं सतही जल श्रोतों के विकास हेतु नवीनीकरण, जीर्णोद्धार करना, वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, कमाण्ड एरिया को बढ़ाना, जल वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण जल प्रबन्धन को बढ़ाना, कमाण्ड एरिया का कम से कम 10 प्रतिशत क्षेत्र माइक्रो / प्रिसिसियन सिंचाई में लाना, विभिन्न श्रोतों से जल संचय को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(स) समेकित जलागम विकास कार्यक्रम

इसके अन्तर्गत जल संरक्षण संरचनाओं जैसे चैकडेम, नाला, बन्ड, तालाब, टैंक आदि क्षमता विकास ई.पी.ए. रिज क्षेत्र को ट्रीटमेंन्ट, ड्रेनएज का ट्रीटमेंट, भूमि एवं नमी संरक्षण, नर्सरी लगाना, वनीकरण, उद्यानीकरण, बंजर विकास, आजीविका से संबन्धित क्रियायें (समूह गठन, क्षमता विकास आदि), लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए माइक्रों इन्टर प्राईजेस कार्य सम्मिलित है।

8.1.10 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):– वर्ष 2020–21 में माह दिसम्बर तक 82179 कृषकों का बीमा किया गया है। खरीफ 2020 में 14924.12 हे0 क्षेत्रफल के अन्तर्गत ₹ 110.32 करोड़ का बीमा किया गया है। माह जनवरी के अन्त तक बीमा कम्पनी द्वारा औसत

उपज के आंकड़ों के आधार पर क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति की जायेगी।

8.1.11 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission-NFSM):— कुल 5501 है0 क्षेत्रफल में फसल प्रदर्शन कार्य किये गये एवं 6198.70 कु0 अधिक उपजदायी बीजों का वितरण किया गया। योजना की 'संसाधन संरक्षण यंत्र/उर्जा प्रबंधन' मद के अन्तर्गत 665 कृषि यंत्रों का वितरण किया गया।

8.1.12 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-RAFTAR):— वित्तीय वर्ष 2020–21 में अवमुक्त धनराशि ₹ 6874.27 लाख के सापेक्ष ₹ 1676.03 लाख व्यय किया जा चुका है। 28 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है जिसे 10 विभागों द्वारा किया जा रहा है। योजना में उत्पादन वृद्धि के साथ–साथ अवस्थापना विकास के कार्यों को किया जा रहा है।

8.1.13 कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Agricultural Extension and Technology-NMAET):— उक्त योजना के अन्तर्गत निम्न उपमिशन संचालित हैं–

(अ) कृषि विस्तार उप–मिशन (Sub Mission on Agricultural Extension-SMAE):-

कृषि प्रसार के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से वर्ष 2020–21 हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त ₹ 4391.68 लाख धनराशि के सापेक्ष दिसम्बर, 2020 तक 24253 मानव दिवस प्रशिक्षण, 1898 प्रदर्शन तथा 24253 मानव दिवस भ्रमण कार्यक्रम, 652 क्षमता विकास कार्यक्रम तथा 272 फार्म स्कूल आयोजित किये गये हैं।

(ब) कृषि यन्त्रीकरण (Sub Mission on Agricultural Mechanization-SMAM):-

वित्तीय वर्ष 2020–21 मे भारत सरकार द्वारा ₹ 3736.67 लाख अवमुक्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 35 कस्टम हायरिंग सेन्टर, 235 फार्म मशीनरी बैंको की स्थापना, 70 ट्रैक्टर, 40 पावर टिलर तथा 340 पावर विडर वितरित किये गये। आकांक्षी श्रेणी के जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 12 एवं 16 फार्म मशीनरी बैंक 80 प्रतिशत अनुदान पर अतिरिक्त स्थापित किये गये है।

(स) बीज एवं रोपण सामग्री उपमिशन (Sub Mission वित Seed Planting material-SMSP):

बीज ग्राम कार्यक्रमः— वर्तमान में 18002 कुं0 गुणवत्तायुक्त बीज कृषकों को अनुदान पर वितरित किये गये है।

पर्वतीय क्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम– हिल सीड बैंक (Hill Seed Bank): पर्वतीय क्षेत्रों के परम्परागत फसलों को बढ़ावा दिये जाने हेतु जैसे–मण्डुवा, सांवां, गहथ, काला भट्ट, धान, मक्का, गेहूँ एवं मसूर आदि फसलों के बीजों का उत्पादन को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2020–21 में खरीफ सत्र में 162.60 है0 तथा रबी सत्र में 270 है0 क्षेत्रफल में बीज उत्पादन कार्यक्रम सम्पादित किया गया है, जिसके लिये ₹ 125.00 लाख उपलब्ध कराया गया है।

8.1.14 उर्वरक उपभोगः– उर्वरक एक ऐसा आदान है, जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है। उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 2002–03 के 1,25,977 मि0 टन स्तर से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 169442 मि0 टन हो गया। वर्ष 2019–20 में 158098 मि0 टन के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 132540 मी0टन उर्वरक पोषक तत्वों के रूप में वितरित किया गया है। वर्ष 2020–21 हेतु 312000 मी0टन उर्वरक वितरण को लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर तक 265948 मी0टन उर्वरक का वितरण किया गया है। उत्तराखण्ड में खरीफ फसल के अंतर्गत उर्वरक वितरण का विवरण चार्ट 8.3 में दर्शायी गयी है–

चार्ट 8.3

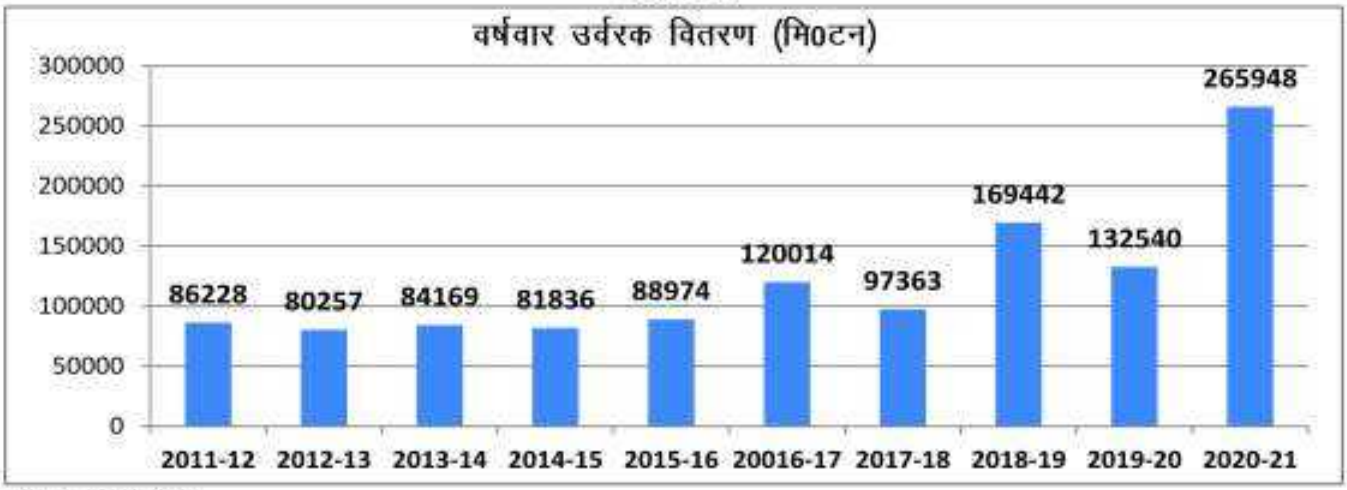

स्रोतः कृषि विभाग

किसान क्रेडिट कार्य (KCC):– राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की सूचना के अनुसार माह दिसम्बर, 2020 तक 605595 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किये गये।

8.1.15 कृषि ऋणः– राज्य स्तरीय बैंकर समिति की सूचना के अनुसार वर्ष 2020–21 के माह जून, 2020 तक कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण निम्नानुसार है:–

तालिका 8.6

लोन के प्रकार	लोन संख्या	धनराशि लाख ₹ में	% में
क्राप लोन	795163	112962	14
टर्म लोन	527068	69523	13
योग	**1322232**	**182485**	**14**

8.1.16 राज्य सेक्टर योजनायें:–

(क) अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रदेश के 55 अनुसूचित जाति एवं 14 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों के लगभग 756 परिवार (4250 कृषक) लाभान्वित करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल बजट प्राविधान ₹ 300.00 लाख एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के विकास हेतु

₹ 150.00 लाख कुल ₹ 450.00 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है। वर्ष 2020–21 में प्रथम किस्त 25 प्रतिशत धनराशि ₹ 75.00 लाख अनुसूचित जाति एवं ₹ 37.50 लाख का आवंटन किया गया है। जिसके सापेक्ष ₹ 57.54 लाख धनराशि एवं ₹ 27.01 लाख की धनराशि का उपयोग माह दिसम्बर, 2020 तक किया गया है।

(ख) एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम (IMA Village):– असिंचित क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 से एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम (IMA Village) योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2020–21 के लिए राज्य सरकार द्वारा ₹ 1800 लाख स्वीकृत किया गया है। योजना को अन्य केन्द्रपोषित एवं राज्य पोषित योजनाओं से भी डबटेल किया जायेगा।

चार्ट 8.4
कृषि विपणन से प्राप्त आय का वर्षवार विवरण

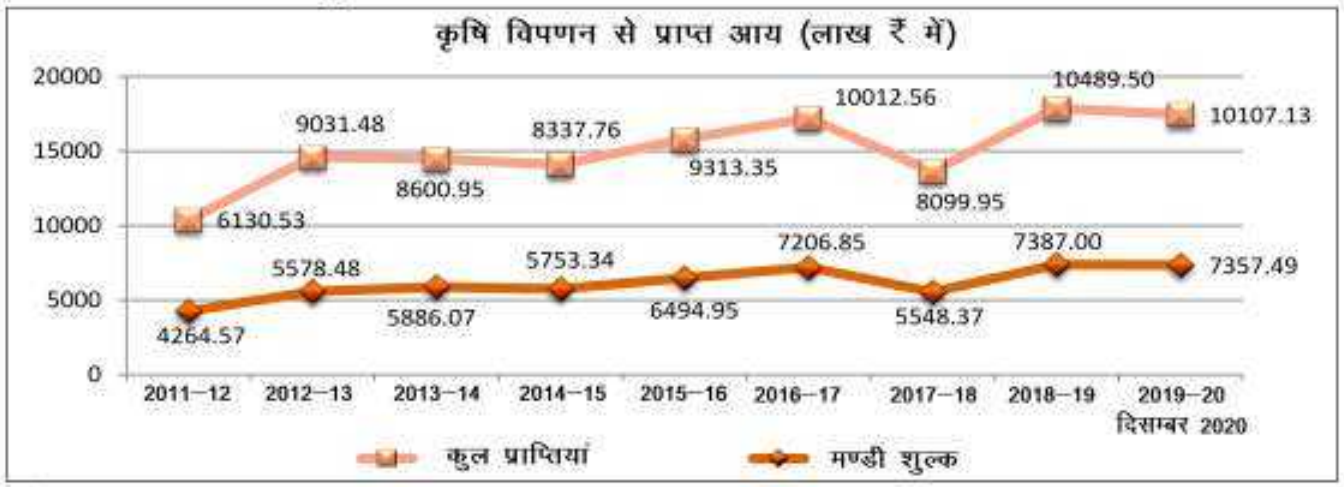

स्रोतः कृषि विभाग

8.1.17 न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support price):- वर्ष 2018–19 के मौसम की रबी फसलों के वर्ष 2019–20 में विपणन हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है:–

तालिका 8.7

खाद्य सामाग्री	एम0एस0पी0 2019–20	एम0एस0पी0 2020–21
गेहूँ	1925	1975
जौ	1525	1600
चना	4875	5100
मसूर	4800	5100
सरसों / तोरिया	4425	4650
सूरजमुखी	5215	5327

स्रोतः कृषि विभाग

8.1.18 राष्ट्रीय कृषि बाजारः ई–नाम (National Agricultural Market: e-NAM):- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) एक पैन इंडिया इलेक्ट्रानिक व्यापार पोर्टल है, जो कृषि से सम्बन्धित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिए मौजूदा ए0पी0एम0सी0 मंडी का एक प्रसार है।

ई–नाम पोर्टल सभी APMC (Agricultural Produce Marketing Committee) से सम्बन्धित सूचना और सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर सेवा प्रदान करता है। कृषि बाजार को राज्यों द्वारा उनके कृषि व्यवसाय विनिमय द्वारा संचालित किया जाता है। वर्तमान में कुल 16 मण्डी समितियॉ ई–नाम पोर्टल से जुड़े हैं। अब तक 52396 कृषक लाभान्वित तथा 16673 डिजिटल पेमेन्ट (Digital Payment on e-NAM) हुए हैं, जिनका कुल मूल्य ₹ 88 करोड़ है। अब तक कुल 33 कृषक उत्पादन संगठन ई–पोर्टल पर पंजीकृत किये गये है।

(अ) ग्रोथ सेन्टर (GROWTH CENTRE)

ग्रोथ सेन्टर हेतु MSME विभाग नोडल विभाग घोषित है। वर्तमान में कृषि विभाग एवं आजीविका के सहयोग से जनपद बागेश्वर में एक ग्रोथ सेन्टर संचालित किया जा रहा है।

स्वच्छता ऐक्शन प्लान–नमामि गंगे क्लीन अभियान

उत्तराखण्ड राज्य में ''स्वच्छता ऐक्शन प्लान–नमामि गंगे क्लीन अभियान'' का क्रियान्वयन वर्ष 2017–18 से गंगा बेसिन पर बसे प्रदेश के 05 जनपदों यथा चमोली (220 है0), उत्तरकाशी (300 है0), पौड़ी (80 है0), रूद्रप्रयाग (120 है0) एवं टिहरी (120 है0) में चिन्हित 42 ग्राम पंचायतों में परम्परागत कृषि विकास की गाईडलाईन के अनुसार किया जा रहा है। प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत को एक कलस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। आच्छादित 840 है0 क्षेत्रफल में लगभग 2100 कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर अप्रोच के आधार पर चयनित गंगा बेसिन पर बसे ग्राम पंचायतों में पी0जी0एस0 सर्टिफिकेशन के अन्तर्गत जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना है, जिससे की कृषि में प्रयोग किये जाने वाले रसायनों से होने वाले जल प्रदूषण से गंगा नदी के जल को प्रदूषित होने से रोका जा सके।

भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण में कुल 50000.00 है0 क्षेत्रफल में योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2020–21 से जनपद हरिद्वार में 10000 है0, टिहरी में 20000 है0, चमोली में 5000 है0, उत्तरकाशी में 5000 है0, रूद्रप्रयाग में 5000 है0, पौड़ी में 5000 है0 एवं देहरादून में 500 है0 क्षेत्रफल आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अन्तर्गत लगभग 125000 कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा। उत्पादित जैविक उत्पादों का विपणन परम्परागत कृषि विकास की नई गाईड लाईन के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। जैविक कृषि के साथ–साथ औद्योगिकी, सूक्ष्म–सिंचाई एवं कृषि वानिकी से सम्बन्धित कार्यों को भी सम्मलित कर फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करते हुए कृषकों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

8.1.19 मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना:- राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित यह योजना वर्ष 2020–21 से संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में 11 विभागों की 16 परियोजनाओं हेतु ₹ 1666.32 लाख की धनराशि स्वीकृति की गयी है। परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है।

वर्ष 2020–21 की रणनीति

- किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के अन्तर्गत पात्र 8.38 लाख कृषकों में से शेष 1.18 लाख पात्र कृषकों को योजना से जोड़ने के प्रयास किया जायेगा ताकि प्रदेश के सभी पात्र भू–स्वामी किसानों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
- 18 से 40 वर्ष के सभी लघु एवं सीमान्त भू–जोत वाले किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री किसान मान–धन योजना से जोड़ने के लिए उन्हें जागरूक किया जायेगा ताकि ऐसे कृषक 60 वर्ष की आयु के उपरान्त ₹ 3000.00 मासिक पेंशन प्राप्त कर सकें।
- कृषि उत्पादन में सतत वृद्धि बनाये रखने हेतु कृषकों को समय से उच्च–गुणवत्तायुक्त बीजों, उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व, पौध सुरक्षा औषधियों आदि की न्याय पंचायतों पर समुचित व्यवस्था की जायेगी।
- पर्वतीय क्षेत्रों की स्थानीय/परम्परागत फसलों की उच्च प्रजातियों के बीजो की कमी को पूरा करने हेतु इन फसलों के बीजों को स्थानीय स्तर पर कृषकों के प्रक्षेत्रों पर ही कृषि विभाग एवं प्रमाणीकरण संस्था के सहयोग से अधिक क्षेत्र में उत्पादन करने का प्रयास किया जायेगा।
- कृषि में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग, कम लागत पर यन्त्रों की उपलब्धता, मानव श्रम एवं समय की बचत हेतु प्रत्येक कृषक तक कृषि यन्त्रों की पहुंच बढ़ाने के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक फार्म मशीनरी बैंक एवं मैदानी क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित करना।
- वर्तमान में जैविक कृषि के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्रफल 1.34 लाख हैक्टेयर को जैविक प्रमाणीकरण के अन्तर्गत लाने के लिये अधिक से अधिक कृषकों को जैविक प्रमाणीकरण की तकनीकी जानकारी दी जायेगी।
- मैदानी क्षेत्रों में कृषि से अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु इस क्षेत्र को बीज–हब के रूप में विकसित करना।
- मिश्रित खेती को अपनाते हुये अतिरिक्त फसल पैदा करना, जैसे–गन्ने की फसल के साथ जायद/ग्रीष्मकालीन मूंग/उड़द की खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- मैदानी क्षेत्रों में घटते हुये भूमिगत जल स्तर को रोकने एवं अत्यधिक भूमिगत जल का दोहन कम करने, हेतु प्रिशिसियन सिंचाई का उपयोग जनपद ऊधमसिंह नगर में ग्रीष्मकालीन धान की खेती के स्थान पर वैकल्पिक फसल जैसे मक्का, मूंग, उड़द, सूरजमुखी आदि की खेती को बढ़ावा दिया जायेगा।
- पर्वतीय क्षेत्रों में दलहन उत्पादन की सम्भावनाओं को देखते हुये दलहन के क्षेत्रफल को बढ़ाने के प्रयास करना गहत, राजमा, उड़द, तोर, काला भट्ट की खेती की खेती को एन0एफ0एस0एम0 योजनान्तर्गत प्रोत्साहित करना।
- मण्डुवा का अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु मण्डुवा की खेती "सिस्टम ऑन मिलेट इन्टेंसिफिकेशन" अर्थात् रोपाई विधि से करने हेतु कृषकों को तकनीकी जानकारी देना।

- पर्वतीय क्षेत्रों में रबी के क्षेत्रफल को बढ़ावा, जिसके लिये स्थानीय परिस्थिति के अनुसार फसल चक्र तैयार कराना।
- कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गयी संस्तुति के अनुसार उर्वरकों के प्रयोग की जानकारी देने हेतु प्रदर्शन एवं प्रशिक्षणों का आयोजन कर जागरूक करना।
- कृषकों तक नवीनतम तकनीकियो का व्यापक प्रचार–प्रसार करना एवं कृषि सम्बन्धी समस्याओं का तुरन्त निदान के प्रयास करना।
- कृषकों की आय में वृद्धि हेतु न्याय–पंचायत स्तरीय सूक्ष्म नियोजन के अनुसार सम्बन्धित विभागों के समन्वय से कार्यों / कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराना।

किसानों को मिल रही है उपज की लाभकारी कीमतः–

- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत राज्य में नामित क्रय संस्थाओं के माध्यम से आर.एम.एम, 2020–21 के अंतर्गत 4656 पंजीकृत कृषकों से 38630.424 मी.टन. गेहूं का क्रय किया गया है। क्रय किये गये गेहूं का मूल्य रू प्रति कु. एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रति कु. बोनस कुल मूल्य ₹ 1945 प्रति कु. के आधार पर ₹ 75.14 करोड़ का भुगतान कृषकों को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उनके खाते में किया गया है। कृषकों को अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ₹ 20 प्रति कु. बोनस दिया गया है।
- इसी प्रकार के.एम.एस. 2019–20 के अन्तर्गत 83910 पंजीकृत कृषकों से राज्य सरकार द्वारा नामित क्रय संस्थाओं के माध्यम से कुल 1017472 मी.टन धान (795214.870 कॉन एवं 222257.302 मी.टन ग्रेड ए धान) का क्रय किया गया है। क्रय धान का मूल्य ₹ 1851.16 करोड़ का भुगतान सम्बन्धित पंजीकृत कृषकों को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उनके खाते में किया गया है।
- आगामी खरीफ–खरीद सत्र 2020–21 में भी राज्य सरकार द्वारा क्रय संस्थायें नामित करते हुए धान क्रय का 10 लाख मी.टन लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा कृषकों की सुविधा हेतु ई–खरीद पोर्टल तैयार कर पंजीकृत कृषकों से ही धान का क्रय किया जायेगा। कोविड–19 के दृष्टिगत गत वर्षों की अपेक्षा क्रय संस्थाओं के संचालित क्रय केन्द्रों में वृद्धि करते हुए 242 क्रय केन्द्र संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा कृषक को अपने घर से ही पंजीकरण करवाने की व्यवस्था की गयी है।

कृषि बिल 2020

कृषि बिल 2020 तीन कृषि कानूनों की एक श्रृंखला हैः–

- कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020
- कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020

8.2 गन्ना एवं चीनी (Sugar and Cane)

चीनी मिलें:– पेराई सत्र 2019–20 में राज्य की 7 चीनी मिलों द्वारा कुल 63.85 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई कर 6.22 लाख कुन्टल चीनी का उत्पादन किया गया। पेराई सत्र 2018–19 हेतु अध्यावधिक तक अंकन ₹ 117060.80 लाख के सापेक्ष अंकन ₹ 100342.77 लाख गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। पेराई सत्र 2019–20 हेतु अध्यावधिक तक अंकन ₹ 20144.13 लाख के सापेक्ष अंकन ₹ 44.42 लाख गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

8.2.1 दिनांक 15 जनवरी, 2021 तक की प्रगति (पेराई सत्र 2020–21)

1–चीनी मिलें:– पेराई सत्र 2020–21 में राज्य की 07 चीनी मिलें (02 सहकारी क्षेत्र, 02 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 03 निजी क्षेत्र) संचालित है। चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2020–21 हेतु कुल 147.78 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई करते हुए 14.65 लाख कुन्टल चीनी का उत्पादन किया गया। पेराई सत्र 2019–20 में राज्य की समस्त चीनी मिलों का औसत चीनी परता 11.20 प्रतिशत रहा। वर्तमान में पेराई सत्र में वृद्धि किये जाने का लक्ष्य है।

पेराई सत्र 2019–20 हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य दर के अनुसार कुल देय गन्ना मूल्य अंकन ₹ 1316.19 करोड़ का सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। पेराई सत्र 2020–21 हेतु अद्यावधिक गन्ना मूल्य दर निर्धारित नहीं हो पाई है, यद्यपि निजी क्षेत्र की चीनी मिल लक्सर एवं लिब्बरहैडी द्वारा पेराई सत्र 2019–20 की गन्ना मूल्य दर के अनुसार भुगतान किया गया है।

2–शरदकालीन गन्ना बुवाई हेतु प्रजनक बीज गन्ना का आवंटन:– वित्तीय वर्ष 2020–21 के वास्ते वर्ष 2021–22 हेतु गन्ना शोध केन्द्रों से प्रजनक बीज गन्ना की चीनी मिल परिक्षेत्रों की मांग 12275.00 कु0 के सापेक्ष गन्ना शोध केन्द्रों पर गन्ना बीज की उपलब्धता के अनुसार 6600.00 कु0 प्रजनक गन्ना बीज का आवंटन किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु राज्य में गन्ना क्षेत्रफल 1.00 लाख हेक्टेयर किये जाने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष गन्ना बुवाई कार्य सम्पन्न किया जा चुका है।

8.3 उद्यान (Horticulutre)

8.3.1 राज्य की जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति विभिन्न प्रकार के औद्यानिक फसलों (फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, मशरूम तथा मौनपालन) के उत्पादन हेतु अत्यधिक अनुकूल है। विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इन फसलों के विकास हेतु व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल 53.48 लाख है0 में से लगभग 7.01 लाख है0 भू–भाग कृषि फसलों के अन्तर्गत है तथा औद्यानिकी के अन्तर्गत लगभग 2.96 लाख है0 क्षेत्र आच्छादित है। औद्यानिकी में लगभग 4.50 लाख कृषक जुड़े हुए है, जिसमें 88 प्रतिशत लघु एवं मझौलें कृषक है। राज्य में औद्यानिकी फसलों का वार्षिक व्यवसाय लगभग ₹ 3250 करोड़ का किया जा रहा है तथा कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में औद्यानिकी क्षेत्र का (खाद्य प्रसंस्करण सहित) 30 प्रतिशत से अधिक भागीदारी है।

राज्य में कुल 2.96 लाख है0 क्षेत्रफल में औद्यानिकी अन्तर्गत लगभग 17.90 लाख मै0टन उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें से फलों के अन्तर्गत 1.81 लाख है0 क्षेत्रफल में 6.77 लाख मै0टन उत्पादन, सब्जियों के अन्तर्गत 0.72 लाख है0 में 6.45 लाख मै0टन उत्पादन, आलू के अन्तर्गत 0.26 लाख है0 में 3.68 लाख मै0टन उत्पादन, मसालों के अन्तर्गत 0.14 लाख है0 में 0.96 लाख मै0टन उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही फूलों की खेती 1635 है0 में की जाती है, जिसमें लगभग 3055 मै0टन खुले पुष्प व 19.14 करोड़ डंडीयुक्त एवं बल्वयुक्त पुष्पों का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में लगभग 2200 मै0टन शहद का उत्पादन तथा लगभग 16,500 मै0टन मशरूम का उत्पादन किया जाता है।

तालिका 8.8

(क्षेत्रफल है0 में, उत्पादन मी0टन, स्पाईक/कटफ्लावर लाख संख्या में)

मद	वर्ष 2018–19		वर्ष 2019–20	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
फल	180469	664655	181485	677369
सब्जी	70823	630109	72071	645637
आलू	26449	363798	26769	368641
मसाला	14120	93625	14536	96282
पुष्प (स्पाईक)	1563	3017	1635	3055
पुष्प (लूज)		1863		1914
कुल योग	**293424**	**1757067**	**296496**	**1792898**

स्रोतः उद्यान विभाग

8.3.2 औद्यानिक कलस्टरः– राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायु के अनुसार कुल 1,050 कलस्टर चयनित किये गये है, जिनमें 6,563 ग्राम सम्मिलित हैं, 384 क्लस्टर फलों के, 437 क्लस्टर सब्जियों के, 179 क्लस्टर मसालों तथा 50 क्लस्टर फूलों के चयनित किये गये हैं। वर्तमान में चयनित क्लस्टरों एवं गॉवों में कुल 35124 है0 क्षेत्रफल आच्छादित किया जा चुका है। क्लस्टरों का जनपदवार चयन कर, क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः–

तालिका 8.9

क्र0 सं0	जनपद	फल			सब्जी			मसाला		
		संख्या क्लस्टरों की	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल	क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल	क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल
1	ऊधमसिंह नगर	10	56	520	10	63	282	12	35	164
2	नैनीताल	18	140	5014	5	34	610	4	40	292
3	अल्मोड़ा	70	670	352	55	576	393	29	332	332
4	बागेश्वर	14	128	290	10	107	211	9	87	163
5	पिथौरागढ़	35	191	582	33	381	275	32	408	240

6	चम्पावत	38	145	775	48	155	711	41	165	396
7	हरिद्वार	26	78	559	25	95	808	3	18	154
8	देहरादून	19	159	4329	27	155	2552	9	101	708
9	टिहरी	8	53	376	10	56	546	2	15	236
10	पौड़ी	26	167	588	59	158	592	6	70	123
11	चमोली	13	155	351	9	103	228	4	43	200
12	रूद्रप्रयाग	26	176	461	24	169	797	20	139	166
13	उत्तरकाशी	81	307	4816	122	255	3443	8	82	246
कुल		**384**	**2425**	**19013**	**437**	**2307**	**11448**	**179**	**1535**	**3420**

स्रोतः उद्यान विभाग

तालिका 8.10

क्र0 सं0	जनपद	पुष्प			कुल		
		संख्या क्लस्टरों की	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल	क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल
1	ऊधमसिंह नगर	11	28	50	43	182	1016
2	नैनीताल	3	23	23	30	237	5939
3	अल्मोड़ा	3	14	12	157	1592	1089
4	बागेश्वर	1	7	29	34	329	693
5	पिथौरागढ़	0	0	0	100	980	1097
6	चम्पावत	0	0	0	127	465	1882
7	हरिद्वार	6	17	310	60	208	1831
8	देहरादून	10	96	317	65	511	7606
9	टिहरी	1	7	49	21	131	1207
10	पौड़ी	3	15	23	94	410	1326
11	चमोली	1	10	50	27	311	829
12	रूद्रप्रयाग	10	79	247	80	563	1671
13	उत्तरकाशी	1	0	133	212	644	8638
कुल		**50**	**296**	**1243**	**1050**	**6563**	**35124**

स्रोतः उद्यान विभाग

8.3.3 (1) शीतोष्ण– मुख्य फल उत्पादन में मुख्य रूप से सेब 25785 है0 में 62090 मै0टन, आड़ू की 8256 है0 में 58802 मै0टन, प्लम 9028 है0 में 36447 मै0टन, खुबानी 8094 है0 में 28320 मै0टन, नाशपाती 13234 है0 में 78115 मै0टन व अखरोट 17729 है0 में 20370 मै0टन उत्पादन का आंकलन किया गया है।

राज्य में शीतोष्ण फलों के अन्तर्गत प्रथम स्थान पर नाशपाती, द्वितीय स्थान पर आड़ू व तृतीय स्थान पर सेब का उत्पादन किया जाता है। राज्य में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत सेब की नवीनतम स्पर प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा, अखरोट एवं अन्य गिरीदार फलों, रंगीन नाशपाती तथा आड़ु को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही हाई वैल्यू क्रॉप के रूप में कीवी तथा स्ट्रॉबेरी आदि फसलों के लिये भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(2) समशीतोष्ण– राज्य में मुख्य रूप से समशीतोष्ण फल आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार व नींबू आदि का उत्पादन किया जाता है। जिनमें मुख्य रूप से आम 36914 है0 में 156793 मै0टन, नीबू वर्गीय फल 21740 है0 में 91178 मै0टन, लीची 10697 है0 में 24640 मै0टन, आंवला 1426 है0 में 2461 मै0टन, अमरूद 4102 है0 में 21172 मै0टन उत्पादन का आंकलन किया गया है।

8.3.4 उत्तराखण्ड में सब्जी उत्पादनः– सब्जियों के विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 3500 कु0 बीज कास्तकारों को निर्धारित राज सहायता पर वितरित किया जाता है।

तालिका 8.11
राज्य में उत्पादित होने वाली मुख्य सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन

क्र0सं0	सब्जी	क्षेत्रफल (है0)	उत्पादन (मै0टन)
1	मटर	13497	97846
2	मूली	5288	60850
3	फ्रासबीन	6110	40903
4	बन्दगोभी	6568	69234
5	फूलगोभी	3367	43293
6	प्याज	4460	45469
7	सगिया मिर्च	2807	16485
8	भिण्डी	3723	26793
9	टमाटर	9361	110382
10	बैगन	2730	32220
11	आलू	26769	368641
12	अन्य सब्जी	14160	102163

स्रोतः उद्यान विभाग

राज्य में सब्जियों के अंतर्गत प्रथम स्थान पर टमाटर, द्वितीय स्थान पर मटर व तृतीय स्थान पर बंदगोभी का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 60 है0 यूरोपियन वेजिटेबल की खेती की जा रही है।

8.3.5 मसाला उत्पादनः– राज्य में मुख्य रूप से हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, धनिया, बड़ी इलायची आदि की खेती की जाती है। मसाला विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 5,000 कु0 बीज कास्तकारों को वितरित किया जाता है। राज्य में उत्पादित होने वाली मुख्य मसालों के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन निम्नवत् हैः–

तालिका 8.12

क्र0सं0	मसाला	क्षेत्रफल (है0)	उत्पादन (मै0टन)
1	हल्दी	1769	14749
2	अदरक	5061	49689
3	मिर्च	2848	9632
4	लहसुन	2092	11442
5	धनिया	1458	4148
6	बड़ी इलायची	67	78
7	मेथी	692	3852
8	अन्य मसाला	548	2693

स्रोतः उद्यान विभाग

मसालों के अंतर्गत प्रथम स्थान पर अदरक, द्वितीय स्थान पर हल्दी व तृतीय स्थान पर लहसुन का उत्पादन किया जाता है।

8.3.6 पुष्प उत्पादनः— राज्य में पुष्प की खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य बढ़ती हुई मांग तथा दिल्ली/चण्डीगढ़ का बाजार समीप होना है। राज्य गठन के समय मात्र 150 है0 में पुष्पों की खेती होती थी, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 1635 है0 हो गयी है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कट फ्लावर के अंतर्गत मुख्य रूप से जरबेरा, कारनेशन, ग्लेडियोलाई व लिलियम तथा लूज फ्लावर के अंतर्गत गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा व अन्य पुष्पों का उत्पादन किया जाता है।

तालिका 8.13

क्र0सं0	पुष्प	क्षेत्रफल (है0)	उत्पादन
1	जलबेरा	114	1114 लाख स्पाईक
2	कारनेशन	21	126 लाख स्पाईक
3	ग्लेडियोलाई	321	650 लाख स्पाईक
4	लिलियम	13	24 लाख स्पाईक
5	गेंदा	861	2669 मै0टन
6	गुलाब	148	216 मै0टन
7	रजनीगंधा	18	19 मै0टन
8	अन्य पुष्प	140	151 मै0टन

स्रोतः उद्यान विभाग

8.3.7 संरक्षित खेतीः— कम जोत में अधिक एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन के दृष्टिगत राज्य में सब्जी तथा पुष्पों की खेती पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस के अंतर्गत की जा रही है। वर्तमान में लगभग 16.00 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में पॉलीहाउस स्थापित है, जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत पुष्पों के अन्तर्गत व शेष सब्जी के अन्तर्गत आच्छादित हैं। संरक्षित खेती को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 1.00 लाख वर्गमीटर पॉलीहाउस की स्थापना की जा रही है। साथ ही

फलों को ओलावृष्टि से होने वाली क्षति से बचाव हेतु प्रतिवर्ष लगभग 15.00 लाख वर्गमीटर एन्टी हेलनेट कृषकों को निर्धारित राज सहायता पर उपलब्ध कराया जाता है।

8.3.8 उत्तराखण्ड में मौनपालन उत्पादनः— राज्य में अब तक 6162 मौनपालकों द्वारा लगभग 2.71 लाख मौनवंशों के माध्यम से लगभग 2,200 मै0टन शहद का उत्पादन किया गया है।

8.3.9 उत्तराखण्ड में मशरूम उत्पादनः— राज्य में मशरूम उत्पादन हेतु कुमांऊ मण्डल के जनपद नैनीताल के ज्योलीकोट तथा भवाली में 01—01 कम्पोस्ट इकाई स्थापित है एवं गढ़वाल मण्डल के जनपद देहरादून के शंकरपुर (सहसपुर) में एक कम्पोस्ट इकाई स्थापित है, जिसके माध्यम से कृषकों को कम्पोस्ट वितरित की जाती है। बटन मशरूम उत्पादन हेतु प्राकृतिक रूप से 170 इकाईयां, नियंत्रण वातावरण में 13 इकाईयां तथा ओस्टर व मिल्की मशरूम उत्पादन हेतु 145 इकाईयां स्थापित है तथा वर्तमान तक राज्य में लगभग 13,500 मै0ट0 मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है। विभिन्न जनपदों में स्वयंसेवी संस्थाओं (SHGs) के माध्यम से मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे राज्यों के युवाओं को आजीविका में उल्लेखनीय योगदान हो रहा है।

8.3.10 फसल बीमा योजनाः— भारत सरकार के दिशा निर्देशन में प्रदेश में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ (फसल—आलू, अदरक, टमाटर, मिर्च एवं फ्रैंचबीन) एवं रबी मौसम (सेब, आड़ू, माल्टा, संतरा, मौसम्बी, आम, लीची, आलू, टमाटर एवं मटर) हेतु संचालित है। अब तक कुल 2,45,829 कृषकों द्वारा अपनी फसलों का बीमा कराया गया है एवं ₹ 19428.13 लाख का क्लेम 1,68,861 कृषकों को उपलब्ध कराया गया। मौसम खरीफ—2020 में 56,801 कृषकों की फसलों का बीमा किया गया है, क्लेम निर्धारण की कार्यवाही गतिमान है तथा मौसम रबी 2020—21 के अन्तर्गत अब तक लगभग 24976 कृषकों की फसलों का बीमा किया गया है। मौसम रबी 2020—21 का रिस्क पीरियड 31 अगस्त, 2021 तक है, उसके बाद क्लेम का निर्धारण किया जायेगा।

8.3.11 राष्ट्रीय उद्यान मिशन योजनाः— वित्तीय वर्ष 2020—21 में ₹ 6075.21 लाख की योजना स्वीकृत है।

8.3.12 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का Per Drop More Crop घटकः— वित्तीय वर्ष 2020—21 में ₹ 3333.33 लाख के बजट के अंतर्गत लगभग 4865 है0 क्षेत्र में टपक/फब्बारा सिंचाई की व्यवस्था की गयी है।

8.3.13 परम्परागत कृषि विकास योजनाः— जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु विभाग के अंतर्गत 1241 क्लस्टरों का चयन कर क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है, जिसमें लगभग 24820 है0 क्षेत्रफल एवं 57694 कृषकों का चयन किया गया है।

8.3.14 कोल्ड स्टोरेज/कोल्ड चैनः— वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से कुल 24 कोल्ड चेन इकाईयां (जनपद ऊधमसिंहनगर में 17, नैनीताल में 02, हरिद्वार में 03 व देहरादून में 02) स्थापित है। इन कोल्ड चेन इकाईयों में 22 इकाईयां औद्यानिक आधारित हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता 66508 मै0ट0 एवं दुग्ध आधारित 02 कोल्ड चेन इकाईयों की क्षमता 187.60 कि0लि0 प्रतिदिन है।

8.3.15 औद्यानिकी के क्षेत्र में निवेश हेतु प्रयासः— निवेश औद्यानिकी के क्षेत्र में लगभग ₹

2298.38 करोड़ के निवेश हेतु कुल 58 निवेशकों द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये गये, जिसमें से 26 निवेशकों के ₹ 661 करोड़ के प्रस्तावों की ग्राउन्डिंग की गयी है तथा 05 इकाईयों द्वारा व्यवसायिक उत्पादन/कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसमें ₹ 155.00 करोड़ का निवेश हुआ है।

8.3.16 पैक हाउसः– औद्यानिक उत्पादों के संग्रहण, ग्रेडिंग/पैकिंग व्यवस्था हेतु लगभग 1250 पैक हाउस स्थापित किये गये है।

8.3.17 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयांः– उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के समय स्थापित प्रसंस्कृत इकाईयों की उत्पादन क्षमता लगभग 01 प्रतिशत थी, जो कि वर्तमान में लगभग 12 प्रतिशत चल रही है। जिसको वर्ष 2022 तक लगभग 15 तक प्रतिशत वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में कुल 515 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयॉ स्थापित हैं, जिनमें से 150 बड़ी (Center Licence) तथा 365 छोटी इकाईयॉ (State Licence) हैं। कुल स्थापित इकाईयों में से 405 इकाईयॉ औद्यानिक उत्पादों के प्रसंस्करण से सम्बन्धित हैं।

8.3.18 मेगा फूड पार्कः– राज्य में ₹ 100–100 करोड़ की लागत से पतंजली फूड एण्ड हर्बल पार्क जनपद हरिद्वार में स्थापित है तथा दूसरा हिमालय मेगा फूड पार्क, महुआखेडा, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर में स्थापित किया गया है।

8.3.19 मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकासः– कोविड–19 के दौरान राज्य में वापस आये प्रवासियों एवं पूर्व से औद्यानिकी से जुड़ें कृषकों को कम समय में उत्पादन कर आय हेतु "मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना" स्वीकृत करते हुए वर्ष 2020–21 में ₹ 1500.00 लाख का प्राविधान किया गया है। कृषकों को फल पौध, सब्जी, बीज, मसाला बीज, पुष्प बीज/बल्व 50 प्रतिशत राजसहायता पर, कीटनाशक रसायन 60 प्रतिशत राजसहायता पर तथा कृषक समूह, कृषक उत्पादक संघ आदि को नियन्त्रित वातावरण में परिवहन एवं भण्डार हेतु कुल हाउस/रेफ्रिजरेटर वैन पर 50 प्रतिशत राजसहायता उपलब्ध करायी जायेगी। प्रथम किस्त ₹ 375.00 लाख के अन्तर्गत लगभग 1200 कुन्तल सब्जी/मसाला बीज का वितरण किया गया है।

उत्तराखण्ड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजनाः– आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹ 251.71 करोड़ की "उत्तराखण्ड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना" को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करते हुए Japan International Cooperation Agency (JICA) के वर्ष 2020–21 के Rolling में सम्मिलित कर लिया गया है।

मुख्य पहलः–

- **मधुग्रामः**– मौनपालन के विकास की सम्भावनाओं के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद के न्याय पंचायत स्तर पर एक–एक मधुग्राम विकसित कर कृषकों की आय में वृद्धि एवं बेरोजगार व्यक्तियों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना।
- **आपरेशन ग्रीन योजनाः**– खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "आत्मनिर्भर भारत" का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना में उत्पादकों आदि को फल एवं सब्जियों का उचित मूल्य

प्रदान करने की व्यवस्था की गई है:– योजनान्तर्गत टमाटर, प्याज व आलू के साथ ही सभी फल एवं सब्जियों के अधिक उत्पादन होने पर विभिन्न बाजारों में विपणन हेतु परिवहन की कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान तथा कृषक व अन्य उद्यमी/व्यवसायी जो फल या सब्जी को कोल्ड स्टोरेज अथवा अन्य भण्डार गृह में भण्डारित करेगें, उनके लिए भण्डारण शुल्क की कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

- **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (PM FME):**– योजनान्तर्गत तकनीकी ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण तथा हैंड–होल्डिंग सेवाओं के माध्यम से उद्यमियों की क्षमता निर्माण। प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को ऋण दिलाना। सूक्ष्म उद्योगों को साझा सेवाओं का लाभ देने हेतु कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.), स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.), उत्पादक सहकारिताओं तथा सहकारी समितियों को उनकी सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखता में सहायता करना। मौजूदा उद्यमों को विभिन्न सहकारी पंजीकरण हेतु औपचारिक फ्रेमवर्क की ओर जाने में सहायता। ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ समीकरण। इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों हेतु 35 प्रतिशत अधिकतम ₹ 10 लाख की राजसहायता प्रदान की जायेगी। विभाग द्वारा ''एक जनपद एक उत्पाद'' का चयन किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0 सं0	जनपद	चयनित उत्पाद
01	हरिद्वार	मशरूम (बटन, मिल्की आदि)
02	उत्तरकाशी	सेब आधारित उत्पाद (जैली, जैम, चटनी, कैण्ड फ्रेट/जूस)
03	देहरादून	बेकरी उत्पाद (बिस्किट, रस्क, ब्रेड, केक आदि)
04	नैनीताल	फलों का जूस व स्कवैश (आड़ू आदि)
05	चम्पावत	तेजपात एवं मसालें
06	पौड़ी	नीबू वर्गीय फलों पर आधारित उत्पाद (माल्टा)
07	पिथौरागढ़	हल्दी आधारित उत्पाद
08	ऊधमसिंह नगर	आम आधारित उत्पाद
09	अल्मोड़ा	खुमानी आधारित उत्पाद (जैम, चटनी, अचार आदि)
10	बागेश्वर	कीवी आधारित उत्पाद (जैम, चटनी, स्कवैश, केक आदि)
11	टिहरी	अदरक आधारित उत्पाद (सौंठ, कैण्डी, अचार आदि)
12	चमोली	मत्स्य आधारित उत्पाद
13	रूद्रप्रयाग	चौलाई आधारित उत्पाद (चौलाई के लड्डू आदि)

- **हॉर्टी–टूरिज्म गतिविधियों का विकास:**– राजकीय उद्यान चौबटिया, अल्मोड़ा, राजकीय उद्यान, रामगढ़, नैनीताल एवं टिहरी स्थित राजकीय उद्यान धनोल्टी को हार्टी–टूरिज्म गतिविधियों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।
- भारत सरकार द्वारा अखरोट एवं सेब के आयात होने वाले पौधों को PEQ (Post Entry Quarntene) सेन्टर बनाये जाने हेतु सर्वे कराया गया है, जिसमें विदेशों से आयातित उच्च गुणवत्तायुक्त उन्नत प्रजाति के पौधों को संरक्षित रूप से रोपा जायेगा।

8.3.20 हर्बल सेक्टर– हर्बल सेक्टर के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य औषधीय पादप बोर्ड, उत्तराखण्ड की स्थापना 2001 में की गई। जुलाई 2010 से राज्य औषधीय पादप बोर्ड, उत्तराखण्ड को सुदृढ़ करते हुए इसके मुख्यालय को देहरादून में स्थापित कर दिया गया है। बोर्ड के अन्तर्गत जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर जनपद चमोली तथा सगन्ध पौधों के क्षेत्र में सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई, देहरादून स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में औषधीय एवं सगन्ध पादपों के प्रसार का कार्य भेषज विकास इकाई, देहरादून द्वारा भी किया जाता है।

8.3.21 जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान– जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल, गोपेश्वर चमोली द्वारा वर्ष 2012 से आतिथि तक कुल 4140.19 है0 क्षेत्रफल में औषधीय पादपों का कृषिकरण करवाया गया। जड़ी–बूटी के कुल 4387 काश्तकारों को आतिथि तक 175 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त संस्थान की पौधशालाओं में वर्ष 2012 से आतिथि तक कुल 179 लाख पौध का उत्पादन किया गया। वर्ष 2020–21 में 278.82 है0 कृषिकरण कर 1325 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

विभाग की प्रमुख उपलब्धियां

1. पंजीकरण– 2892 कृषकों का पंजीकरण किया गया।
2. लगभग 3696.756 टन औषधीय पादपों का उत्पादन किया गया, जिनका अनुमानित मूल्य ₹ 2245.12 लाख है।
3. लगभग 12667 काश्तकारों को लाभान्वित किया गया।
4. संस्थान की मण्डल पौधशाला में 12 विभिन्न औषधीय उद्यानों के मॉडल की स्थापना की गई।
5. सीमान्त जनपदों यथा चमोली, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ में जड़ी–बूटी अनुसंधान एवं विकास का अनुश्रवण व पर्यवेक्षण हेतु 03 केन्द्रों की स्थापना।
6. संस्थान मुख्यालय मण्डल में हर्बल म्यूजियम तथा हर्बेरियम की स्थापना की गई।
7. प्रदेश में जड़ी–बूटी उत्पादन, प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण एवं विपणन हेतु एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित।
8. उत्तराखण्ड तेजपात का भौगोलिक उप दर्शन (जी0आई0–520) में पंजीकरण।
9. 38 प्रजातियों की संक्षिप्त कृषि तकनीक की बुकलेट का प्रकाशन।
10. जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार की हर्बल टी यथा 1. मानिंग हर्बल टी 2. इवनिंग हर्बल टी 3. नाईट हर्बल टी 4. क्वीन हर्बल टी 5. किंग हर्बल टी 6. हिपोफी हर्बल टी की तकनीकी हस्तानान्तरण हेतु निर्माण किया गया।
11. 100 उत्पादों को विकसित किये जाने हेतु शोध एवं विकास की कार्यवाही गतिमान है।
12. प्रदेश में जड़ी–बूटी के विकास हेतु विभिन्न जनपदों में स्थित उद्यान विभाग के 6 फार्मों का जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान को स्थानान्तरण।
13. मैसूर, सी0एफ0टी0आर0आई0 से प्राप्त चिया प्रजाति का उत्तराखण्ड में एच0आर0डी0आई0 द्वारा सफल परीक्षण किया गया।
14. वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु औषधीय एवं सगन्ध पादपों के कृषिकरण. सम्वर्धन, संरक्षण, विदोहन एवं संस्थान की ढांचागत व्यवस्था इत्यादि हेतु ₹ 1325.00 लाख (₹ तेरह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) का बजट स्वीकृत हुआ है, जिसमें से ₹ 280.00 (₹ दो करोड़ अस्सी लाख मात्र) संस्थान को प्राप्त हो चुका है।

8.3.22 जड़ी–बूटी कृषिकरण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम– उपलब्ध प्राकृतिक ऐरोमैटिक फ्लोरा एवं एरोमैटिक सेक्टर के बढ़ते बाजार के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2003 में 'सगन्ध पौधा केन्द्र', (CENTRE FOR AROMATIC PLANTS - CAP) की स्थापना की गई, जिसका उददेश्य शोध एवं प्रसार आधारित सगन्ध पौधों की सतत् खेती में बढ़ावा देते हुये कृषकों के आर्थिकी तथा जीवन स्तर में सुधार लाना है।

8.3.23 चाय विकासः–

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा वर्तमान में उत्तराखण्ड के 09 पर्वतीय जनपदों में (अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़, चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी) चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्तमान तक बोर्ड द्वारा 1388 है0 में सफलतापूर्वक चाय प्लान्टेशन किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1– बोर्ड योजना के अन्तर्गत	834.00 हैक्टेयर
2– एस.सी.पी योजना के अंतर्गत	229.00 हैक्टेयर
3– मनरेगा योजना के अंतर्गत	325.00 हैक्टेयर
कुल योग	**1388.00 हैक्टेयर**

जैविक चाय की खेतीः–

राज्य के कुल 559 है0 क्षेत्रफल को जैविक चाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। उक्त चाय बागानों से जैविक चाय की हरी पत्तियों का उत्पादन किया जा रहा है।

रोजगार सृजनः–

बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्व संचालित परियोजना, एस0सी0पी0 व मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत 3500 दैनिक श्रमिकों से प्रतिवर्ष लगभग 9.00 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन किया जा रहा है, जिसमें 70–80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है।

8.4 रेशम विकास

वित्तीय वर्ष 2019–20 में जैविक रेशम विकास योजना के अंतर्गत 24 टन जैविक खाद्य उत्पादन तथा 25000 मी0 वस्त्रोत्पादन किया गया है। वर्ष 2019–20 में 4 कोया बाजारों का उच्चीकरण किया गया है। वर्ष 2007–08 में 114005 कि0ग्रा0 कोया उत्पादन किया गया है, जो 2019–20 में बढ़कर 288.62 मी0टन हो गया है।

वर्ष 2020–21 की विशिष्ट उपलब्धियांः–

8.4.1 बीज संगठनः–

वर्तमान में बाईवोल्टीन रेशम कीटाण्ड उत्पादन हेतु कोई इकाई न होने के कारण केन्द्रीय रेशम बोर्ड (भरत सरकार) द्वारा रेशम कीट बीज की आपूर्ति की जा रही है, जिस पर अत्यधिक धनराशि भी राज्य को व्यय करनी पड़ रही है। इस समस्या के निराकरण हेतु विभाग द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड की सहायता से रेशम बीजागार का निर्माण किया गया।

8.4.2 वन्य रेशम विकासः–

ओकटसर, एरी, मूगा रेशम उत्पादन के प्रसार हेतु विभाग द्वारा पौधालयों की स्थापना व भोज्य पौधों का रोपण का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही वन्या रेशम कीटाण्ड उत्पादन हेतु बीजागारों की स्थापना भी पर्वतीय जनपदों में की जा रही है, ताकि कीटाण्ड उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके। राज्य में ओकटसर परियोजना का कार्य भारत सरकार की सहायता से प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत 299 हैक्टे0 भूमि पर बांज प्रजातियों के वृक्षारोपण आतिथि तक किया गया है, निजी क्षेत्र में बीजागारों की स्थापना, बीजू कोया उत्पादकों को कीटपालन शेड व कीटपालन उपकरणों की आपूर्ति का प्राविधान है।

8.4.3 चॉकी कीटपालनः–

पर्याप्त मात्रा में रेशम कोया उत्पादन हेतु उच्च गुणवत्ता के रोगमुक्त चॉकी कीटों का कार्य

परम्परागत विधि से किया जाता रहा है। अतः अत्याधुनिक एवं वैज्ञानिक विधि से रेशम कीटों के चॉकी कीटपालन हेतु इन्कूवेशन चेम्बर्स की स्थापना के लिये आर0के0वी0वाई0 के अन्तर्गत योजना संचालित है।

8.4.4 सूचना प्रौद्योगिकीः–

- सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक की सहायता से समस्त रेशम लाभार्थियों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।
- लाभार्थियों को समस्त उत्पादों का भुगतान डी0बी0टी0 पद्धति से किया जा रहा है।
- लाभार्थियों को सुविधाओं/सहायता के वितरण के लिये भी आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।
- विभागीय केन्द्रों तथा कार्यालयों में आपूर्ति होने वाली समस्त सामग्री/उपकरणों आदि का क्रय भी उपरोक्तानुसार सुनिश्चित किया जा रहा है।

8.4.5 संस्थागत सम्बन्धः–

विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत तात्कालिक रूप से कराये जाने वाले कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं से नियमतः अनुबन्ध निष्पादित किये जाते हैं।

जैविक खेती (Organic Farming)

प्रदेश में जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु प्रथमतः परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदेश को 10,000 क्लस्टर का अनुमोदन दिया गया था, जिसके सापेक्ष प्रथम चरण में 3,900 क्लस्टर की संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त कृषि तथा सहयोगी विभाग (उद्यान, रेशम, जड़ी–बूटी, संगध पादप तथा जैविक उत्पाद परिषद) के द्वारा 78,000 हेक्टेयर में संचालन किया जा रहा है। दूसरी योजना राष्ट्रीय कृषि विकास के अन्तर्गत 62,000 हैक्टेयर में कार्यक्रम संचालित है। प्रदेश गठन के उपरान्त जैविक कृषि में पंजीकृत होने वाला उक्त दोनों क्षेत्र अबतक का सर्वाधिक क्षेत्रफल है।

उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद् विगत 14 वर्षों से प्रदेश के लद्यु एवं सीमांत कृषक समूह के रूप (Group Cetification) में न्यूनतम खर्चे पर जैविक प्रमाणीकरण (Low Cost Certification) का कार्य करा रहा है। वाह्य निरीक्षण एवं जैविक प्रमाणीकरण का कार्य उत्तराखण्ड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टीफिकेसन एजेंसी, देहरादून द्वारा किया जाता है। वर्ष 2017–18 में कृषि विभाग एवं जैविक उत्पाद परिषद् द्वारा संयुक्त रूप से 36,929 कृषकों (19,886.58 है0) को जैविक प्रमाणीकरण के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है।

प्रदेश में उत्पादित जैविक उत्पादों में से वर्ष 2018 में मुख्य रूप से 150 टन बासमती, 360 टन चौलाई, 1,500 टन गन्ना उत्पाद (गुड, शक्कर, खांड आदि) आदि को पंजीकृत क्रेताओं द्वारा क्रय किया गया। स्थानीय उपभोक्ताओं को जैविक उत्पादों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर कृषकों के द्वारा जैविक उत्पाद की दुकानें खोली गई हैं।

दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद् को जैविक इंडिया एवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया।

अध्याय–9
सहकारिता
(Co-operative)

सहकारिता आन्दोलन का मुख्य उददेश्य ग्रामीण कारीगरों, भूमिहीन मजदूरों एवं समुदाय के कमजोर तथा पिछड़े वर्गो के कम आय वाले तथा बेरोजगार लोगों को रोजगार, साख तथा उपयुक्त तकनीकी प्रदान कर अच्छा उत्पादक बनाना है तथा पारस्परिक सहयोग द्वारा स्वयं की सहायता करना ही सहकारिता का आदर्श होता है। सहकारिता एक समाहित शक्ति है जिसका सूत्र **''एक सबके लिए, सब एक के लिए है''**। इसका प्रबन्धन एवं संचालन लोकतांत्रिक ढ़ंग से किया जाता है तथा संगठन के सदस्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नही किया जाता है। सहकारिता के माध्यम से जहॉ उपभोक्ता को सस्ती एवं उत्तम किस्म की वस्तुएं उपलब्ध होती है वहीं एकाधिकारात्मक प्रवृत्तियों पर भी रोक लगाई जाती है। अपनी उपादेयता के कारण ही वर्तमान में उपभोग, उत्पादन तथा वितरण सभी क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। सहकारिता की भावना दिन–प्रतिदिन बहुआयामी रुप लेती जा रही है, इसकी उपयोगिता को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि केवल सहकारी आन्दोलन पर जोर न देकर सहकारी कार्यकर्ताओं को भी शक्ति सम्पन्न बनाया जायें। राज्य में सहकारिता को मजबूत करने एवं विकास में सहभागी बनाने के लिए भी काफी प्रयास किये गये है। वर्तमान में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 294 सहकारी बैंक शाखायें व निबन्धित 759 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स) विभागीय नियंत्रण में कार्य कर रही है। विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:–

9.1– राज्य सेक्टर योजनायें:–

9.1.1 सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान– इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 1500 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना लक्षित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 12.00 लाख प्राप्त अनुदान के सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक ₹ 3.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

9.1.2– उर्वरक परिवहन पर राज सहायता– इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में 80166 मै० टन उर्वरक विक्रय किया गया। वर्ष 2020–21 में योजना के संचालन हेतु अवमुक्त ₹ 125.00 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक शत–प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी है।

9.1.3– पैक्स मिनी बैंक में जमा निक्षेपों के लिए निक्षेप गारन्टी योजना– ग्रामीण क्षेत्रों के मिनी बैकों में निक्षेप वृद्वि को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 में ग्रामीण बचत में ₹ 40.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

9.1.4 दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना– योजनान्तर्गत प्रदेश के लघु, सीमांत एवं बी.पी.एल. कृषकों को कृषि कार्यो हेतु सरकारी समितियों द्वारा ₹ 1.00 लाख तक तथा कृषियेत्तर कार्यो यथा पशुपालन, जडी–बूटी, सगन्ध पादप, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य, मुर्गी पालन, मशरुम, पुष्प उत्पादन, कृषि प्रसंस्करण, कृषि–यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली–हाउस आदि कार्यो हेतु ₹ 3.00 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूहों को ₹ 5.00 लाख तक का

ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। तालिका 9.1 में वर्षवार विवरण निम्नवत है:–

तालिका 9.1

क्र0 स0	वित्तीय वर्ष	वितरित ऋण (लाख ₹ में)	कुल लाभार्थियों की संख्या	
			व्यक्तिगत	स्वयं सहायता समूह
1	2017–18	38087.46	80868	0
2	2018–19	76148.63	162472	01
3	2019–20	71130.88	125161	1246
4	2020–21	45730.00	78827	490
	योग	231096.97	447329	1737

स्रोत– सहकारिता विभाग

उक्त योजनान्तर्गत योजनारम्भ (अक्टूबर 2017) से दिसम्बर 2020 तक कुल 447329 लाभार्थियों एवं 1737 स्वयं सहायता समूहों को कुल ₹ 231096.97 लाख का ऋण वितरित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजनान्तर्गत कुल 78827 लाभार्थियों एवं 490 स्वयं सहायता समूह को ₹ 45730.00 लाख का ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा चुका है।

9.2 जिला सैक्टर योजनाएं:–

9.2.1 ऋण एवं अधिकोषण योजना–

इस योजना के अन्तर्गत पैक्स के सचिवों को वेतन हेतु कामन केडर अनुदान, पैक्स/मिनी बैंक की स्थापना, क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ब्याज में राहत एवं अंशक्रय हेतु ब्याज रहित ऋण अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में ₹ 621.05 लाख अवमुक्त के सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक शत प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी है।

9.2.2 सहकारी क्रय–विक्रय योजना– पैक्स को क्षतिग्रस्त गोदामों के जीर्णोद्वार/ मरम्मत तथा क्रय विक्रय समितियों के कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2020–21 में समितियों द्वारा 26494 मी०टन गेहूँ व 276116 मी० टन धान खरीद कर कृषकों को वितरित किया गया है। योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक में कुल ₹ 20.00 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर 2020 तक ₹ 20.00 लाख धनराशि व्यय की गयी है।

9.2.3 सहकारी उपभोक्ता योजना– इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक जटिलता तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के कृत्रिम अभाव को समाप्त करने और उनकी निरन्तर आपूर्ति बनाये रखने तथा उच्च गुणवत्ता वाली दैनिक उपभोग की वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल ₹ 11.10 लाख अवमुक्त के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2020 तक शत प्रतिशत धनराशि व्यय की गयी है।

9.3 अन्य योजनायें–

9.3.1 राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना (एन०सी०डी०सी० द्वारा वित पोषित)– ''संकल्प से सिद्धि एवं 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने' के उददेश्य हेतु राज्य के सर्वांगीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन एवं कृषकों के जीवन स्तर में सुधार जैसे महत्वपूर्ण उददेश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से ''राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना'' क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना के अन्तर्गत ₹ 3340.00 करोड़ की सैद्धांतिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना के संचालन हेतु ₹ 100.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

तालिका 9.2

(धनराशि करोड़ ₹ में)

क्र0स0	क्षेत्र	स्वीकृत धनराशि
1	भेड़ एवं बकरी	40.00
2	मत्स्य	30.00
3	डेरी विकास	13.00
4	सहकारी विभाग	17.00

स्रोत– सहकारिता विभाग

9.3.2 सहकारिता विभाग की समितियों हेतु ₹ 1700.00 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसके उपयोग/कार्य योजना का विवरण तालिका 9.2 में निम्नवत है–

तालिका 9.3

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 स0	गतिविधि	जनपद	कलस्टर की संख्या	सदस्यों/कृषकों की संख्या	गॉव की संख्या	कलस्टर हेतु उपलब्ध भूमि	स्वीकृत धनराशि	उपयोग की गयी धनराशि
1	सेब उत्पादन	उत्तरकाशी	11	6300	88		470.18	354.34
2	सायलेज हेतु हरा मक्का का उत्पादन (बहु0 किसान सं0सह0समि0 के माध्यम से	देहरादून एवं हरिद्वार	बहु0 किसान समितियों के माध्यम से	308	28	1000 एकड	350.00	350.00
3	पुष्प उत्पादन (डेमस्क रोज)	अल्मोड़ा	01	68	06	48 नाली	250.00	20.76
4	अदरक उत्पादन	चम्पावत	02	550	27	100 एकड	204.82	125.00
7	बहु0 किसान सेवा स0 सं0 लि0 लालढांग	हरिद्वार (लेमनग्रास)		1420	42	40 एकड़	425.00	40.00
		योग					1700.00	890.00

स्रोत– सहकारिता विभाग

राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना

1. क्रय–विक्रय एवं फल विपणन स0 लि0, नौगांव– जनपद उत्तरकाशी में सेब उत्पादक किसानों के सामने सेब विक्रय की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए नौगांव क्रय–विक्रय समिति द्वारा वर्ष 2019 से संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया गया। समिति द्वारा जनपद उत्तरकाशी के सेब उत्पादक किसानों से लगभग 1400 मी0टन से अधिक ए,बी एवं सी ग्रेड का सेब क्रय किया गया था तथा कोल्ड स्टोर में सुरक्षित रखे गये 944 मी0टन से अधिक का ए ग्रेड सेब को फरवरी 2020 माह से बाजार में विकय कर दिया गया है। वर्ष 2021–22 में 1000 नये सेब उत्पादकों के बगीचों का निर्माण कर लगभग 2000 मी0 टन सेब का क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

2. सायलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ लि0– जनपद हरिद्वार एवं देहरादून में संघ द्वारा 09 पैक्स के माध्यम से लगभग 500 एकड क्षेत्रफल में कलस्टर आधारित सहकारी खेती के आधार पर मक्का फसल का उत्पादन समिति के सदस्यों के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसमें कृषकों को अपनी भूमि पर मक्का उत्पादन के लिए जुताई, सिंचाई, बीज, खाद आदि समस्त व्ययों का भुगतान समिति द्वारा किया जाता है किसानों से प्राप्त मक्का से संघ द्वारा लगभग 2500.00 मी०टन सायलेज तैयार कराया जा रहा है। जिसके उपयोग से दुधारु पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। वर्ष 2020–21 में 100 एकड़ भूमि पर सायलेज का उत्पादन कराया गया है। जिससे 7500 मी0टन सायलेज का निर्माण किया गया है। इसकी आपूर्ति दुग्ध संघों के माध्यम से डेयरी किसानों को की जा रही है। हरा चारा, कॉन्सन्ट्रेट फीड, हे–ब्लॉकस, एवं टी0एम0आर0 की इकाई स्थापित किये जाने व राज्य की 3 लाख से अधिक महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटाये जाने की व्यवस्था की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021–22 में 1200 कृषकों के माध्यम से 15000 मी0टन सायलेज का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है।

3. गणनाथ ऐरोमैटिक रोज वेली ताकुला जनपद अल्मोड़ा– राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड ताकुला में 32 नाली भूमि पर डेमस्क रोज की खेती का कार्य वर्ष 2019 से प्रारम्भ हो चुका है। इस कार्य में वर्ष के दौरान 20 से 25 लोगों को 50 से 60 दिनों तक स्थानीय स्तर पर रोजगार दिया गया। डेमस्क रोज के पौधे रोपने एवं देखभाल से लेकर आज तक 01 स्थानीय व्यक्ति को चौकीदार के रूप में भी रोजगार दिया जा रहा है। इस समय नर्सरी में लगभग 15000 पौध तैयार है। इन पौधों को पुनः रोपने के लिए 48 नाली भूमि की सहमति स्थानीय काश्तकारों से ले ली गई है। इस 48 नाली भूमि में लगभग 9000 डेमस्क के पौध रोपित किये जायेंगे। नर्सरी तैयार करने, पौध रोपण तथा तत्सबन्धी कार्य हेतु मनरेगा से कार्य योजना स्वीकृत कर लिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में इस प्रोजक्ट से लगभग 1900 मानव दिवस सृजित किये जाने का अनुमान है। शेष 6000 डेमस्क के पौध की उत्तराखण्ड ग्रामीण कृषि शिक्षा समिति लमगडा से मांग की गयी है, जो ₹ 12 प्रति पौध की दर से विक्रय किया जायेगा। इस प्रकार विकास खण्ड हवालबाग में 131 नाली भूमि पर डेमस्क रोज, तुलसी आदि का प्रोजेक्ट तैयार कर मुख्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। वर्ष 2021–22 में चार नयी नर्सरी का निर्माण कर 200 एकड भूमि में डेमस्क रोज की कटिंग लगा कर लगभग 1000 कृषकों को लाभान्वित किया जाना है।

4. अदरक उत्पादन एवं विपणन गतिविधि– उत्तराखण्ड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत संयुक्त सहकारी खेती की गतिविधि हेतु जनपद–चम्पावत की 12 बहुउददेशीय किसान कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 1000 कुन्तल अदरक सामूहिक सहकारी कृषि का कार्य 100 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। वर्तमान मे तैयार अदरक के भण्डारण का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में 200 एकड भूमि पर 2000 कुन्तल अदरक का उत्पादन 12500 कृषकों के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है।

5. लेमनग्रास उत्पादन एवं विपणन गतिविधि– जनपद हरिद्वार के बहुउदेदशीय किसान कृषि ऋण सहकारी समिति लि0 लालढांग के क्षेत्रान्तर्गत हाथियों एवं अन्य जीवों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए लालढांग समिति के

अन्तर्गत कलस्टर आधारित खेती के माध्यम से बहुउददेशीय किसान कृषि ऋण सहकारी समिति लि0 लालढांग के माध्यम से 42 कृषको की 40 एकड भूमि पर लेमनग्रास लगायी जा चुकी है। तैयार लेमनग्रास के आश्वन हेतु डिस्टलरी प्लांट लगाये जाने का कार्य सगन्ध पौध केन्द्र (कैप) देहरादून के माध्यम से लालढ़ांग समिति द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2021–22 में 100 एकड भूमि पर लेमनग्रास का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है।

6. अन्तर्राज्यीय सहकारी निवेश सम्मेलन व प्रर्दशनी

सहकारी विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी जन–जन तक पहुँचाने एवं स्वयं सहायता समूहों व सहकारिता के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उददेश्य से दिनांक 9 फरवरी से दिनांक 16 फरवरी 2020 तक जनपद हरिद्वार में अन्तर्राज्यीय सहकारी निवेश सम्मेलन व प्रदर्शनी का सफल आयोजन किया गया।

प्रमुख नवोन्मेषी (Innovative) प्रयास

- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित ''मोटर साइकिल टैक्सी योजना'' में आवेदनकर्ता को प्रमुख पर्यटक/यात्रियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन क्रय किये जाने हेतु ₹ 60 हजार से ₹ 1.25 लाख तक का 2 वर्षो तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
- राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु प्रदेश के उद्यमशील युवाओं, प्रवासियों एवं कृषकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने के उददेश्य से ''मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजनान्तर्गत'' पात्र सदस्य को राज्य/जिला सहकारी बैंकों द्वारा 8 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा हैं।
- सहकारी बैंकों में गैर निष्पादित आस्तियॉ (एन0पी0ए0) धनराशि की वसूली हेतु एक मुश्त समझौता योजना (ओ0टी0एस0) लागू की गयी, जिसमें कुल 410 बकायेदार सदस्यों से ₹ 832.67 लाख की धनराशि वसूल की गयी।
- राज्य के युवाओं/युवतियों को रोजगार प्रदान किये जाने के दृष्टिगत रोजगार सृजन हेतु ''मुख्यमंत्री ई–रिक्शा कल्याण योजनान्तर्गत'' सहकारी बैंकों द्वारा 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत लगभग 1726 महिला एवं पुरुष लाभार्थियों को कुल ₹ 23.64 करोड़ का ऋण ई–रिक्शा खरीद हेतु वितरित किया गया है।
- प्रदेश में बहु–उददेशीय सहकारी समिति (एमपैक्स) द्वारा उनके व्यवसाय में विविधता लाने व कृषकों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के उददेश्य से नाबार्ड के सहयोग से प्रदेश की कुल 102 एमपैक्सों को ''बहु–सेवा केन्द्र'' के रुप में विकसित किया जा रहा है।
- प्रदेश में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन0सी0डी0सी0) के माध्यम से राज्य की भौगोलिक

परिस्थितियों के आधार पर एक समान उपज, उत्पाद के उत्पादन व विपणन हेतु **"एक जनपद एक उत्पाद"** पर ध्यान केन्द्रित कर कलस्टरवार कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0) का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

कोविड–19 के दौरान विभाग द्वारा किए गये विशेष प्रयास

- कोविड–19 के दृष्टिगत् घोषित लाकडाउन अवधि में सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार उर्वरक, बीज की आपूर्ति की गयी।
- सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में धनराशि जमा करायी गयी।